भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-21

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India

डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

माननीय केंद्रीय मंत्री

Hon'ble Union Minister

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

माननीय राज्य मंत्री

Hon'ble Minister of State

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health & Family Welfare

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	झलक	1
अध्याय 2	कर्त्तव्य, प्रशासनिक ढ़ाँचा और मानव संसाधन	8
अध्याय 3	मानक और विनियम	18
अध्याय 4	खाद्य सुरक्षा अनुपालन	37
अध्याय 5	खाद्य परीक्षण और निगरानी	53
अध्याय 6	खाद्य आयात	68
अध्याय 7	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण	74
अध्याय 8	सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन तथा ईट राइट इंडिया पहल	78
अध्याय 9	कोडेक्स	93
अध्याय 10	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	95
अध्याय 11	एफएसएसएआई में डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ई–शासन	98
अध्याय 12	राजभाषा	106
अध्याय–13	आरटीआई मामले	108
अध्याय 14	वित्तीय विवरणियां, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	109

सारणी सूची

सारणी संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
सारणी 1	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति	3
सारणी 2	खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण	9
सारणी 3	खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्यगण (धारा 5)	10
सारणी 4	धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत 2020–21 के दौरान पदेन सदस्य	11
सारणी 5	एफएसएसएआई की पदवार संस्वीकृत संख्या	13
सारणी 6	2020–21 के दौरान अधिसूचित अंतिम विनियमों की सूची	27
सारणी 7	2020–21 वर्ष के दौरान अधिसूचित मसौदा विनियमों की सूची	30
सारणी 8	एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रमुख विनियमों की सूची जो वर्तमान में लागू है	32
सारणी 9	वर्तमान में चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं की सूची	34
सारणी 10	पूरी हो चुकी अनुसंधान परियोजनाएँ जिन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति ने पुनरावलोकन कर अंतिम समाप्ति की सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया है	34
सारणी 11	पूरे किए गए / बंद अनुसंधान परियोजनाओं की सूची	36
सारणी 12	केन्द्रीय/राज्य लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने में हुई वर्षवार प्रगति	38
सारणी 13	एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना (31.03.2021) की स्थिति के अनुसार	49
सारणी 14	वर्ष 2020–21 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुरुप नहीं पाए गए नमूनों और की गईं कार्रवाई का राज्य–वार विवरण	51
सारणी 15	अधिसूचित प्राथमिक तथा रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण	55
सारणी 16	देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या	66
सारणी 17	दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के खाद्य आयात निर्मुक्ति संबंधी आँकड़े	72
सारणी 18	एफएसएसएआई की वेबसाइटों/पोर्टलों और अन्य डिजिटल पहलों की सूची	104

आकृति सूची

आकृति	विवरण	पृष्ठ संख्या
आकृति 1	खाद्य प्राधिकरण का गठन, 2020–21	11
आकृति 2	खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढ़ाँचा	12
आकृति 3	विधिक एवं गैर सांविधिक निकायों के संदर्भ में एफ.एस.एस.ए.आई का वैज्ञानिक कार्य	18
आकृति 4	स्पैन–कॉम का उद्घाटन	25
आकृति 5	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में एफ.एस.एस.ए.आई. एवं सी.एस.आई.आर. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	26
आकृति 6	गत वर्षों में लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में परिलक्षित परिवर्तन को दर्शाने वाला रेखाचित्र	38
आकृति 7	एफएसडब्ल्यू वैन का आंतरिक दृश्य	59
आकृति 8	एफएसडब्ल्यू का बाह्य दृश्य	59
आकृति 9	ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलक	60
आकृति 10	एस.एम.एस. घटक	61
आकृति 11	शीर्ष 10 खाद्य श्रेणी, उत्पाद और उत्पत्ति के देश	70
आकृति 12	तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण की कुछ झलकियाँ	76
आकृति 13	एफएसएसएआई में नव–नियुक्त कार्मिकों का पहला बैच	76
आकृति 14	एफएसएसएआई में नव–नियुक्त कार्मिकों का दूसरा बैच	77
आकृति 15	एफएसएसएआई में नव–नियुक्त कार्मिकों के प्रथम बैच के परिचय प्रशिक्षण का उद्घाटन	77

आकृति	विवरण	पृष्ठ संख्या
आकृति 16	चुनौतियों/प्रतियोगिताओं का आरंभ	87
आकृति 17	फूड फिएस्टा एवं फ्लावर्स शो की झलक	88
आकृति 18	इंडस फूड 2021 की झलक	89
आकृति 19	माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा संसाधन पुस्तकों का विमोचन	90
आकृति 20	सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की मुख्य विशेषताएं	92

अध्याय-1

झलक

1.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (संक्षेप में एफ.एस.एस.ए.आई.), जिसे "खाद्य प्राधिकरण" के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना सितम्बर, 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत प्रमुख रुप से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सामग्रियों के विज्ञान–आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए की गई थी। इस संबंध में विस्तृत कार्यादेशों का उल्लेख खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 16 में किया गया है। इस अधिनियम को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और छह प्रमुख विनियमों की अधिसूचना के द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2011 से प्रवर्तनात्मक बनाया गया था। तब से, एफ.एस.एस.ए.आई. ने इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपने कार्योदेशों को पूरा करने में काफी प्रगति की है।

1.2 आदर्श वाक्य "विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक" के अनुरुप, खाद्य प्राधिकरण ने निम्नलिखित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने कार्यादेशों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किया है :

- वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विनियमों, मानकों और दिशा–निर्देशों का निर्धारण;
- अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, निरीक्षण, संपरीक्षा और बेहतर प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से अनुपालन में सुगमता;
- आयातित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयात का विनियमन;
- विनियामक कर्मियों, प्रयोगशाला कर्मियों और इसके साथ–साथ खाद्य कारोबारियों और खाद्य प्रहस्तकों की क्षमता का निर्माण;
- एकीकरण की सच्ची भावना से ईट राइट पहलों को बढ़ावा देना;
- खाद्य सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करने के लिए आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) और बी.सी.सी. (व्यवहारगत परिवर्तन संप्रेषण) प्रविधियों का उपयोग;
- प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण;
- ज्ञान और बेहतर पद्धतियों के सृजन तथा आदान–प्रदान के लिए कार्यनीतिक स्वरुप की साझेदारी का विकास करना;
- खाद्य मानकों से संबंधित कार्य और अन्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों के समन्वय को बढावा देने के लिए कोडेक्स बैठकों में सक्रिय रुप से भाग लेना और विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय करार करना।

उपर्युक्त वर्णित दृष्टिकोण के अनुरुप इस अध्याय में रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 की एफ.एस.एस.ए.आई. के कार्यकलापों और उपलब्धियों की समीक्षा की प्रमुख बातें दर्शायी गई हैं। विवरण संबंधित अध्यायों में दिया गया है।

1.3 समीक्षाधीन वर्ष में खाद्य प्राधिकरण की चार बैठकें आयोजित हुई थीं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तथापि, एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड़), (च) और

(छ) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों पर सदस्यों की नियुक्ति के अभाव में सदस्यों की कम संख्या से कार्य जारी रखा। तथापि, प्राधिकरण की बैठकों में विचार–विमर्श के आधार को व्यापक स्वरुप प्रदान करने के लिए बैठक में विशेष आमंत्रितों को आमंत्रित किया गया था।

1.4 केंद्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) बहुत से विषयों के संबंध में खाद्य प्राधिकरण को सलाह देती है और विभिन्न हितधारियों जैसे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और राज्यों के खाद्य प्राधिकरणों के साथ घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान सी.ए.सी. की चार बैठकें आयोजित हुईं और कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार–विमर्श किया।

1.5 वैज्ञानिक समिति, जोकि प्राथमिक रुप से खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, की वर्ष के दौरान तीन बैठकें (35वीं, 36वीं एवं 37 वीं) आयोजित हुईं और खाद्य प्राधिकरण को विभिन्न सिफारशें कीं।

1.6 वर्ष के दौरान, 21 विषय–विशिष्ट वैज्ञानिक पैनल कार्यात्मक रहे। इन 21 वैज्ञानिक पैनलों की कुल 62 बैठकें आयोजित हुईं और मानकों के निरुपण तथा उनके अपने–अपने विषयों से संबंधित अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें की।

1.7 विशिष्ट विषयों के संबंध में वैज्ञानिक समिति ने कई कार्य समूह प्रारंभ किए।

1.8 कोविड–19 महामारी को देखते हुए, वर्ष के दौरान खाद्य प्राधिकरण और इसके साथ–साथ अन्य सांविधिक और गैर–सांविधिक निकायों द्वारा आभासी स्वरुप की बैठकों का आयोजन किया।

1.9 विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए विनियमों के निरुपण, जिसमें नए मानक और विद्यमान मानकों में संशोधन करना सम्मिलित है, की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई। विनियमों की नियमित रुप से समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है, आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, 30 अंतिम अधिसूचनाएं और 19 मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गईं। अंतिम अधिसूचनाओं में तीन प्रमुख विनियम सम्मिलित हैं अर्थात, खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020; खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020; और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020।

1.10 अंतिम अधिसूचनाओं में खाद्य उत्पादों के नए/संशोधित मानकों से संबंधित कई संशोधन विनियम भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा, कुछ संशोधन कतिपय संघटकों/उत्पादों के प्रयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाने के लिए किए गए हैं। "2022 तक ट्रांस– फैट मुक्त भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रांस फैट की सीमा, जो सभी तेलों, वसा के भार के 2% से अधिक नहीं होगी और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में विद्यमान तेल और वसा के भार का 2% से अधिक न होगी, में कमी करने से संबंधित संशोधन उन महत्वपूर्ण संशोधन विनियम में से हैं जिन्हें अंतिम रुप से वर्ष के दौरान अधिसूचित किया गया।

1.11 वर्ष के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर व्याप्त चिंताओं के मामलों के संबंध में लोगों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए तीन मार्गदर्शी नोट जारी किए गए थे। विनियमों के कार्यक्षेत्र और उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विनियमों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए गए हैं।

1.12 एफ.एस.एस.ए.आई. के कार्यादेश और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अन्य उभरते मामलों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) परियोजनाओं के लिए सहायता योजना के अंतर्गत, एफ.एस.एस.ए.आई. ने अभी तक 21 संयुक्त परियोनाओं को सहायता प्रदान की गई है जिसमें से 6 को पूरा कर लिया गया है; दस अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति द्वारा अंतिम रुप से उन्हें बंद करने की सिफारिश की है; और पांच परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

1.13 एफ.एस.एस.ए.आई. में इस समय स्वीकृत पदों की संख्या 824 है। इन पदों में से अधिकतर पद 2018 में

ही स्वीकृत हुए थे। इन विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम भी 01 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद ही, भर्ती विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इन स्वीकृत पदों पर नियमित आधार पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई सीधी भर्ती की प्रक्रिया, जिसमें 3 विज्ञापन अर्थात डीआर 01/2019, डीआर 02/2019 और डीआर 03/2019 सम्मिलित हैं, के अंतिम परिणाम भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने पर वर्ष के दौरान घोषित किए गए और डीआर 02/2019 के अंतर्गत सम्मिलत 275 पदों में से चुने गए कुल 185 उम्मीदवारों ने पहले ही इस संगठन में अपने पद का कार्य भार संभाल लिया है जबकि अन्य सफल उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रियामें हैं। डीआर 2/2019 और डीआर 03/2019 के परिणामों के आधार पर कुछ अधिकारियों ने उच्च स्तरीय पदों का कार्यभार ग्रहण किया है। वर्ष के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई .में 37 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर भी कार्यभार ग्रहण किया है। परिणामस्वरुप, जनशक्ति में काफी अधिक वृद्धि हुई है और एफ.एस.एस.ए.आई. के काम में और अधिक दृढता आएगी।

1.14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण साझेदार हैं और प्रमुख रुप से एफएसएस अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रवर्तन के लिए स्थापित अपने प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखा। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल न्याय–निर्णय अधिकारियों की संख्या 725, अभिहित अधिकारियों की संख्या 660 और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या 2,531 है।

1.15 इस संबंध में किए गए सतत उपायों के कारण, एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को लाइसेंस प्रदान करने और पंजीकरण करने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (सीएलए) द्वारा कुल 84,970 केन्द्रीय लाइसेंस जारी किए गए थे जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा 17,07,190 लाइसेंस जारी किए गए और 74,65,125 पंजीकरण किए गए। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान केन्द्रीय लाइसेंस के संबंध में 45% की वृद्धि और राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के संबंध में क्रमशः 31% और 21% की वृद्धि हुई।

1.16 एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य प्राधिकरण निरन्तर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को सीएसी की बैठकों, विडियो सम्मेलन (वीसी) और राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठकों में सहभागिता के माध्यम से सहायता करता रहा है। वर्ष के दौरान, एफएसएसएआई द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विडियो सम्मेलन (वीसी) के 27 सत्र आयोजित किए।

1.17 एफ.एस.एस.अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लेना जारी रखा गया। वर्ष 2020–21 में विश्लेषित खाद्य के नमूने, अनुरुप नहीं पाए गए नमूने और दोषी खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित सारणी 1 में दिया गया है:

सारणी 1 – वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति

क्रं. सं.	प्रवर्तन मैट्रिक्स	संख्या
1	विश्लेषित खाद्य नमूने	1,07,829
2	अनुरुप नहीं पाए गए कुल नमूने	28,347
	अनुरुप नहीं पाए गए नमूने – असुरक्षित	*5,220*
	अनुरुप नहीं पाए गए नमूने – घटिया	*13,394*
	अनुरुप नहीं पाए गए नमूने – लेबलिंग दोष/भ्रामक/विविध	*9,733*
3	प्रारंभ किए गए सिविल मामलों की संख्या	24,195

क्रं. सं.	प्रवर्तन मैट्रिक्स	संख्या
4	सिविल मामलों की संख्या, जिनमें निर्णय किए गए	15,532
5	सिविल मामलों में लगाए गए जुर्माने की राशि (रुपये में)	49,92,23,333
6	प्रारंभ किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	3,869
7	आपराधिक मामलों की संख्या, जिनमें निर्णय किए गए	520
8	आपराधिक मामलों में लगाए गए जुर्माने की राशि (रुपये में)	83,23,601
9	लगाए गए जुर्माने की कुल राशि (सिविल और आपराधिक) (रुपये में)	50,75,46,934

1.18 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) नामक एक अधिक दक्ष ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है और इसकी शुरुआत की है। इससे पूर्ण प्रणाली के कारण धीमी गति की शिकायतों का समाधान किया गया है और इसके द्वारा लाइसेंसिंग और पंजीकरण की व्यवस्था को युक्तियुक्त एवं आसान बनाया गया है। इसके अलावा, फोस्कोस को खाद्य सुरक्षा के लिए 'वन–स्टाप कंप्लायंस पोर्टल' के रुप में परिकल्पित किया गया है। पहले ही भुगतान गेट–वे, फोस्कोरिस, लेखा–परीक्षा माड्यूल, ऑनलाइन विवरणियां फाइलिंग माड्यूल और स्वच्छता रेटिंग मॉड्यूल का एकीकरण किया गया है। इससे खाद्य कारोबारियों को आवेदन प्रस्तुत करने, भुगतान करने, वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने आदि में काफी मदद मिली है।

1.19 एफ.एस.एस.ए.आई. ने वास्तविक समय आधार पर निगरानी के लिए निरीक्षण और नमूने लेने, आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए "नियमित निरीक्षण और सैम्पलिंग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन" प्रणाली (फोस्कोरिस) नामक वैब आधारित मोबाइल एप विकसित किया है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे केवल फोस्कोरिस के माध्यम से निरीक्षण आयोजित करें। वर्ष के दौरान, फोस्कोरिस के माध्यम से खाद्य कारोबारों के 60,222 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों में पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रणाली को फोस्कोस के साथ एकीकृत किया गया है।

1.20 खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्यों के निष्पादन के मापन के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत की है और उन्हें बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए प्रेरित किया है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण पैरामीटरों अर्थात–मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े; अनुपालन; खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर आधारित है। 07 जून, 2020 को द्वितीय विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचनाकांक 2019–20 में श्रेष्ठ रैंक प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए।

1.21 समझौता ज्ञापन ढांचा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया और 64.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

1.22 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट स्वच्छता और साफ–सफाई के अनुपालन के संबंध में खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण का कार्यान्वयन करने के लिए 29 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की है। यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय लाइसेंस धारी खाद्य कारोबारी जो अभिज्ञात छः उच्च जोखिम वाले कारोबार की श्रेणियों/प्रकारों के अंतर्गत आते हैं उनकी खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य ऑडिट की जाएगी। एफ.एस.एस.ए.आई. ने स्वच्छता और साफ–सफाई संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में 157 वधशालाओं और इसके साथ ही 396 मांस की दुकानों और 429 मिष्ठान्न की दुकानों की ऑडिट पूरी कर ली है। ऑडिट के दौरान अभिज्ञात कमियों से इन स्थानों पर एफएसएमएस अनुपालन में मदद मिलेगी।

1.23 खाद्य परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान कई उपाय किए गए। 39 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को, जिन्हें अधिनियम की धारा 98 के संक्रमण प्रावधान के अंतर्गत जारी रखा गया था और जिनके द्वारा एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, एफएसएस की परिधि से बाहर कर दिया गया है। इस अनिवार्य स्वरुप की कार्रवाई से इस प्रकार की प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए पहल करने के लिए मजबूर हुई हैं। वर्ष के दौरान, 2 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं जिन्होंने एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त किया है और 4 अन्य प्रयोगशालाओं को प्राथमिक परीक्षण के लिए अधिसूचित किया गया। पीपीपी मोड के अंतर्गत चौन्नई पत्तन न्यास और जेएनपीटी, मुम्बई में एफएसएसएआई की दो और रेफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सफल पीपीपी भागीदारों को ठेके प्रदान किए गए हैं और इन रेफरल प्रयोगशालाओं के शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की आशा है। इस अवधि के दौरान, आरएएफटी योजना, 2019 के अंतर्गत रेपिड टेस्टिंग किट्स/उपकरणों के अनुमोदन के लिए 54 आवेदनों की जांच की गई थी जिसमें से 33 का अंतिम रुप से अनुमोदन किया गया, एक को अनन्तिम रुप से अनुमोदित किया गया और शेष 20 को नामंजूर किया गया था।

1.24 "चलती–फिरती खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण" (सॉफ्टेल) के लिए 481.95 करोड़ रुपये (400.40 करोड़ गैर–आवर्ती और 81.55 करोड़ आवर्ती) के परिव्यय से तीन वर्षों के लिए 2016–17 में प्रारंभ की गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत योजना की अवधि का आगे विस्तार करने के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने तक वर्ष के दौरान राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफएीएल) के सुदृढ़ीकरण की दिशा में 1.00 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए गए। इससे, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 39 एसएफटीएल को कुल 313.98 करोड़ रुपये के अनुदान की मंजूरी/निर्मुक्ति से सुदृढ़ीकरण किया गया है। केन्द्रीय/रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं, पूणे का उन्नयन करने के लिए 4.12 करोड़ रुपये का अनुदान भी निर्मुक्त किया गया था जिससे रेफरल प्रयोगशालाओं के लिए कुल अनुमोदित अनुदान की राशि बढ़ कर 32.20 करोड़ रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान राज्यों को 2 और संशोधित चल खाद्य प्रयोगशाला (एफएसडब्ल्यू) का वितरण किया गया जिससे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गईं एफएसडब्ल्यू की संख्या बढ़कर 90 हो गई है (32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 60 एफएसडब्ल्यू और 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30 संशोधित एफएसडब्ल्यू)।

1.25 यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकत्रित किए गए नमूने प्रयोगशालाओं तक बिना किसी क्षति के पहुंचे, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शीतल श्रृंखला सुविधाओं से युक्त नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का प्रभावी नेटवर्क सृजित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नमूना एकत्र करने के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनका वितरण और इनकी अधिष्ठापना पहले ही कर दी गई है जबकि अन्य 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इनकी अधिष्ठापना का कार्य किया जा रहा है।

1.26 वर्ष के दौरान, विश्लेषण से संबंधित कई मैन्यूलों और पद्धतियों को अंतिम रुप दिया गया है।

1.27 एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य तेल, दुग्ध उत्पादों और मधु, जिनके संबंध में उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर बार–बार चिंता व्यक्त की जाती रही थी, की गुणवत्ता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए इनके सर्वेक्षण आयोजित किए। इन सर्वेक्षणों से उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अपमिश्रण के हॉटस्पाट की पहचान करने में मदद मिलेगी।

1.28 कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, एफ.एस.एस.ए.आई ने बाधामुक्त खाद्य सेवाएं/आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। खाद्य वस्तुओं की आयात निकासी और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं और एफ.एस.एस.ए.आई प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाएं) को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के रुप में वर्गीकृत किया गया था। लाइसेंस/पंजीकरण, अर्ध वार्षिक/वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण आदि के मामले में खाद्य कारोबारियों द्वारा कई प्रकार की अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को 31 दिसम्बर, 2020 तक आस्थगित रखा गया था।

1.29 भारत में आयातित खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना खाद्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। खाद्य प्राधिकरण अपने स्वयं के प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से पहले छह अवस्थानों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, तूतीकोरिन और कोच्चि पर प्रवेश के 22 स्थलों पर खाद्य आयात का विनियमन प्रत्यक्ष तौर पर कर रहा था। दिनांक 10 मार्च 2021 से इसने मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों सहित 9 स्थानों पर प्रवेश के 22 अतिरिक्त स्थलों पर अपने प्राधिकृत अधिकारियों को तैनात करके खाद्य आयात का प्रत्यक्ष विनियमन करना प्रारंभ कर दिया है। वर्ष के दौरान, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा 37,05,016 मीट्रिक टन (एमटी) वजन के कुल 52,932 आयातित खाद्य पदार्थों को हैंडल किया था। इनमें से 36,72,065 मीट्रिक टन वजन के 51,913 पदार्थों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

1.30 लॉक डाउन की अवधि के दौरान देश में आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) और खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जिस दिन खेप पहुंचे, वे उसी दिन दृश्य निरीक्षण करें और नमूनें लें और संतोषजनक दृश्य निरीक्षण पर प्रयोगशालाओं से विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अनंतिम एनओसी जारी करें। दालों की निकासी को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए थे।

1.31 एफ.एस.एस.ए.आई ने 01 मार्च, 2021 से 24 फसलों की आयातित खाद्य खेप के साथ गैर–जीएम–एवं–जीएम मुक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल गैर–जीएम खाद्य फसलों का ही आयात हो।

1.32 अच्छी स्वच्छता और निर्माण पद्धतियों के कार्य में नियोजित फूड हैंडलरों के प्रशिक्षण के लिए एफ.एस.एस.ए. आई का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका संचालन अब तक भौतिक रुप से किया जाता रहा था। कोविड 19 के कारण यह कार्यक्रम ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रारंभ किया गया। एफ.एस.एस.ए.आई ने फोस्टेक के तहत कोविड–19 निवारक उपायों पर अप्रैल, 2020 में फूड हैंडलरों के लिए ऑनलाइन जागरूकता पाठ्यक्रम शुरू किया। इस संबंध में खाद्य संचालकों के लिए लगभग 2,600 प्रशिक्षण आयोजित किए गए और 78,452 से अधिक खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित किया गया। फोस्टेक के अंतर्गत, अक्टूबर, 2020 में सभी 19 प्रशिक्षण मॉड्यूलों के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए ऑनलाइन मोड में नियमित प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। कोविड 19 से संबंधित उपायों पर जागरूकता पाठ्यक्रम को 19 नियमित प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया था। 2020–21 के दौरान, ऑनलाइन मोड के तहत 7,477 नियमित फोस्टेक प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे और 2,24,729 खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित किया गया।

1.33 नियामक अधिकारियों अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अभिहित अधिकारियों के लिए भी एफ.एस.एस.ए.आई ने अप्रैल–जून, 2020 के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से कोविड–19 से संबंधित खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण आयोजित किया, जिसमें 850 नियामक कर्मियों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 116 नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए नियमित प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए। इसके अलावा, एफ.एस.एस.ए.आई में 160 नए भर्ती हुए अधिकारियों को भी दो सप्ताह का क्लासरूम प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद दो बैचों में एक सप्ताह का 'ऑन–द–जॉब' प्रशिक्षण दिया गया।

1.34 एफ.एस.एस.ए.आई ने लोगों को सुरक्षित खाद्य, स्वस्थ और संवहनीय आहार प्रदान करने के लिए ईट राइट इंडिया आंदोलन के तहत अपनी गतिविधियों को जारी रखा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य लोगों और भू दोनों के लिए अच्छा हो, ईट राइट इंडिया के अंतर्गत नियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोण का एक विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाया जाता है। महत्वपूर्ण शुरुआतों में खाद्य सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता आकलन स्कीम, ईश को आनन्दमई अर्पण (भोग), ईट राइट होम, ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्टेशन, स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, स्वच्छ सब्जी एवं फल बाजार, पुनप्रयोजन के लिए उपयोग किया गया कुकिंग ऑयल (रूको) आदि सम्मिलित हैं।

1.35 सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन (एसबीसी) से संबंधित एफ.एस.एस.ए.आई का दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा की

समान जिम्मेदारी साझा करने के लिए सभी हितधारकों के साथ विश्वास और सहयोग के एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से सम्बद्ध है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ, एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और सही खाद्य के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और लोगों को निर्णय लेने और खाद्य विकल्पों के संबंध में व्यवहार को संशोधित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए कई हितधारकों अर्थात सरकार/निजी संस्थान, व्यावसायिक संघ, संगठन इत्यादि के साथ भागीदारी की है ताकि खाद्य रुचियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकें और व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। वर्ष के दौरान, हितधारकों और उपभोक्ताओं को ईट राइट पहल, खाद्य सुरक्षा और एफएसएस अधिनियम, नियमों और विनियमों के आवश्यक तत्वों के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां शुरू की गईं। ईट राइट शुरुआतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रतियोगिताएं और चुनौतियां आयोजित की गईं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित संचार के ऑनलाइन चैनलों के साथ–साथ घटनाओं/प्रदर्शनियों, मेलों और व्यापार मेलों आदि सहित ऑफलाइन माध्यमों का उपयोग करके विभिन्न लक्षित समूहों के बीच सूचना का प्रसार किया गया था। कई संसाधन पुस्तकें और संचार सामग्री लॉन्च की गई थीं। आम जनता के लिए आसान पहुंच के लिए ई–पुस्तकें वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थीं।

1.36 वर्ष के दौरान, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 43वें सत्र के साथ–साथ इसकी कार्यकारी समिति, अन्य समितियों, उप–समितियों और कार्य समूहों की बैठकों में भाग लिया। ये सभी बैठकें आभासी मोड में आयोजित की गईं। सीएसी के 43वें सत्र में कोडेक्स मानकों के अनुसार भारत द्वारा यथा प्रस्तावित चिली सॉस, आम की चटनी और वेयर पोटेटो के मानकों को अपनाया गया।

1.37 न्यूजीलैंड, यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, और फ्रांस के साथ मौजूदा हस्ताक्षरित सहयोग समझौतों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों और अन्य देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से ज्यादातर बैठकें आभासी मोड में आयोजित की गईं।

1.38 यह मानते हुए कि व्यापक जनादेश वाले नियामक स्वरुप के और खाद्य प्राधिकरण जैसे अति महत्वपूर्ण निकाय के लिए प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्व होता है, खाद्य प्राधिकरण अधिकाधिक रुप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग कर रहा है। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य अनुज्ञापन और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) के स्थान पर अखिल भारत के स्तर पर फोस्कोस के नाम से एक नवीन अनुज्ञापन एवं पंजीकरण प्रणाली प्रारंभ की है। इसके अलावा, इसके कई महत्वाकांक्षी पोर्टल जैसे एफआईसीएस, फोस्टेक, प्रशिक्षण पोर्टल, इन्फोलनेट आदि को नई–नई विशेषताओं से सुदृढ़ बनाया गया। एफ.एस.एस.ए.आई के सभी प्रमुख कार्यों को आईटी प्रभाग द्वारा विकसित प्रणालियों और पोर्टलों के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है।

1.39 एफ.एस.एस.ए.आई अपने कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रुप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जा रही है। वर्ष के दौरान चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं और नए भर्ती किए गए अधिकारियों के साथ–साथ अन्य अधिकारियों को भी सरकारी कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रभाग को उनके प्रयासों के सम्मान में शील्ड प्रदान की गई। आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़ा के दौरान नोटिंग और ड्राफ्टिंग, निबंध, वाद–विवाद और अनुवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अधिकारियों/कर्मचारियों ने इनमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इन प्रतियोगिताओं के लिए सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

अध्याय-2

कर्त्तव्य, प्रशासनिक ढ़ाँचा और मानव संसाधन

2.1 अधिनियम का अधिनियमन

2.1.1 खाद्य नियमों को एक ही विधान के अंतर्गत लाकर उनके समेकन का कार्य कुछ समय से विशेषकर केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री की वर्ष 2002 के बजट भाषण में अपनी मंशा जाहिर कर देने के बाद से चल रहा था। खाद्य सामग्रियों के विनियमन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के समेकन का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 को दिनांक 23 अगस्त, 2006 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात, यह अधिनियम 24 अगस्त, 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में कई अधिसूचनाओं अर्थात दिनांक 15 अक्तूबर, 2007, 28 मई, 2008, 18 नवंबर, 2008, 09 मार्च, 2009, 31 जुलाई, 2009, 29 जुलाई, 2010 और 18 अगस्त, 2010 के माध्यम से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त हुए।

2.1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर, 2007 के मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना द्वारा ''खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006'' के विषय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से स्थानांतिरत करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया था। स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 के ''खाद्य सुरक्षा तथा मानक (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2007 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 6 के खण्ड (ग) में उप–धारा (I) जो अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति से संबंधित है, में ''स्वास्थ्य'' के स्थान पर ''खाद्य प्रसंस्करण उद्योग'' को प्रतिस्थापित किया गया था।

2.1.3 यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था जिसे धारा 3, 5 और 6 में संशोधन करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

2.1.4 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के परिणामस्वरूप 5 सितम्बर, 2008 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई। इस निर्णय के परिणामस्वरूप मात्र अपमिश्रण निवारण के विपरीत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित करने की एक व्यापक समग्र पद्धति की और पूर्व में विखंडित की तुलना में एकीकृत खाद्य विनियामक पारिस्थितिकीय की दिशा में एक व्यापक परिवर्तन हुआ।

2.2 एफएसएसएआई का अधिदेश

जैसाकि एफएसएस अधिनियम में परिकल्पित है, खाद्य प्राधिकरण का अधिदेश मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, उसके भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को और उससे संबन्धित मामलों को विनियमित करना है। खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित है। इनका संक्षिप्त विवरण सारणी 2 में दर्शाया गया है:

सारणी 2 – खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण

निदेशों का निर्धारण	विज्ञान आधारित	क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण	उपभोक्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना
• खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए मानकों का निर्धारण। • लेबलिंग और दावों के मानकों का निर्धारण। • योजकों, प्रदूषकों, अवशिष्टों आदि के लिए सीमाओं का निर्धारण। • नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति के लिए दिशानिर्देशों का विकास। • आयातित खाद्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त सीमा नियंत्रण का कार्यान्वयन। • जोखिम का मूल्यांकन, प्रबंधन और संप्रेषण सहित जोखिम विश्लेषण करना। • प्रयोगशाला प्रमाणन और अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों का विकास करना। • प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए दिशानिर्देशों का विकास। • एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन और कार्यान्वयन का सर्वेक्षण करना।	• नीतियों के निरुपण के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। • उपभोग और जोखिम सामना, जैविक जोखिमों की घटना और व्यापकता, प्रदूषक, द्रुत चेतावनी प्रणाली आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में अग्रणी बनना। • खाद्य सुरक्षा के लिए संकट प्रबंधन नयाचार का विकास। • वैज्ञानिक सहयोग, सूचना और विशेषज्ञता का आदान–प्रदान और वैश्विक दृष्टि से श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए ढांचे का विकास। • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।	• खादय सुरक्षा इकोसिस्टम के भीतर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खाद्य प्राधिकरणों के स्टॉफ, खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारियों की क्षमताओं के सदृढीकरण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	• उपभोक्ताओं और सम्बद्ध हितधारियों को उपयुक्त, सरल, सामयिक सूचना उपलब्ध कराना। • वैज्ञानिक समितियों और पैनलों की समितियों के बारे में सामयिक ढंग से संप्रेषण। • वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों का आदान–प्रदान करना। • बैठकों की कार्यसूची के संबंध में खाद्य प्राधिकरण, परामर्श समिति, वैज्ञानिक समिति और पैनलों आदि के सदस्यों द्वारा हित संबंधी वार्षिक घोषणाओं का प्रकटन।

निदेशों का निर्धारण	विज्ञान आधारित	क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण	उपभोक्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना
• खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों पर राज्य स्तरीय प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करना।	• जोखिम मूल्याकंन पद्धतियों का विकास। • अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना। • अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास कार्य में योगदान।		

2.3 खाद्य प्राधिकरण का गठन और वर्ष के दौरान इसकी बैठकें

2.3.1 एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 की धारा 5 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित 22 सदस्य होंगे, जिनमें से एक–तिहाई महिलाएं होंगी, अर्थात–

सारणी 3 – खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्यगण (धारा 5)

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से सदस्य	कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, विधायी मामले, लघु उद्योग कार्यों से सम्बद्ध केन्द्र सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के सात सदस्य जो पदेन सदस्य होंगे।
उपभोक्ता, किसानों और खुदरा विक्रेता संगठनों से प्रतिनिधित्व	किसानों और उपभोक्ता संगठनों से दो– दो प्रतिनिधि तथा खुदरा संगठनों से एक प्रतिनिधि
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व	प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोनों में से एक–एक बार प्रथम तीन वर्ष के चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्यगण
खाद्य उद्योग और स्वतंत्र एसएमई और खाद्य प्रौद्योगिकीविदों अथवा वैज्ञानिकों से प्रतिनिधित्व	क) खाद्य उद्योग के दो प्रतिनिधि जिनमे से एक लघु उद्योग से संबंद्ध हो, ख) तीन प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् अथवा वैज्ञानिक

2.3.2 इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के सदस्य–सचिव हैं।

2.3.3 खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 पर स्थित है।

2.3.4 वर्ष 2020–21 के दौरान खाद्य प्राधिकरण का गठन इस प्रकार था:

आकृति 1 – खाद्य प्राधिकरण का गठन, 2020–21

सारणी 4 – धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत 2020–21 के दौरान पदेन सदस्य

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	मंत्रालय
1.	डॉ. रीता वशिष्ट	अतिरिक्त सचिव	विधायी विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय
2.	डॉ. मंदीप कुमार भंडारी	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	श्री आतिश चन्द्रा	संयुक्त सचिव	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
4.	श्री दिवाकर नाथ मिश्रा	संयुक्त सचिव	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
5.	श्री अनुपम मिश्रा	संयुक्त सचिव	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
6.	सुश्री रीमा प्रकाश	संयुक्त सचिव	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
7.	श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा	संयुक्त सचिव	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2.3.5 वर्ष 2020–21 के दौरान 29 मई, 2020 (30वीं), 20, अक्तूबर, 2020 (31वीं); 22 दिसम्बर, 2020 (32वीं) और 23 मार्च, 2021 (33वीं) को क्रमशः खाद्य प्राधिकरण की 4 बैठकें हुई। कोविड–19 महामारी के कारण सभी 4 बैठकें विर्चुयल तरीके से हुई थी। चूँकि पिछले अथवा गत वर्षों में सदस्यों की कालावधि समाप्त होने के कारण 2020–21 के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 5

(1) (ख), (ग), (घ), (ड़), (च) एवं (छ) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई, अतः खाद्य प्राधिकरण की यह बैठकें कम संख्या के साथ आयोजित की गई। यद्यपि सभी 4 बैठकों में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई) एवं ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए) से विशेष आमंत्रिति थे। गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, दादर और नागर हवेली एवं दमन व दीव के खाद्य सुरक्षा आयुक्त भी प्राधिकरण की 32वीं एवं 33वीं बैठक में विशेष आमंत्रिति के रूप में उपस्थित थे।

2.4 केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

2.4.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 11 में केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की स्थापना का प्रावधान है तथा धारा 12 में सीएसी के कार्यो का वर्णन है। समिति का मुख्य अधिदेश प्राधिकरण के कार्यक्रम, कार्य का प्राथमिकीकरण, संभावी जोखिमों की पहचान और ज्ञान प्रबंधन के संबंध में परामर्श देना है। केंद्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण, राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों तथा खाद्य के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के मध्य निकट सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करती है।

2.4.2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 5 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय सलाहकार समिति की 3 वर्ष के लिए पुर्नस्थापना की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान सी.ए.सी. की चार बैठकें हुईं, जिसमें खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य अधिकारी, विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के प्रतिनिधि व एफएसएसएआई के अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

2.5 खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढ़ाँचा

2.5.1 नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अलावा गाजियाबाद, मुबंई, कोलकाता व चैन्नई में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साथ ही, गुवाहाटी व कोच्चि में ब्रांच कार्यालय और कोच्चि, तूतीकोरिन, कृष्णापट्टनम एवं मुंद्रा में आयात कार्यालय भी है। इसके अलावा, खाद्य प्राधिकरण की गाजियाबाद एवं कोलकाता में दो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ व सोनोली और रक्सौल में इन प्रयोगशालयों के विस्तार पटल भी है।

आकृति 2 – खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढ़ाँचा

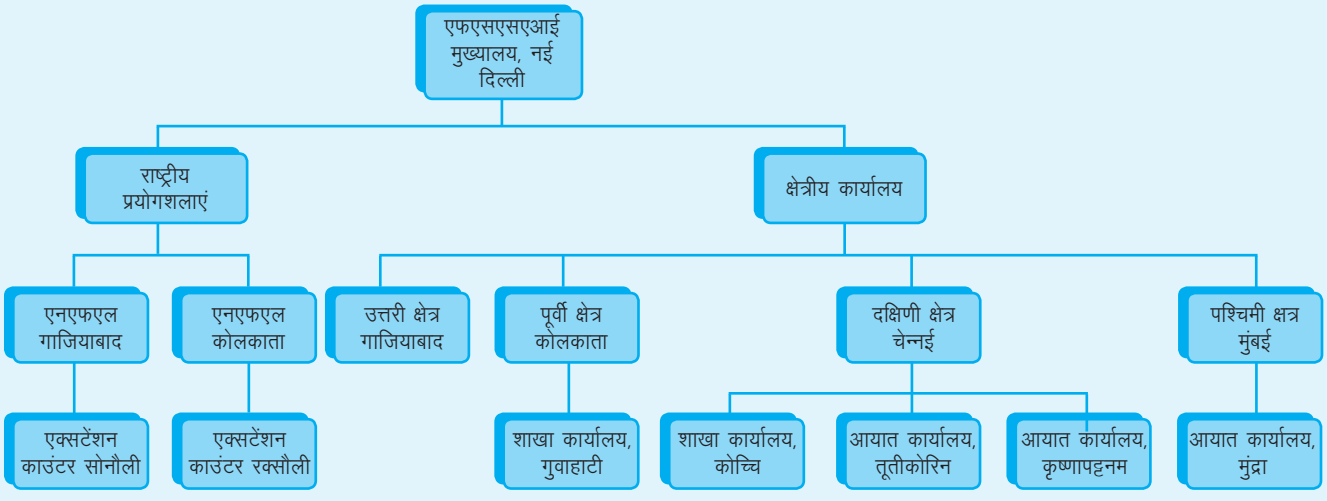

2.5.2 वर्ष के दौरान, खाद्य प्राधिकरण ने दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, मुम्बई, अहमदाबाद, चैन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, व कोलकाता में नए उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अटारी, कांडला एवं रक्सौल में आयात कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी। साथ ही प्राधिकरण ने मुबंई एवं चैन्नई में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ खोलने की भी स्वीकृति दी। ये कार्यालय/प्रयोगशालाएँ निकट भविष्य में परिचालित हो जाँएगे।

2.6 मुख्यालय में खाद्य प्राधिकरण के प्रभाग

मुख्यालय में खाद्य प्राधिकरण के निम्नलिखित प्रभाग हैं :–

- मानव संसाधन एवं वित्त विभाग
- सामान्य प्रशासन एवं नीति समन्वय प्रभाग (संसद, विधि, राजभाषा एवं सूचना का अधिकार शाखा भी सम्मिलित है)।
- सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन प्रभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग
- विज्ञान एवं मानक प्रभाग –।
- विज्ञान एवं मानक प्रभाग –।।
- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग –।
- गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग –।।
- विनियामक अनुपालन प्रभाग
- प्रयोगशाला प्रशिक्षण एवं निगरानी प्रभाग
- प्रशिक्षण प्रभाग
- व्यापार एवं अंतराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग

2.7 मानव संसाधन

एफ.एस.एस.ए.आई के पास विभिन्न स्तरों पर 824 पदों की स्वीकृत शक्ति है। एफ.एस.एस.ए.आई में सभी स्वीकृत पदों का विवरण सारणी 5 में नीचे दिया गया है।

सारणी 5 – एफएसएसएआई की पदवार संस्वीकृत संख्या

क्र. सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत शक्ति
1.	अध्यक्ष	17	1
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15	1
3.	कार्यकारी निदेशक	14	2
4.	सलाहकार	14	2

क्र. सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत शक्ति
5.	निदेशक	13	16
6.	प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी	13	1
7.	मुख्य प्रबंधक	13	1
8.	संयुक्त निदेशक	12	32
9.	उप–निदेशक	11	44
10.	सहायक निदेशक	10	22
11.	सहायक निदेशक (तकनीकी)	10	60
12.	खाद्य विशलेषक	10	10
13.	तकनीकी अधिकारी	7	255
14.	केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारी	7	74
15.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	10	1
16.	हिंदी अनुवादक	6	3
17.	प्रशासनिक अधिकारी	8	25
18.	सहायक	6	76
19.	कनिष्ठ सहायक (ग्रेड–1)	4	12
20.	वरिष्ठ निजी सचिव	8	7
21.	निजी सचिव	7	17
22.	निजी सहायक	6	39
23.	वरिष्ठ प्रबंधक (आई.टी.)	12	2
24.	प्रबंधक (आई.टी.)	11	2
25.	उप–प्रबंधक (आई.टी.)	10	4
26.	सहायक प्रबंधक (आई.टी.)	7	10
27.	(आई.टी.) सहायक	6	6
28.	वरिष्ठ प्रबंधक	12	2
29.	प्रबंधक	11	8
30.	उप–प्रबंधक	10	16
31.	सहायक प्रबंधक	7	8
32.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड–II	2	12
33.	स्टाफ कार ड्राईवर (साधारण ग्रेड)	2	3
34.	मल्टी टासकिंग स्टाफ (एमटीएस)	1	50
	कुल	**–**	**824**

2.8 एफएसएसएआई में भर्ती की स्थिति

2.8.1 सीधी भर्ती – 1 अक्तूबर, 2018 को विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम अधिसूचित किए गए थे तथा भर्ती विनियमों के प्रावधान के अनुसार भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। तदनुसार, विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या DR–01/2019 दिनांक 25 जनवरी, 2019 DR–02/2019 दिनांक 26 मार्च, 2019 एवं DR–03/2019 दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 के द्वारा आवेदन माँगे गए थे। इन विज्ञापनों की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न स्तर क्रमशः दस्तावेज़ जाँच/कम्प्युटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (जैसा लागू हो) अनुप्रयुक्त की जा चुकी है। DR–02/2019 के अंतर्गत आने वाले 275 पदों के कुल 185 सफल प्रत्याशियों ने पहले ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया है एवं बाकी सफल उम्मीदवार जल्द ही कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। DR–01/2019 एवं DR–03/2019 के अंतर्गत आने वाले कुछ पदों के अंतिम परिणाम के आधार पर निदेशक पदों के लिए दो प्रत्याशी (वेतनमान–13), प्रमुख तकनीकी अधिकारी (वेतनमान–13) के लिए एक प्रत्याशी एवं खाद्य विश्लेषक (वेतनमान–10) पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने सीधी भर्ती पर अपना पदभार ग्रहण किया हैं।

2.8.2 प्रतिनियुक्ति– दिनांक 03 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020 एंव 16 दिसम्बर, 2020 को दिए गए विज्ञापनों के द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर 73 पदों की भर्ती हेतु आवेदनों की माँग की गई थी। चयन के परिणामस्वरूप, 2020–21 के दौरान 37 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति आधार पर एफ.एस.एस.ए.आई में अपना पदभार ग्रहण किया है।

2.9 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत समिति

विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1997) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के आधार पर एफ.एस.एस.ए.आई, में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह हर समय क्रियाशील एवं प्रभावी हो। वर्ष 2020–21 के दौरान इस समिति में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। हाँलाकि एक विचाराधीन मामले पर पत्राचार हुए थे जिस पर समिति ने तुरंत कार्यवाही की थी। कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न अधिनियम एवं लिंग संवेदीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया है।

2.10 सतर्कता संबंधित मुद्दे

2.10.1 एफ.एस.एस.ए.आई की सतर्कता इकाई अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निदान केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार करता है। अगर प्रथम दृष्टया किसी अधिकारी के कृत्य में अनियमितता का मामला बनता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। नियमानुसार, केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) की भी सलाह ली जाती है। 2020–21 के दौरान 37 शिकायतों का निपटान हुआ।

2.10.2 27 अक्तूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक एफ.एस.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय था –''सतर्क भारत, समृद्ध भारत''। 27 अक्तूबर, 2020 को इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा का निर्वाह करने के शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात सतर्कता पर कर्मचारियों का ज्ञान जाँचने के लिए एक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 2 नवंबर, 2020 को एक कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सप्ताह के विषय पर अपनी बात रखने के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी द्वारा 2,000/– रुपये, 1,000/– रुपये, एवं 500/– रुपये के नगदी उपहार भी दिए गए।

2.11 एफ.एस.एस.ए.आई (डे केयर) केन्द्र

एफ.डी.ए. भवन एवं आस पड़ोस के अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय, एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में बच्चों के लिए एफ.एस.एस.ए.आई डे–केयर केन्द्र – ''नन्हें कदम'' कार्य कर रहा हैं।

2.12 जिम

एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय/सीडीएससीओ में कार्यरत कर्मचारी तथा आस–पास के फ़िटनेस प्रेमियों हेतु एफ.डी.ए. भवन प्रांगण में एक आधुनिक वातानुकुलित व्यायामशाला (जिम) चालू है।

2.13 चिकित्सा सुविधा

2.13.1 एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा हेतु अल्पावधि के लिए एक चिकित्सा विशेषज्ञ सलाहकार (सप्ताह में दो बार, 2 घंटे के लिये) की नियुक्ति की गयी है। कर्मचारी इनसे मुफ्त चिकित्सीय सलाह ले पाते है। चिकित्सा सलाहकार द्वारा सुझाए गई कुछ मूल जरूरी दवाएँ भी कर्मचारियों को मुफ्त में दी जाती है।

2.13.2 एफडीए भवन में कार्यरत कर्मचारियों के कोविड–19 परीक्षण के लिए रेपिड ऐन्टिजेन एवं आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट दोनों के संचालन हेतु कई कैंप आयोजित किए गए।

2.14 2020–21 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की जरूरतों के लिए अतिरिक्त स्थान प्राप्ति हेतु उठाएं गए कदम

2.14.1 चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने सेन्ट्रल डाक्यूमेनटेशन कॉम्प्लैक्स बिल्डिंग में दूसरे और तीसरे तल में 1306 वर्ग मीटर जगह एफ.एस.एस.ए.आई को 30 वर्षों की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की थी तथा इसके लिए चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट को 17,09,04,516/– रुपये की एक मुश्त राशि की भुगतान किया गया था। 17 अगस्त, 2020 को 29.01.2020 से 28.01.2050 की अवधि के लिए 30 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस जगह का उपयोग पी.पी.पी ढंग से राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए, जिसके लिए चयनित हिस्सेदार से अनुबंध कर लिया है, तथा दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई के कार्यालय के लिए होगा।

2.14.2 जे.एन.पी.टी टाउनशीप, नवीं मुम्बई में प्रशिक्षणकर्त्ताओ के छात्रावास में जे.एन.पी.टी ने 11,873 वर्गफीट की जगह (8,116 वर्ग फीट भूतल में तथा 3,757 वर्ग फीट प्रथम तल में) 30 वर्षो की लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की थी। जे.एन.पी.टी को 2,52,95,102/– रुपये की एकमुश्त राशि देकर उस जगह पर कब्जा ले लिया गया है। 26 अगस्त 2020 को 29.01.2020 से 28.01.2050 की अवधि (30 वर्षो के लिए) लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस जगह का उपयोग पी.पी.पी ढंग से राष्ट्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए, जिसके लिए चयनित हिस्सेदार से अनुबंध कर लिया है, तथा पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के आयात कार्यालय के लिए होगा। जे.एन.पी.टी द्वारा पूर्व आबंटित 2.500 वर्ग मीटर की जमीन वापिस कर दी गयी है।

2.14.3 एन.एफ.एल गाजियाबाद कॉम्प्लेक्स में लगभग 60,000 वर्ग फीट जगह के सृजन के लिए 46.26 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत से एक बहु–मंजिला इमारत (2 स्तरीय बेसमेंट +भूतल +2 मंज़िल) का निर्माण किया जा रहा है। मैसर्स एन.बी.सी.सी इण्डिया लिमिटेड इस परियोजना के प्रबंध सलाहकार है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मार्च, 2022 तक पूरी होने की संभावना है।

2.14.4 विभिन्न जगहों पर कार्यालय एवं प्रयोगशाला स्थल की लगातार बढ़ती हुई माँगो को पूरा करने हेतु एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रथम तल, बी.एस.एन.एल, एरगड्डा, सी.एस.सी बिल्डिंग, हैदराबाद में 1,333 वर्गफीट क्षेत्र 60/– प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 9 वर्षो के लिए लीज पर लिया है। 26 मार्च, 2021 को लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए।

2.14.5 उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद ने एल.पी.ए.आई, अटारी, कारगो टर्मिनल, पंजाब में 21.60 वर्ग मीटर क्षेत्र कार्यालय के लिए रू 938/– प्रति वर्ग मीटर प्रति महीने किराए पर लिया है।

2.14.6 एफ.एस.एस.ए.आई ने 25.25 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 2425 वर्ग फीट का क्षेत्र मुंद्रा बंदरगाह, गुजरात में 3 वर्षो के लिए लिया है और एक नया आयात कार्यालय खोला है। 14 दिसंबर, 2023 तक के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर 15 दिसंबर, 2020 को हस्ताक्षर हुए।

2.14.7 एफ.एस.एस.ए.आई ने 25.25/– रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से 1,421 वर्ग फीट का क्षेत्र कृष्णापटट्नम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में 3 वर्षों के लिए लिया है और एक नया आयात कार्यालय खोला है। 14.01.2021 से 13.01.2024 की 3 वर्षों की अवधि के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर 12 जनवरी, 2021 को हस्ताक्षर हुए।

2.14.8 विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एवं अहमदाबाद में अपना कार्यालय खोलने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने किराए पर जगह लेने की पहल की है।

2.14.9 नए कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात् कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एफडीए भवन से सटे हुए एम.एम.यू बिल्डिंग में लगभग 17,000 वर्ग फीट क्षेत्र आबंटित किया है। अगस्त, 2020 में इस जगह का अधिग्रहण कर लिया गया था। उस जगह का नवीनीकरण किया जा रहा है एवं जल्द ही इसे कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

अध्याय-3

मानक और विनियम

खाद्य प्राधिकरण में वैज्ञानिक ढांचे का अवलोकन

3.1 एफ.एस.एस.ए.आई के वैज्ञानिक ढ़ाँचे में वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनल एफ.एस.एस.ए.आई की मुख्य वैज्ञानिक शाखाएँ हैं। ये दोनों निकाय आवश्यक वैज्ञानिक राय देते हैं तथा एक सुचारू पद्धति के माध्यम से मानकों के विकास में सहायता प्रदान करतें है। इन दों सांविधिक वैज्ञानिक संस्थाओं के अतिरिक्त खाद्य प्राधिकरण ने कुछ गैर–सांविधिक संस्थाओं की स्थापना भी की है जो वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों से संबद्ध होती हैं। विज्ञान संबंधित कार्यो एवं उनसे जुड़ी शाखाओं का सम्पूर्ण ढ़ाँचा रेखाचित्र के माध्यम से नीचे दर्शाया गया है:–

आकृति 3 – विधिक एवं गैर सांविधिक निकायों के संदर्भ में एफ.एस.एस.ए.आई का वैज्ञानिक कार्य

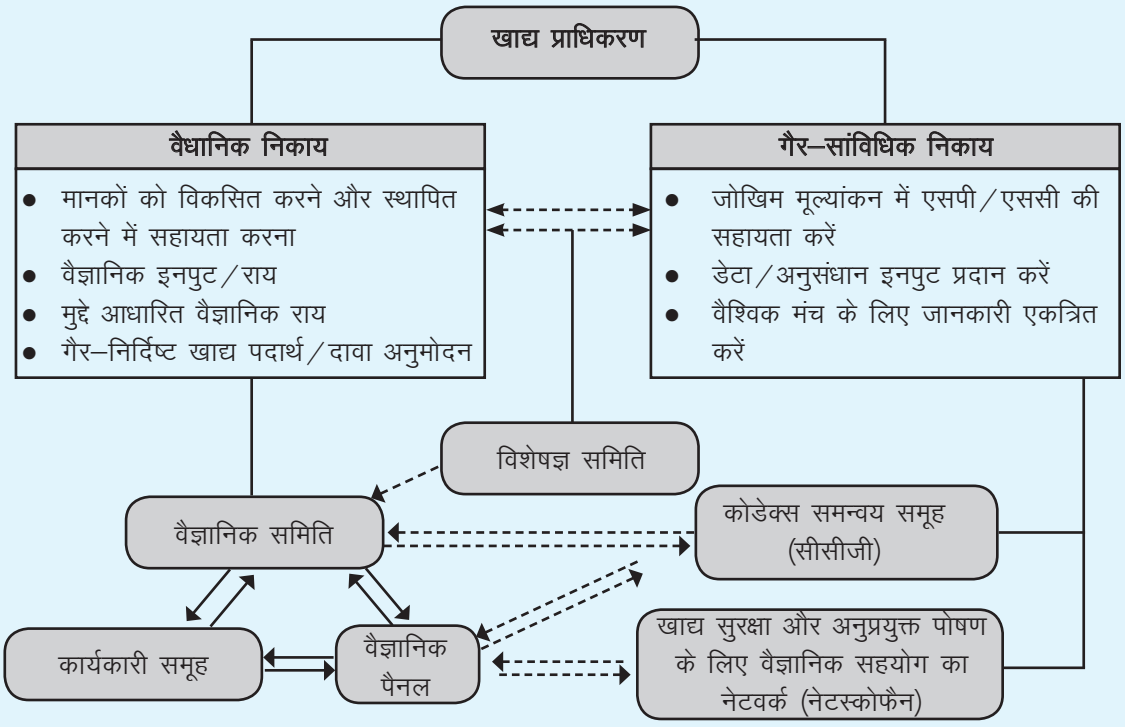

3.2 वैज्ञानिक समिति

3.2.1 एफएसएस अधिनियम की धारा 14 में वैज्ञानिक पैनल के अध्यक्षों तथा छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञों, जो किसी भी वैज्ञानिक पैनलों से संबद्ध न हों, को शामिल करते हुए एक वैज्ञानिक समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति पर खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक मत प्रदान करने, वैज्ञानिक राय की संगतता सुनिश्चित करने तथा विशेष रूप से वैज्ञानिक पैनलों की कार्य प्रक्रियायों को अपनाने और

कार्य पद्धतियों में सामंजस्य बैठाने हेतु सामान्य समन्वय का दायित्व होता है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के दायरे में आने वाले बहु–क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय देती है तथा ऐसे मुद्दों पर कार्यकारी समूहों का गठन करती है जो उन वैज्ञानिक पैनलों में से किसी पैनल के दायरे में नहीं आता है। वैज्ञानिक समिति अपने सदस्यों में से किसी एक का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती हैं।

3.2.2 वर्ष 2020–21 के दौरान वैज्ञानिक समिति की तीन बैठकें दिनांक 11 अगस्त, 2020 (35वीं बैठक), 25 नवम्बर, 2020 (36वीं) एवं 18 फरवरी, 2021 (37वीं) को हुई थी।

3.3 वैज्ञानिक पैनल

3.3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 में विषय विशिष्ट वैज्ञानिक पैनलों को स्थापित करने का प्रावधान है जिसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं। वैज्ञानिक पैनल जोखिम मूल्यांकन निकाय के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी सुविचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।

3.3.2 खाद्य प्राधिकरण नए सदस्यों को जोड़कर अथवा विद्यमान सदस्यों को हटाकर अथवा पैनल के नाम में बदलाव कर, जैसा भी मामला हो, इन वैज्ञानिक पैनलों को पुनर्गठित करने के लिए सक्षम है। वैज्ञानिक पैनल अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं।

3.3.3 वर्ष के दौरान कार्य कर रहे 21 विषय विशिष्ट वैज्ञानिक पैनलों की सूची निम्नलिखित हैः–

- कार्यमूलक खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, आहार संबंधी उत्पाद और अन्य सदृश्य उत्पाद
- प्रतिचयन और विश्लेषण की पद्धती
- खाद्य सहयोज्य, सुवासकरी पदार्थ, प्रसंस्करण सहाय्य और खाद्य संपर्क सामग्री
- खाद्य श्रृंखला में संदूषण
- जैविक खतरा
- कीटनाशी अवशिष्ट
- लेबलिंग और दावे/विज्ञापन
- जीन परिवर्तित जीव एवं खाद्य पदार्थ
- मछली एवं मत्स्य उत्पाद
- पोषण एवं सुदृढ़ीकरण
- मिठाई, मिष्ठान, मधुरक, चीनी और शहद
- जल (सुवासित जल सहित) एवं पेय पदार्थ (अल्कोहल रहित)
- तेल एवं वसा
- दुध एवं दुग्ध उत्पाद
- माँस एवं माँस उत्पाद (पोल्ट्री सहित)

- अनाज, दाल, फली व उनके उत्पाद (बेकरी सहित)
- फल एवं सब्जी एवं उनके उत्पाद (सुखे फल एवं मेवे समेत)
- एंटिबायोटिक अवशेष
- मसाले और पाक्य जड़ी बूटी
- पैकेजिंग
- अलकोहलीय पेय पदार्थ

3.3.4 वर्ष के दौरान ये वैज्ञानिक पैनल एक से अधिक अवसरों पर मिले तथा विचाराधीन मामलों पर चर्चा करने के लिए इनकी कुल 62 बैठकें हुई।

3.4 विशेषज्ञ समिति

3.4.1 जैविक खाद्य विनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जैविक खाद्य पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिसने वर्ष के दौरान तीन बैठकें (6ठीं से 8 वीं) की।

3.4.2 खाद्य में सुरक्षा एवं प्रभाव संबन्धित डाटा उत्पन्न करने हेतु मानव हस्तक्षेप अध्ययनों के लिए खाद्य कारोबारियों को अनापत्ति/पूर्व नियामक निकासी जारी करने हेतु क्रियाविधी विकसित करने के लिए दिनांक 14 सितंबर, 2020 के द्वारा जारी किए गए आदेश से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसने क्रमशः दो बैठकें (पहली एवं दूसरी) 23 नवंबर, 2020 एवं 26 मार्च, 2021 को की।

3.5 कार्यकारी समूह

3.5.1 वैज्ञानिक समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद कार्यकारी समूह गठित करती है। इनका कार्य विशिष्ट मुद्दों या ऐसे मामलों को देखना होता है जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। अथवा, एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के अंतर्गत आने वाले बहुक्षेत्रीय मुद्दों पर राय देने के लिए भी इनका गठन होता है। कार्यकारी समूहों को गठन करते समय वैज्ञानिक समिति संदर्भ की शर्तों (टीओआरएस) को निश्चित करता है और समय–सीमा का भी उल्लेख करता है, जिसके अंतर्गत उसे कार्य पूरा करना है। वैज्ञानिक समिति ऐसे कार्यकारी समूहों के कार्यो का समन्वय भी करता है। वैज्ञानिक पैनलों एवं वैज्ञानिक समितियों के सदस्यों में से ही कार्यकारी समूहों के सदस्य चुने जाते हैं परन्तु इनमें संबंधित बाहरी विशेषज्ञ भी हो सकते है जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति का हिस्सा नहीं है। हाँलाकि किसी भी कार्यकारी समूह में ऐसे बाहरी विशेषज्ञ समूह के कुल सदस्य के 50% से अधिक नहीं हो सकते। कार्यकारी समूह के अध्यक्ष की नियुक्ति वैज्ञानिक समिति द्वारा वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों में से ही की जाती हैं।

3.5.2 वर्तमान में निम्नलिखित कार्यकारी समूह कार्यरत हैं:–

❖ एफ.एस.एस.आर के अंतर्गत आने वाले विटामिन व मिनरल तथा अन्य पोषण संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने वाला कार्यकारी समूह। इसने एफ.एस.एस.आर में वर्णित विटामिन व मिनरल के मानकों पर विचार किया है।

- खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम 2018 के अंतर्गत प्राकृतिक और/या कृत्रिम स्रोत्रों से प्राप्त विटामिन और खनिज की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता की समीक्षा हेतु कार्यकारी समूह। इसने वैज्ञानिक समिति द्वारा संस्तुत अमूल के प्रतिवेदन पर विचार किया।
- न्युट्रास्युटिकल्स विनियम के अंतर्गत आने वाले संघटकों एवं उत्पादों के विश्लेषण की पद्धती पर कार्य कार्य करने वाला कार्यकारी समूह। इस का गठन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 के अंतर्गत संघटकों/उत्पादों के विश्लेषण पद्धतियों के संदर्भ में उठने वाली चिंताओं पर विचार करने के लिए हुआ।
- प्रसंस्करण सहाय्य पर कार्यकारी समूह। इसका कार्य उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे अथवा किए जाने की संभावना वाले प्रसंस्करण सहाय्य की पहचान करना और संस्तुति करना, अवशेष स्तर के बारे में सिफ़ारिश करना, प्रसंस्करण सहाय्य के रूप में उपयोग होने वाले जीन परिवर्तित स्तोत्रों से प्राप्त किणवक के बारे में संस्तुति करना है।
- खाद्य रंगों के जोखिम मूल्यांकन के लिए कार्यकारी समूह। इस का कार्य खाद्य रंगों का जोखिम विश्लेषण और शब्दावली, वर्तमान अनुमत सीमाएं, तथा खाद्य रंगों के मौजूदा मानकों की समीक्षा करना है।
- सज्जी खर के विनिर्माण की ऑनसाइट परीक्षा, संघटकों का जोखिम विश्लेषण, तथा प्रस्तावित मानक की सिफारिशों के साथ मोनोग्राफ को तैयार करने के लिए कार्यकारी समूह।
- कोशिका आधारित मांस (कलचर्ड मांस) के लिए संभावित विनियमिक मार्ग विकसित करने की दिशा में समझ के लिए कार्यकारी समूह।
- सभी खाद्य श्रेणी एवं उप श्रेणी में वसा, चीनी, नमक की सीमा की समीक्षा के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग कार्यकारी समूह।
- मत्सय एवं मत्स्य उत्पादों में फोरमेलडीहाइड संबंधित समस्याओं के अध्ययन और समीक्षा हेतु कार्यकारी समूह।
- सुवासकरी पदार्थों के सुरक्षी संबंधी मामलों का अध्ययन व समीक्षा और सुवासकारी पदार्थों की एक पॉज़िटिव सूची की संस्तुति के लिए कार्यकारी समूह।
- खाद्य सम्पर्क एवं पैकेजिंग उत्पादों मे 'फ्लूरोलकाईल'एवं पोलीफ्लूरोलकाइल उत्पादों (पीएफएएस) पर कार्यकारी समूह (इलेक्ट्रॉनिक डब्लू जी)। यह पीएफएएस पर उपलब्ध सभी वैज्ञानिक सूचनाएँ/डाटा संग्रह करेगा,तथा उन संग्रहित सूचनाओं पर एक पॉजीशन तैयार करेगा तथा पीएफएएस युक्त खाद्य सम्पर्क उत्पादों के प्रयोग के संबंध में सिफारिश करेगा।
- प्रसंस्करण सहाय्यो एवं खाद्य योजकों के मानकों के विकास के लिए कार्यकारी समूह।
- नेटस्कोफेन–एसपीजी के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों पर चर्चा करने हेतु कार्यकारी समूह

3.5.3 वर्ष 2020–21 के दौरान इनमें से कुछ कार्यकारी समूह ने अपने विषयों पर विचार करने के लिए एक से अधिक अवसरों पर बैठकें की जबकि इनमें से कुछ समूहों द्वारा अपना कार्य शुरू करना बाकी हैं।

3.6 गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य / खाद्य सामग्रीयों का अनुमोदन

3.6.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटक के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 खाद्य प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य (मालिकाना खाद्य को छोड़ कर) व खाद्य संघटकों को अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। इसमें नूतन खाद्य, नए खाद्य योजक एवं नए प्रसंस्करण सहाय्य तथा सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, खमीर, कवक और शैवाल सहित या इनसे प्राप्त खाद्य सामग्रियों सम्मिलित हैं। इन विनियमों में आवेदनों (विचाराधीन उत्पाद के बारे में पूर्ण रूप से सभी वैज्ञानिक इनपुट जो आवेदक द्वारा दिया जाएगा) के मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रावधान है।

3.6.2 शुरू में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी। तथापि, गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2020 के आदेश से 3 विशेषज्ञ समितियों की स्थापना की गई। आवेदनों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समितियों ने लगातार बैठकें कीं। वर्ष 2020–21 के दौरान गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य के 87 आवेदन प्राप्त हुए और 12 उत्पादों को अनुमोदन प्रदान किया।

3.7 दावों का अनुमोदन

3.7.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावें) विनियम, 2018 को इसलिए अधिसूचित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों और विज्ञापन में अतिशयोक्ति नहीं है तथा उपभोक्ता हित को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे दावों और विज्ञापनों के लिए खाद्य कारोबारों को जिम्मेदार बनाया जा सके। विनियम की विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट दावों को सचीबद्ध किया गया है, जिनको खाद्य कारोबारी बिना खाद्य प्राधिकरण की पूर्वानुमति के कर सकते हैं। तथापी, गैर–मानक दावों के अनुमोदन के लिए विशेषज्ञ समिति ऐसे आवेदनों (तथा दिये गये वैज्ञानिक सबूतों की) की जाँच करता है जो स्वास्थ्य और/या पोषण लाभ से संबंधित गैर–मानक दावे की पूर्वानुमति की मॉग करते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान स्वास्थ्य और/या पोषण लाभ से संबंधित गैर–मानक दावों की पूर्वानुमती हेतु 13 आवेदन प्राप्त हुए थे। उन आवेदनों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने दो बार बैठकें की।

3.8 वर्ष 2020–21 के दौरान प्रकाशित किए गए विनियम/संशोधन अधिसूचना/प्रारूप संशोधन अधिसूचनाएँ

3.8.1 वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित 3 अंतिम प्रमुख विनियम अधिसूचित किए गए :

- खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020
- खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020
- खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020

3.8.2 कुल मिलाकर उस अवधि के दौरान 30 अंतिम अधिसूचनाएँ ओर 19 प्रारूप अधिसूचनाएँ जारी की गई। वर्ष के दौरान अधिसूचित अंतिम अधिसूचनाओं की सूची सारणी 6 में दी गई है। वर्ष के दौरान अधिसूचित प्रारूप अधिसूचनाओं की सूची सारणी 7 में दी गई है। अभी तक एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रमुख विनियमों की पूरी सूची सारणी 8 में हैं।

3.9 खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क (नेटस्कोफेन)

3.9.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ई) खाद्य प्राधिकरण को प्राधिकरण के दायित्व के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहभागिता को तैयार करने और उसे प्रोत्साहित करने, सूचनाओं के आदान–प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन, दक्षता एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान का अनुदेश देता है। इस आदेश के पालन हेतु एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य एवं पोषण की दिशा में कार्य कर रहे अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। यह नेटवर्क ''खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण के वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क (नेटस्कोफेन)'' कहलाता है। इस नेटवर्क में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य कर रहे आठ संस्थानों का समूह सम्मिलित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है:–

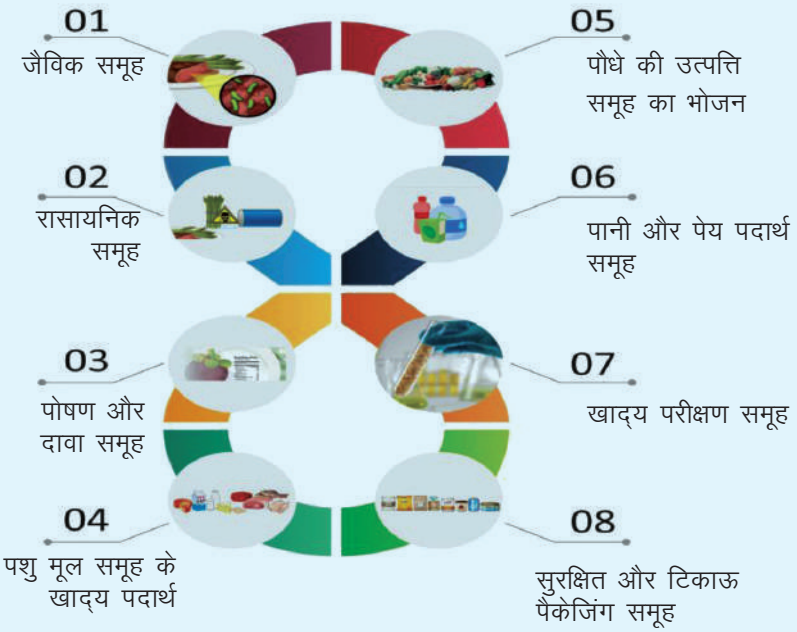

3.9.2 नेटस्कोफेन के मुख्य उद्देश्यों को नीचे संक्षेपित किया गया है –

- उपलब्ध ज्ञान को संग्रहीत करने के लिए एक वैज्ञानिक नेटवर्क तैयार करना एवं मानक विकास में उसका प्रयोग।
- हितधारकों को अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान से अवगत कराना।
- अनुसंधान अभिसरण के लिए एक पटल उपलब्ध करना ताकि दोहरेपन से बचा जा सके।
- देश में जोखिम मूल्यांकन क्षमता का सृजन करना, विशेषकर जोखिमों/प्रकोप को रोकने के लिए।

3.9.3 नेटस्कोफेन समूहों के मुख्य कार्यक्षेत्रः–

- संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान की संभावना की पहचान, अनुदान हेतु अनुसंधान प्रस्तावों को तैयार/मूल्यांकन करना तथा खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुदानित परियोजनाओं का पुर्नरावलोकन करना।

- अनुसंधान कार्य करना एवं उसे सुगम बनाना, सहयोग से सर्वेक्षण तथा अन्य संबंधित कार्याकलाप करना तथा परीक्षण सुविधाओं, इन्स्ट्रूमैनटेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नमूना एकत्र करने की विधियाँ एवं परिक्षण प्रोटोकॉल को साझा करना।

- जोखिम मूल्यांकन कार्यकलापों के लिए खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर एक डाटा बेस एकत्रित करना एवं विकसित करना ताकि मानक विकास में आसानी हो सके।

- वृहत स्कैनिंग करके संबंधित क्षेत्रों में मौजूदा एवं उभरते हुए खाद्य सुरक्षा जोखिमों एवं मुद्दों के बारे में जानकारी/डाटा एकत्रित करना और विश्लेषण करना।

3.10 अनुसंधान परियोजनाएँ

3.10.1 एफ.एस.एस.ए.आई के अधिदेश के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान की मौजूदा योजना तथा खाद्य सुरक्षा के उभरते अन्य मुद्दों/खाद्य गुणवत्ता व सुरक्षा हेतु सर्वेक्षण को प्राधिकरण की 30वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार अब नेटस्कोफेन ('खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुकत पोषण के वैज्ञानिक सहयोग के लिए नेटवर्क) के साथ जोड़ दिया गया है। उक्त योजना की मूल्यांकन एवं जाँच की समिति भी नए प्रस्तावों एवं चालू अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रथम स्तर की नेटस्कोफेन समूह संचालन समिति द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है जबकि राष्ट्रीय संचालन समिति (एन एस सी) ही नए प्रस्ताव व सर्वेक्षण को अनुमति देगा। एफएसकेएएन पोर्टल, जो नए प्रस्तावों तथा तत्काल में चल रहे परियोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी को जमा करने वाला ऑनलाइन तंत्र है, को भी नेटस्कोफेन वेबपेज के साथ जोड़ दिया गया है।

3.10.2 अभी तक एफ.एस.एस.ए.आई ने ईक्कीस संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को अनुदान दिया है, जिनमें से छः पूरे हो चुके है, राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा दस संपूर्ण परियोजनाओं का पुनरावलोकन किया गया तथा अंतिम समापन के लिए उनकी सिफारिश की गई एवं विभिन्न स्तरों पर पाँच परियोजना जारी हैं।

3.10.3 चालू पाँच अनुसंधान परियोजनाओं की सूची सारणी 9 में दी गई है। पूरी की गई दस अनुसंधान परियोजनाएँ, जिन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति ने दुबारा देख कर अंतिम समाप्ति की सिफारिश की है, की सूची सारणी 10 में है। छः पूर्ण/समाप्त अनुसंधान परियोजनाओं की सूची सारणी 11 में है।

3.10.4 नेटस्कोफेन के अंतर्गत आने वाले समूहों के क्रियाकलापों की समीक्षा व चालू अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति तथा नए परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति की दूसरी बैठक 19 एवं 20 जनवरी, 2021 को हुई थी।

3.11 स्पैन–कॉम का उद्घाटन

स्पैन–कॉम अपना नाम वैज्ञानिक पैनल (स्पैन) एवं समिति (कॉम) से ग्रहण करता है जो उन विशेषज्ञों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा जों वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनल एवं अन्य समिति से जुडते हैं क्योंकि वह एफ.एस.एस.ए.आई की कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया को नहीं जानते। यह दस्तावेज नए विशेषज्ञ सदस्यों को एफ.एस.एस.ए.आई कार्यकलापों की एक झाँकी प्रदान करेगा ताकि वे अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट हो जाएँ।

आकृति 4 – स्पैन–कॉम का उद्घाटन

3.12 एफ.एस.एस.ए.आई. और सी.एस.आई.आर. के बीच 07 अगस्त, 2020 को समझौता ज्ञापन

खाद्य एवं पोषण के संबंध में सहकार्य अनुसंधान तथा सूचना प्रसार हेतु एफ.एस.एस.ए.आई ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर 7 अगस्त, 2020 को हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन खाद्य सुरक्षा एंव पोषण अनुसंधान के क्षेत्र में विकसित जाने वाली प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी की पहचान को सम्भव बनाएगा। इसके साथ ही भारतीय व्यवसायों द्वारा उपयोग और/या विनियामक अनुपालकों हेतु सीएसआईआर के पास उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी की पहचान भी करेगा। यह खाद्य उपभोग, जैविक खतरों की घटनाएँ, खाद्य में संदूषकों, उभरते हुए खतरों की पहचान, उन्हें खत्म करने की रणनीति तथा तीव्र चेतावनी प्रणाली को लाने के संबंध में डाटा भी संग्रह करेगा। ये दोनों संगठन पूरे देश में प्रयोगशाला नेटवर्क के गुण्वत्ता आश्वासन को मजबूत करने की दिशा में परस्पर कार्य करेंगे। इस कार्य का लक्ष्य खाद्य उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर विश्वसनीय रिर्पोटिंग के लिए विधियों का विकास एवं मान्यता देना।

आकृति 5 – माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में एफ.एस.एस.ए.आई एवं सी एस आई आर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

3.13 मागदर्शी नोट

3.13.1 2020–21 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर निम्नलिखित मार्गदर्शी नोट तैयार व अपलोड किए गए:

- विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य पर मार्गदर्शी नोट (एफएसएमपी)
- मांस एवं पोल्ट्री की सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर मार्गदर्शी नोट
- बर्ड फ्लू प्रकोप के दौरान पोल्ट्री मांस एंव अंडो के सुरक्षित रख–रखाव, प्रोसेसिंग एवं उपभोग पर मार्गदर्शी नोट

3.13.2 अभी तक जारी किए गए सभी मार्गदर्शी नोट इस वेबसाइट पर उपलब्ध है–

https://www.fssai.gov.in/cms/guidance-notes.php

3.14 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वर्ष 2020–21 के दौरान नीचे दिए गए विनियमों पर अक्सर पूछे गए प्रश्न तैयार किए गए और एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर डाले गए–

- खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटीकल्स, विशेष आहारीय प्रयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन) विनियम, 2016
- जैविक खाद्य

- खाद्य उत्पादों पर विज्ञापन और दावे
- खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य एवं खाद्य सामग्रियों का अनुमोदन) विनियम, 2017

3.15 खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार इनफोलनेट (InFOLNet) संस्करण 2 को कार्य में लाने हेतु खाद्य उत्पादों को उनके परीक्षण मापदंडों के अनुसार (मैपिंग) मानचित्रीकरण।

3.15.1 एफ.एस.एस.ए.आई ने इनफोलनेट (भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क) का संचालन किया है। मूलतः इनफोलनेट निगरानी रखने वाला एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क है, जिसका लक्ष्य प्रयोगशालाओं में आवंटित सैपंल के सभी विवरण पर नज़र रखना तथा विभिन्न स्तरों पर नमूना परीक्षण की प्रक्रिया को एकीकृत करना व सैम्पलिंग और खाद्य सामग्रियों की परीक्षण पद्धतियों का सरलीकरण करना है।

3.15.2 इनफोलनेट संस्करण 2 के माध्यम से खाद्य सामग्रियों के परीक्षण के उद्देश्य से एफ.एस.एस.ए.आई अपने अधिदेश के तहत उनके विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार मैपिंग की। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किए गए इस कार्य में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखा गया। यह डाटा सिस्टम में अपलोड कर दिया गया है तथा इनफोलनेट संस्करण 2 परिचालित कर दिया गया है।

सारणी 6 – 2020–21 के दौरान अधिसूचित अंतिम विनियमों की सूची

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो मांस, दुग्ध, फलों एवं सब्जियों के जीवाणुतत्व मानकों के संबंध में तथा पोल्ट्री (मुर्गी) मांस में सालमोनिला की आवश्यकता के बारे में है।	23.06.2020
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2020 जो डिब्बाबंद एवं रिटोर्ट पाउच मांस उत्पादों, विखंडित या पुर्नगठित मांस उत्पादों, क्योंर किया हुआ या आचारीय, पका हुआ एवं स्मोक्ड मांस उत्पादों या दोनों, सूखें एवं जलरहित मांस उत्पादों, पूर्ण रूप से पके हुए या अधपके मांस उत्पादों, ताजे या ठंडे या शीतित खरगोश के मांस, मसालेदार मांस उत्पादों, खमीरयुक्त मांस उत्पादों से संबंधित है।	09.07.2020
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो गेहूँ चोकर व खमीर रहित सोयाबीन उत्पादों के संबंध में है।	09.07.2020
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) तृतीय संशोधन विनियम, 2020 जो चावल, चीआ बीज, गारी (कसावा उत्पाद), खाने योग्य कसावा आटा, भूना हुआ चना–सत्तु, रागी का आटा, बादाम की गिरि, नारियल दुध पाउडर (गैर–डेयरी), मिश्रित मसाला पाउडर, मसाला ओलियोरेसिन, तेजपत्ते, चक्र फूल और फोटास्टेनोल के मानकों से संबंधित है	09.07.2020

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
5.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो वेंडिग मशीन द्वारा कृत्रिम मिठास वाले पेय पदार्थों की बिक्री के संबंध में है।	21.07.2020
6.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो तीव्र विश्लेषनात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपकरण या पद्धति के संबंध में है।	21.07.2020
7.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पाँचवाँ संशोधन विनियम, 2020 जो जमें हुए बीनस, जमी हुई फूलगोभी, जमें हुए मटर एवं जमें हुए पालक के मानकों के निर्धारण के संबंध में है।	23.07.2020
8.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो धातु संदूषकों, अफ्लाटॉक्सीन एवं माइकोटॉक्सीन की सीमा के संबंध में है।	07.08.2020
9.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 जो खाद्य सेवा स्थापन में सूचना के प्रदर्श के संबंध में है।	21.08.2020
10.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) छठा संशोधन विनियम, 2020 जो कम लेक्टोज/लेक्टोज रहित दूध एवं डेयरी परमीएट पाउडर के नए मानक एवं मोजरेला चीज़ की परिभाषा के संबंध में है।	02.09.2020
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020।	04.09.2020
12.	परिशिष्ट ए एंव विनियम 3.1 में संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) सातवाँ संशोधन विनियम, 2020।	16.09.2020
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) प्रथम संशोधन विनियम 2020 जो खाने योग्य खाद्य वनस्पति तेलों के दावों के संबंध में है।	09.10.2020
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) आँठवा संशोधन विनियम 2020 जो अतिरिक्त सहयोज्य (सोरबीटेन मोनोसटियरेट) के प्रावधान और मसालों के लिए जीवाणुतत्व के बारे में है।	09.10.2020
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) नौवा संशोधन विनियम, 2020 जो प्रसंस्करण सहाय्य के संबंध में परिशिष्ट 'सी' की प्रविष्टि के संबंध में है।	09.10.2020
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो विनियम व अधिसूचना में उल्लेखित दो प्रयोगशाला समूहों में गैर–अनुरूपता को समाप्त करने एवं खाद्य नमूनों के लिए जाँच शुल्क से संबंधित धारा के संबंध में है।	15.10.2020

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
17.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2020 जो कुछ खाद्य उत्पादों के लिए आवश्यक एग्मार्क प्रमाणपत्र हटाने के संबंध में है।	20.10.2020
18.	खाद्य सुरक्षा एवं मानका (आयात) पहला संशोधन विनियम,2020	20.10.2020
19.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो अप्रयुक्त/ताजे खाद्य तेल/वसा में कुल ध्रुवीय यौगिकों की सीमा के संबंध में है।	26.10.2020
20.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020	17.11.2020
21.	खाद्य सुरक्षा ओर मानकों (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020	04.12.2020
22.	खाद्य सुरक्षा ओर मानकों (खाद्य सुदृढीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2020	18.12.2020
23.	खाद्य सुरक्षा ओर मानकों (अल्कोहलीय पेय) पहला संशोधन विनियम, 2020	18.12.2020
24.	खाद्य सुरक्षा ओर मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) दसवां संशोधन विनियम, 2020 जो निम्न के बारे में है: i. बेलियर टेस्ट हटाना ii. ट्रांस फेट में कमी iii. तना युक्त चेरियाँ iv. संसाधित फलों का रस v. संसाधित सब्जियों का रस vi. काजु की गिरि vii. कलरिंग फूड्स viii. 2.5.1 मे दी गई परिभाषा ix. जानवरों के आवरण x. जमे हुए अंडे के उत्पाद xi. अंडे का पाउडर xii. तरल अंडा उत्पाद xiii. आचारीय अंडे xiv. पेस्चराइज्ड मत्स्य सॉसेज xv. पेस्चराइज्ड केकड़े का मांस xvi. मछली संसाधित अपशिष्ट से निकली हुई जिलेटिन xvii. बेकिंग पाउडर xviii. सिंघाड़े का आटा xix. फलों एवं सब्जियों में टी.एस.एस की मात्रा	29.12.2020
25.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 जो चने/दालों में खेसारी दाल की आकस्मिक मोजूदगी से संबंधित है।	12.01.2021

क्रम. सं.	अंतिम विनियमन	अधिसूचना की तिथि
26.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) प्रथम संशोधन विनियम, 2021 जो वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्यकारी समूह की बैठक में कोरम में बदलाव तथा संबंधित वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष के परामर्श से एजेंडा तैयार करने से संबंधित है।	13.01.2021
27.	खाद्य सुरक्षा और मानकों (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की सीमाओं से संबंधित है।	02.02.2021
28.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) पहले संशोधन विनियम, 2021 जो विनियम 2.3– फल एवं सब्जी उत्पादों के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है – (क) 2.3.6 के अंतर्गत "संसाधित फलों के रस" में मोंक फल के मानक की प्रविष्टि (ii) विनियम 2.4–अनाज एवं अनाज उत्पादों में संसोधनः (1) बिस्कुट (2) ब्रेड एवं ब्रेड समान उत्पाद (3) ज्वार (सोरगम अनाज) (4) मैदा (परिष्कृत गेंहूँ का आटा) (5) सेमोलिना (सूजी या रवा) (6) नाश्ता अनाज (7) बाजरे का आटा (8) ज्वार का आटा (iii) विनियम 2.8 –शहद समेत सभी मीठे घटकों का संशोधन (क) शर्करा (सुक्रालोज) (iv) विनियम 2.9–नमक, मसाले, मसाले और संबंधित उत्पादों में संशोधन (क) जीरा (साबूत एवं पाउडर) (ख) लौह सुदृढ़ सामान्य नमक (ग) सूखे हुए थाइम (अ) विनियम 2.14 एवं 2.15–ग्लूटन रहित खाद्य एवं विशेषकर ऐसे संसाधित खाद्य जो ग्लूटेन का स्तर घटाकर 20–100 एम/केजी करें से संबंधित संशोधन (क) ग्लूटेन रहित एवं निम्न ग्लूटेन उत्पाद मानक का पुनरावलोकन (vi) अध्याय 3 में संशोधन : खाद्य में मिलाए गए घटकों	04.03.2021
29.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 –सरसों तेल में सम्मिश्रण पर प्रतिबंध हेतु।	08.03.2021
30.	एफ.एस.एस (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021 जो शिया बटर एवं बीर्नियो टेलो के मानकों के संबंध में है।	18.03.2021

सारणी 7 – 2020–21 वर्ष के दौरान अधिसूचित मसौदा विनियमों की सूची

क्रम सं.	मसौदा विनियम	को अधिसूचित
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो डेयरी एनालॉग के नए मानकों तथा घी व अन्य दुग्ध वसा उत्पादों के मानकों में परिवर्तन से संबंधित है।	21.07.2020
2.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 जो चने/दालों में खेसारी दाल की आकस्मिक मोजूदगी से संबंधित है।	23.07.2020
3.	खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो शिया बटर एवं बोर्नियो टेलो/इलिपि बटर के मानकों से संबंधित है।	27.07.2020

क्रम सं.	मसौदा विनियम	को अधिसूचित
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2020 जो कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा व जीवाणुनाशक एवं आविषों की सहन सीमा से संबंधित है।	20.08.2020
5.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020 जो वैज्ञानिक समिति या वैज्ञानिक पैनल या कार्यकारी समूह की बैठक में कोरम में बदलाव तथा संबंधित वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष के परामर्श से एजेंडा तैयार करने से संबंधित है।	27.08.2020
6.	खाद्य सुरक्षा एवं मानकों (विक्रय पर प्रतिशेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 जो गैर–खाद्य बर्फ में 10 पीपीएम तक के इण्डिगों क्रेमाइन या ब्रिलियंट ब्लू मिलाने के प्रस्ताव से संबंधित	27.08.2020
7.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो सोय सॉस, अखरोट की गिरि, अंगूर बीज का तेल, आयातीत निष्काषित तेल को परिष्कार होने से बचाना, काली मिर्च, सूख सेज, खमीरयुक्त खोय उत्पाद, ओट उत्पादों इत्यादि से संबंधित है।	27.08.2020
8.	खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) संशोधन विनियम, 2020	27.08.2020
9.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020 जो ऐसे खाद्य जिनमें मधुरक अनुमत हो के पैकेज पर लेबल घोषणाओं के पुनरीक्षण संबंधित में है।	16.09.2020
10.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2020 जो कच्चे खाद्य तेल, विभिन्न स्रोत खाद्य वनस्पति तेल, सूखी सब्जियाँ, प्रोटीन से भरपूर आटा, मल्टीग्रेन आटा, मिश्रित बाजरे का आटा के मानकों व शहद के संशोधित मानकों, पशुचारे की जरूरतें, सुखी मीठी तुलसी, हेम्प बीज, ठंडी चाय में खाद्य सहयोजयों का उपयोग, खाद्य अनाज के लिए सूक्ष्मजैविक मानकों इत्यादि से संबंधित है।	26.10.2020
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) संशोधन विनियम 2020,	29.10.2020
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य दृढ़ीकरण) संशोधन विनियम, 2020 जो सुदृढ़ीकृत दुग्ध पाउडर के मानकों से संबंधित है।	10.11.2020
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2020 जो विदेशी खाद्य विनिर्माण सुविधाओं के निरीक्षण एवं पंजीकरण की प्रविष्टि से संबंधित है।	10.11.2020

क्रम सं.	मसौदा विनियम	को अधिसूचित
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकंजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2020 जो विभिन्न स्रोत खाद्य वनस्पति तेल की लेबलिंग के संबंध में है।	10.11.2020
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 जो सरसों तेल में सम्मिश्रण पर प्रतिबंध के संबंधित में है।	10.11.2020
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2020।	17.11.2020
17.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य दृढ़ीकरण) संशोधन विनियम, 2020 जो भारत में खाद्य तेल एवं दुध के दृढीकरण को आवश्यक बनाने हेतु है।	04.12.2020
18.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2021 जो पानी के लिए अपारदर्शी पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के संबंध में है।	18.01.2020
19.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2021 जो शत प्रतिशत निर्यातों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन या बंद उपयोग के लिए आयातीत खाद्य के सैंपलिंग के संबंध में है।	04.03.2020

सारणी 8 एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रमुख विनियमों की सूची जो वर्तमान में लागू है

क्रम सं	वर्तमान में लागू प्रमुख विनियम
I	**खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम**
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम, 2011.
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011.
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011.
4.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011.
5.	खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011.
6.	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011.
7.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियमावली, 2016.
8.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याहवान प्रक्रिया) विनियम, 2017.
9.	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017.

क्रम सं	वर्तमान में लागू प्रमुख विनियम
10.	खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर–विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017.
11.	खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017.
12.	खाद्य सुरक्षा और मानक (अलकोहलीय पेय) विनियम, 2018.
13.	खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018.
14.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018.
15.	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018.
16.	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018.
17.	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018.
18.	खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुनः प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019.
19.	खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020.
20.	खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020.
21.	खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020.
II	**कार्यों का निर्वाह विनियम**
1.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010.
2.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के लिए संव्यवहार के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010
3.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016
III	**प्रशासनिक विनियम**
1.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013.
2.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति) विनियम, 2018.
IV	**नियम**
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011
2.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2008.

सारणी 9 – वर्तमान में चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट रुपय (लाख में) एवं अवधि
1.	खाद्य सुरक्षा एवं गुण्वत्ता आश्वासन के लिए मत्सय खाद्य प्रमाणीकरण के लिए आविक उपकरण एवं मानक प्रोटोकॉल का विकास।	आईसीएआर–केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	29.12 02 वर्ष
2.	अंगुरों के साधारण संसाधित उत्पादों का पोषण संबंधी गुण एवं सुरक्षा मूल्यांकन।	आईसीएआर–राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, पुणे	30.74 02 वर्ष
3.	संसाधित मांस में कार्सीनोजेनिक एवं म्युटाजेनिक यौगिकों का आंकलन।	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	50.00 02 वर्ष
4.	भारतीय तट के समानान्तर फीनफीस एवं सेलफीस प्रजातियों में भारी धातु की निगरानी करना तथा उसे दूर करने के संभावित उपाय।	आईसीएआर–केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	50.00 02 वर्ष
5.	चॉकलेट एवं कोको उत्पाद में भारी धातुओं के उपस्थित डाटा के लिए अल्पावधी अध्ययन।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उधमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम, सोनीपत	36.97 40 दिन

सारणी 10 – पूरी हो चुकी अनुसंधान परियोजनाएँ जिन्हें राष्ट्रीय संचालन समिति ने पुनरावलोकन कर अंतिम समाप्ति की सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया है

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट रुपय (लाख में)
1.	भारत के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में ऊष्मा प्रेरित खाद्य विषैले पदार्थ– एकरायलमाइड का पाया जाना, इसे कम करने की कार्यनीति और स्वास्थ्य जोखिम।	आईसीएआर–राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (नीस्ट)	27.68
2.	सोयाबीन में कुनिट्ज किप्सिन इनहिबिटर एवं फाईटिक एसिडः व्यावसायिक क़िस्मों का आकलन और प्रोफाइलिंग, भारत में जर्मप्लाज्म एवं सोय आधारित उत्पादों की संभावना पूर्ण किस्में।	आईसीएआर–भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर	37.80

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट रुपय (लाख में)
3.	खाद्य उद्योग में खट्टे फलों के संभावित अनुप्रयोग के लिए उनके कार्यात्मक घटक एवं ऑक्सीकरण रोधी (एंडीऑक्सीडेंट) का विश्लेषण।	आईसीएआर–केन्द्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर	35.84
4.	तलते समय वनस्पति तेलों की गुणवत्ता का आकलन और बार बार तलने के लिए तेलों के लिए सुरक्षा दिशा–निर्देश तैयार करना।	आईसीएआर–भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	22.92
5.	रासायनिक संरचना में परिवर्तन और कृत्रिम पकाने वाले रसायनों के अवशेषों की पहचान के लिए विभिन्न कृत्रिम फल पकाने वाले रसायनों के साथ कृत्रिम रूप से पके फलों का तुलनात्मक अध्ययन।	आईसीएआर–भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	26.16
6.	मांस में खराब गुणवत्ता वाले मांस के अपमिश्रण की जाँच के लिए प्रजातियों की पहचान।	आईसीएआर–राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	40.50
7.	विभिन्न क्षेत्रों में खाने योग्य वनस्पति तेल में कीटनाशक अवशेष व धातु संदूषकों पर डाटा तैयार करना।	आईसीएआर–भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	29.12
8.	ट्राइग्लिसराइड व फैटी एसिड संरचना और लघु घटक आधारित मिश्रित, इंटेरेस्टेफाइड़ तथा अपमिश्रित तेलों में तेलों की पहचान एवं परिमाण ान हेतु नवीन पद्धतियों का विकास	लिपिड विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, आईसीएसआर भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिक संस्थान, हैदराबाद	26.16
9.	बाजार में उपलब्ध विभिन्न हर्बल उत्पादों के लिए संदूषण और प्रतिस्थापनिकत उत्पाद की पहचान के लिए डीएनए बार कोडिंग अनुप्रयोग	सीएसआईआर–उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, असम	50.00
10.	गाय के दूध के अलावा गोजातीय दूध में दूध वसा की शुद्धता के निर्धारण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (ISO) 17678:2010 में दिए गए जी. सी। (GC) जाँच विधि की मान्यता एवं मानकीकरण करना।	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	31.64

सारणी 11 – पूरे किए गए/बंद अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	बजट में स्वीकृत होने वाले रुपय (लाख में) एवं अवधि
1.	मानव स्वास्थ्य पर खेसारी दाल के संपूर्ण प्रभाव का आकलन	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	03.50
2.	बकरियों में प्रायोगिक लेथरीज्म	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	45.21
3.	भारत में संसाधित एवं असंसाधित खाद्य के उपभोग का आंकलन	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	01.73
4.	मत्स्य और मात्स्यिकी परियोजनाओं में कीटनाशक और एण्टीबायोटिक अवशिष्ट एमआरएल के निर्धारण के लिए ढ़ाँचा तैयार करना	आईसीएआर– केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	0.1.30
5.	ताजे/पैक किए हुए/बोतल बंद कोमल नारियल पानी में रसायनिक संदूषणों का आकलन	फूड एंड ड्रूग टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेन्टर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आई. सी.एम.आर.), हैदराबाद	14.09
6.	सब्जियों में धातुओं के संदूषकों (लोह, सीसा, तांबा, कैडमियम, क्रोमियम, मैगनीज, निकल और जस्ता) पाये जाने पर आधारभूत डाटा तैयार करने के लिए अध्ययन।	सहयोगी परियोजना :– (i) निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, नई दिल्ली (ii) पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्युबेटर, मोहाली (iii) निर्यात निरीक्षण एजेन्सी (ईआईए)– कोलकाता प्रयोगशाला (iv) ईआईए–मुम्बई प्रयोगशाला (v) ईआईए–चैन्नई प्रयोगशाला (vi) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, राईचुर	99.00

अध्याय-4

खाद्य सुरक्षा अनुपालन

4.1 लाइसेंसिंग/पंजीकरण

4.1.1 देश में सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत किसी भी खाद्य पदार्थ के कारोबार को आरंभ करने या जारी रखने के लिए पंजीकृत कराना होता है अथवा लाइसेंस लेना होता है। खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस प्रदान करने अथवा उनका पंजीकरण करने के लिए प्रक्रिया का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय लाइसेंस, राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं या पंजीकरण किए जाते हैं। केन्द्रीय या राज्य लाइसेंस के मामले में, किसी स्थान विशेष जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, पर विभिन्न प्रकार के खाद्य कारोबारों के लिए विशिष्ट लाइसेंस संख्या दी जाती है। खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य उत्पादों का क्रय या विक्रय केवल लाइसेंसशुदा/पंजीकृत विक्रेताओं से ही करना अपेक्षित होता है और उनका रिकार्ड रखना होता है।

4.1.2 केंद्रीय अथवा राज्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए पात्रता संबंधी मानदंड एफ.एस.एस.ए.आई वैब लिंक https://foscos.fssai.gov.in/assets/docs/KindofBusinessEligibility.pdf पर उपलब्ध हैं।

4.1.3 इस संबंध में किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले एफबीओ की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2021 तक, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (सीएलए) द्वारा खाद्य कारोबारियों को 84,970 केंद्रीय लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। इसी प्रकार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा 17,07,190 लाइसेंस और 74,65,125 पंजीकरण जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में राज्य लाइसेंस में लगभग 31% और पंजीकरण में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। केंद्र/राज्य लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण में हुई वर्ष–वार प्रगति सारणी 12 में दी गई है।

सारणी 12 – केन्द्रीय/राज्य लाइसेंस जारी करने और पंजीकरण करने में हुई वर्षवार प्रगति

वर्ष	केन्द्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस	पंजीकरण
2013–2014	14,610	4,66,057	20,73,405
2014–2015	19,250	5,52,113	23,78,082
2015–2016	24,917	7,08,664	27,64,600
2016–2017	30,413	7,92,780	30,39,762
2017–2018	37,405	7,83,832	31,90,371
2018–2019	46,851	10,44,992	47,97,997
2019–2020	58,538	12,99,887	61,46,239
2020–2021	84,970	17,07,190	74,65,125

आकृति 6 – गत वर्षों में लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में परिलक्षित परिवर्तन को दर्शाने वाला रेखाचित्र

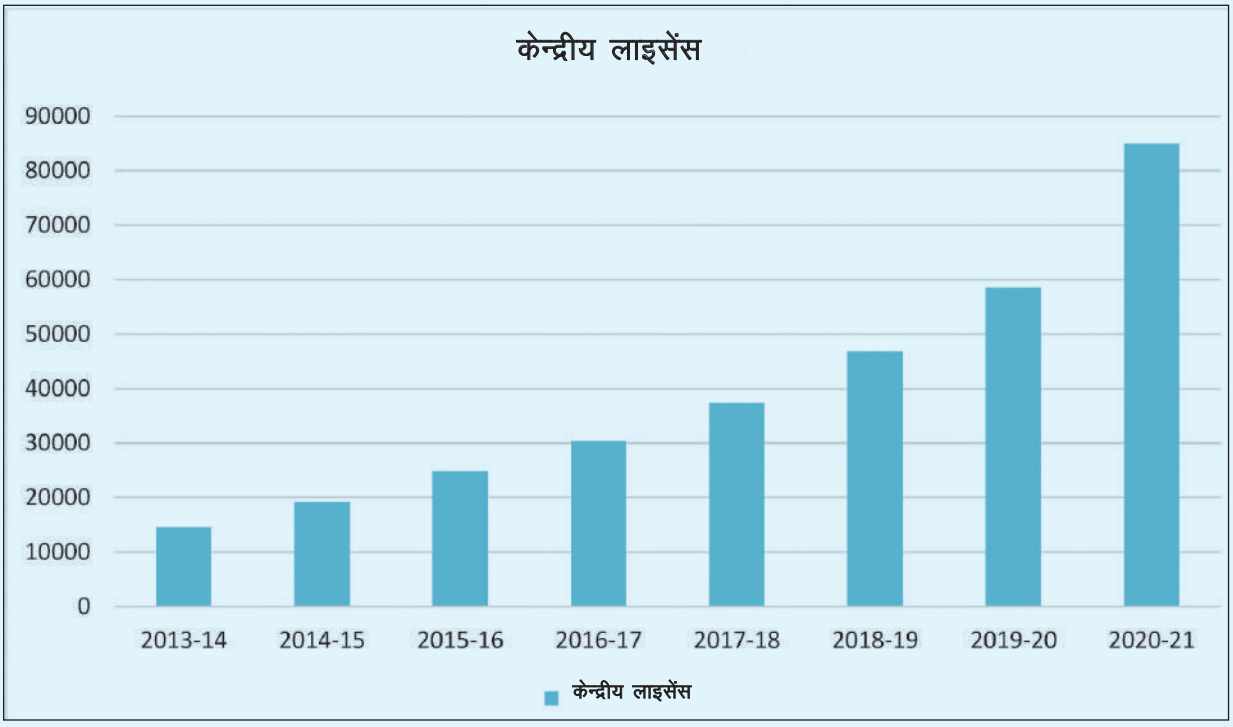

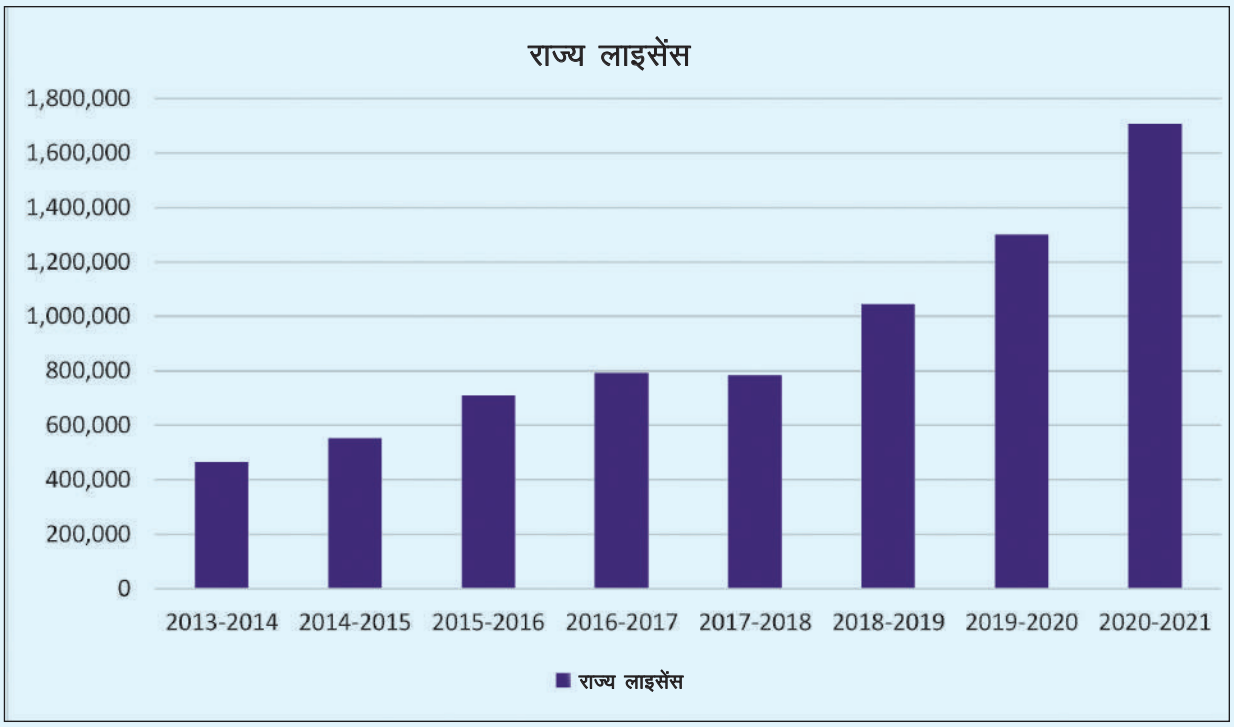
राज्य लाइसेंस
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
राज्य लाइसेंस

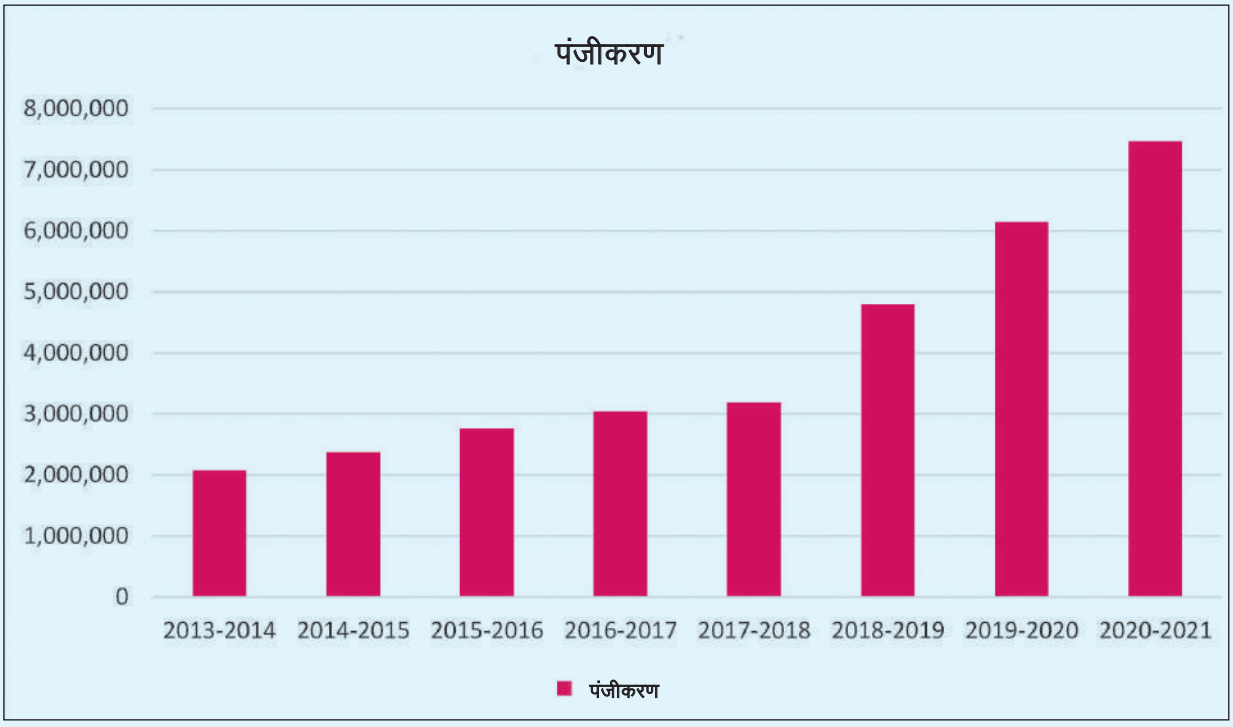
पंजीकरण
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
पंजीकरण

4.1.4 खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के तहत डिजिटल मित्र योजना का उद्देश्य कम लागत पर मानकीकृत डोर–स्टेप सेवाओं की पेशकश करके एफएसएसएआई पंजीकरण/लाइसेंस के लिए अपना आवेदन दाखिल करने में खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) की सहायता करने वाले सुविधाकर्ताओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है। प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए पंजीकृत 12,640 व्यक्तियों में से 31 मार्च, 2021 तक 761 डिजिटल मित्र ने सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी की और प्रमाणित किए गए।

4.2 फोस्कोस

4.2.1 2012 में शुरू की गई, खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस), एफबीओ को लाइसेंस प्रदान करने और पंजीकरण के लिए प्रमुख सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में से एक थी और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालन में थी। इसके अलावा, भारतीय रेलवे के सभी 16 क्षेत्रों में एफएलआरएस प्रणाली शुरू की गयी थी। एफबीओ और नियामक कर्मचारियों से प्राप्त इनपुट और फीडबैक के आधार पर, लाइसेंसिंग और पंजीकरण से संबंधित विनियमों और आईटी प्लेटफॉर्म दोनों में कई अंतरालों की पहचान की गई थी। प्राप्त फीडबैक व खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यापार करने में आसानी के संबंध में सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए थे और एफएसएस (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2011 का मसौदा 17 नवंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया और हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां को समेकित किया गया हैं। इसके साथ–साथ, एफएलआरएस ऑनलाइन प्रणाली के स्थान पर 01 नवंबर, 2020 से पूरे देश में नए रूप में खाद्य सुरक्षा और अनुपालन ऑनलाइन प्रणाली (फोस्कोस) प्रारंभ की गई है।

4.2.2 फोस्कोस उन्नत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ क्लाउड आधारित सर्वर पर कार्य करता है और मौजूदा एफएलआरएस पोर्टल के धीमेपन की प्राप्त शिकायतों का हल करता है। फोस्कोस में अनिवार्य रूप से एफएलआरएस के समान प्रवाह होता है, ताकि उपयोगकर्ताओं को फोस्कोस का उपयोग करने में सुविधा हो। प्रमुख परिवर्तन निर्माताओं के लिए लाइसेंस देने की पद्धति है जो अब मानकीकृत उत्पाद सूची पर आधारित होगी। कारोबारों के प्रकारों के संदर्भ में अनिवार्य दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाया गया है और दस्तावेज आधारित कई घोषणाओं को ऑनलाइन घोषणा के रुप में बदला गया है जिससे खाद्य कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान होगा। फोस्कोस की परिकल्पना खाद्य सुरक्षा के लिए वन–स्टॉप 'अनुपालन पोर्टल' के रूप में की गई है और भविष्य में, कार्यात्मक जरूरतों के लिए और अधिक मॉड्यूल एकीकृत कर इसका और अधिक विकास किया जाएगा। कुछ मॉड्यूल जैसे ऑडिट मॉड्यूल, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, स्वच्छता रेटिंग आदि को पहले ही फोस्कोस के साथ एकीकृत किया जा चुका है। फोस्कोरिस ऐप 2.0 के नए संस्करण को भी फोस्कोस के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है जिससे निरीक्षणों में दक्षता और पारदर्शिता लायी गई है।

4.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना

4.3.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय VII में अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें खाद्य सुरक्षा आयुक्त के संस्थागत माध्यम से अपने–अपने क्षेत्राधिकार

में एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रवर्तन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन टीम में अभिहित अधिकारी (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) शामिल हैं। प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त (एफएससी) अपने अंतर्गत अभिहित अधिकारी और एफएसओ के माध्यम से अपने राज्य/संघ शासित प्रदेश में लाइसेंसिंग/ पंजीकरण और प्रवर्तन का कार्य करते हैं। न्यायनिर्णयन तंत्र में विशेष न्यायालयों और साधारण दीवानी न्यायालयों के अलावा न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) और अपीलीय न्यायाधिकरण शामिल हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण सारणी 13 में दिया गया है।

4.4 एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन

4.4.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन का कार्य मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का है। खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, प्रबोधन, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूने लेने का कार्य संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि खाद्य उत्पादों के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने अनुपालन के अनुरुप नहीं पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के तहत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई होती है। वर्ष 2020–21 के दौरान विश्लेषित किए गए नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण सारणी 14 में दिया गया है।

4.4.2 खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करने और नमूने लेने में पारदर्शिता लाने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई.ने 'नियमित निरीक्षण करने और नमूने लेने की प्रणाली' (फोस्कोरिस) नामक वेब आधारित मोबाइल ऐप विकसित करके डिजिटल निरीक्षण की शुरुआत की है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, टैबलेट और डेस्कटॉप जैसे हाथ से संचालित होने वाले साधनों के साथ किया जा सकता है। मैनुअल निरीक्षण का स्थान फोस्कोरिस द्वारा लिया गया है और यह न केवल निरीक्षण के लिए बल्कि वास्तविक समय के आधार पर निगरानी, डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में कार्य करता है। फोस्कोरिस वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के विवरण, उनकी भौगोलिक स्थिति, निरीक्षण किए जा रहे खाद्य परिसर आदि का विवरण देखने में सक्षम बनाता है। निरीक्षण अधिकारी चित्र खींचने और सिस्टम में इसे अपलोड करने में सक्षम होते हैं। सभी राज्य अधिकारियों को केवल फोस्कोरिस ऐप के माध्यम से निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। फोस्कोरिस ऐप के बिना किए गए किसी भी निरीक्षण को निरीक्षण पूरा होने के 48 घंटों के भीतर सिस्टम में फीड करना होता है। यह किए गए निरीक्षणों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद करेगा और आने वाले समय में जोखिम आधारित निरीक्षण शेड्यूलिंग की नींव रखेगा।

4.4.3 वर्ष 2020–21 के दौरान, फोस्कोरिस के माध्यम से खाद्य कारोबारों के 60,222 निरीक्षण किए गए जोकि फोस्कोरिस आधार पर किए गए गत वर्ष के निरीक्षणों से लगभग 11 गुना अधिक हैं।

4.4.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इंटरफेस में सुधार करने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सत्र आयोजित कर रहा है। आम तौर पर, एक समय में एक राज्य /केंद्र शासित प्रदेश के साथ साप्ताहिक आधार पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र आयोजित किया जाता है। इन बातचीत में राज्य विशिष्ट मुद्दों और इन मुद्दों के व्यावहारिक समाधानों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, एफ.एस.एस.ए. आई. ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 27 वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र आयोजित किए।

4.4.5 एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठकों में सहभागिता द्वारा और उच्च स्तरीय दौरे के माध्यम से राज्यों के साथ अधिकाधिक रुप से पारस्परिक विचार–विमर्श को बढ़ावा दिया है ताकि खाद्य सुरक्षा मामलों पर विचार–विमर्श हो सके और खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. की विभिन्न शुरुआतों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।

4.4.6 वर्ष 2020–21 के दौरान, केन्द्रीय सलाहकार समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं जिनमें एफ.एस.एस.ए.आई. के अधिकारियों के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों व अन्य अधिकारियों ने और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श किया।

4.4.7 निगरानी करना नियामक अनुपालन का एक अभिन्न अंग है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से निगरानी गतिविधियों का संचालन करते हैं और अपनी निगरानी योजनाओं के अनुसार गहन निगरानी अभियान चलाते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. ने भौगोलिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, त्योहारों या विशिष्ट अवसरों के दौरान सक्रिय/विशिष्ट निगरानी अभियान, खाद्य वस्तुओं आदि से संबंधित जोखिम की अधिकता जैसे कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए, अपनी वार्षिक निगरानी योजना तैयार करने के लिए लचीलेपन के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, एक वार्षिक निगरानी योजना साझा की है। अपने–अपने क्षेत्रों में की गई गतिविधियों के आधार पर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समय–समय पर एफएसएसएआई को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस योजना और निगरानी रिपोर्टों का बाद में विभिन्न केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, वीडियो सम्मेलनों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ अन्य बैठकों में विवेचन किया गया है।

4.5 कोविड–19 से संबंधित उपाय

4.5.1 लॉक डाउन अवधि के दौरान निर्बाध खाद्य सेवाएं/आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और लाजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने दोहराया और स्पष्ट किया कि आयात निकासी और एफ.एस.एस.ए.आई. की अधिसूचित प्रयोगशालाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों प्रयोगशालाओं सहित) द्वारा खाद्य पदार्थों की परीक्षण सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं।

4.5.2 इसके अलावा, निर्माताओं से भिन्न, एफबीओज़ को अस्थायी रूप से ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान पर सृजन होने वाले 17–अंकीय आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) वाले आवेदन के आधार

पर अपने कारोबार को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे एफबीओ, जिनकी एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस/पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो रही थी, को बिना किसी विलंब शुल्क के अपने मौजूदा लाइसेंस/पंजीकरण के साथ अपने खाद्य कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। सांविधिक अर्धवार्षिक/वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अनुपालन को भी आस्थगित रखा गया। उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पादों आदि के मामले को छोड़कर कोई भी नियमित निरीक्षण नहीं किया गया। जहां संभव हो सका,निरीक्षण ई–निरीक्षण द्वारा किया गया। खाद्य कारोबारियों को दी गई कई प्रकार की राहत की अवधि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

4.6 प्रयोग किए गए खाना बनाने के तेल (यूसीओ) के एकत्रण के लिए दिशा–निर्देश

पुनः प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल (आरयूसीओ) की पहल एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस्तेमाल किए गए अस्वास्थ्यकर खाना पकाने के तेल की खपत खाद्य मूल्य श्रृंखला में फिर से प्रवेश नहीं कर पाए और यह बायो–डीजल में परिवर्तित किया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने बायोडीजल निर्माताओं द्वारा खाद्य कारोबारियों से प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (यूसीओ) के संग्रह के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) से अपनी अधिकृत संग्रह एजेंसियों के माध्यम से प्रयुक्त खाना पकाने के तेल (यूसीओ) के संग्रह के लिए बायोडीजल निर्माताओं के नामांकन के लिए नियम और शर्तों का उल्लेख है। वर्ष 2020–21 के दौरान, देश भर में 14 और बायोडीजल निर्माताओं को खाद्य कारोबारियों से इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल (यूसीओ) के संग्रह के लिए नामांकित किया गया था, जिससे 31 मार्च, 2021 तक नामांकित बायोडीजल विनिर्माताओं की कुल संख्या बढ़ कर 29 हो गई।

4.7 खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट

देश भर के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए उनकी पेशेवर पहचान के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के सहयोग से खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट की परिकल्पना व डिजाइन किया गया। इससे देश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दृश्यता बनाए रखने के अलावा, खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ी हुई दक्षता, व्यावसायिकता और पारदर्शिता आएगी। खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट में प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आरएफआईडी टैग, कैमरा, क्यूआर कोड का प्रावधान है। 31 मार्च, 2021 तक, एफएसओ (प्रत्येक एफएसओ के लिए 2) को प्रदान करने के लिए 12 राज्यों को 3,160 स्मार्ट जैकेट की आपूर्ति के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विक्रेताओं को कहा गया।

4.8 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई)

4.8.1 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों के आधार पर राज्यों के निष्पादन का पता लगाने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किया है। सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक उद्देश्यपरक ढांचा प्रदान करता है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण मानकों पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर आधारित है अर्थातः मानव संसाधन और संस्थागत डेटा; अनुपालन; खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; और उपभोक्ता सशक्तिकरण। इन मापदंडों का वेटेज पैटर्न निम्नानुसार हैः

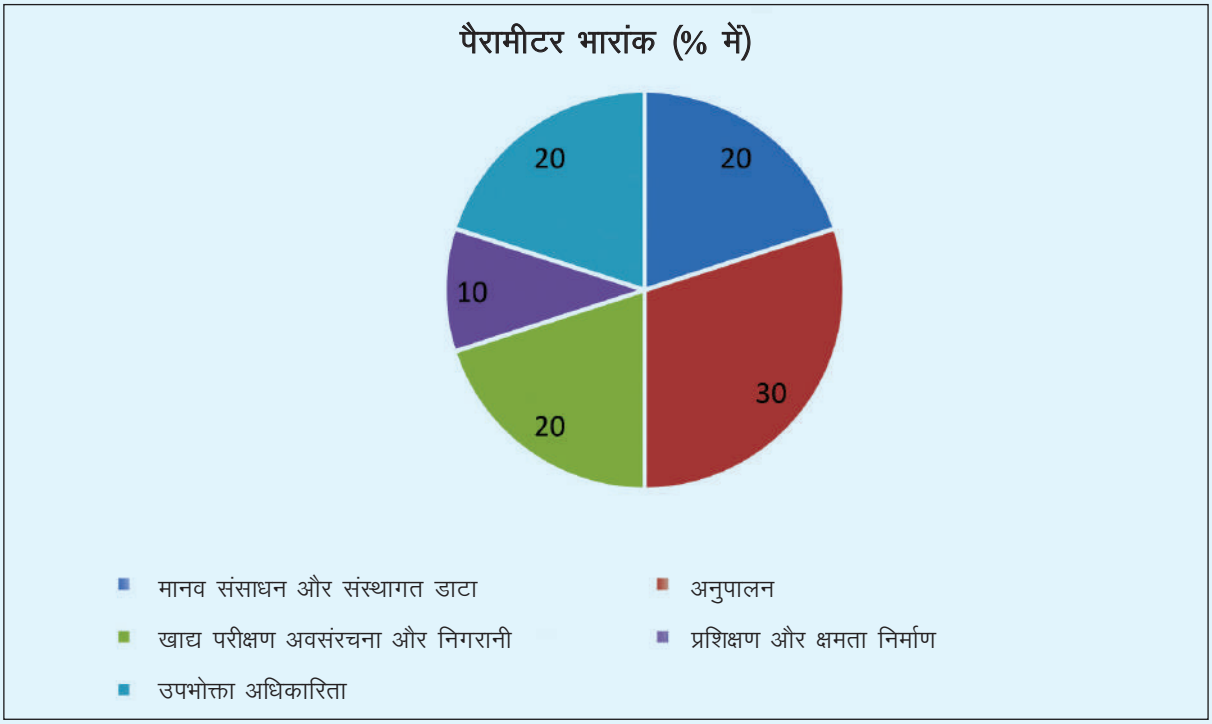

4.8.2 एफ.एस.एस.ए.आई.ने दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून, 2020 को द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019–20 जारी किया। वर्ष 2019–20 के लिए, बड़े राज्यों में, गुजरात शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य था, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र थे। छोटे राज्यों में गोवा पहले और उसके बाद मणिपुर और मेघालय का स्थान था। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक एफ.एस.एस.ए.आई. के वैब लिंक https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Report-State-Food-Safety-Index-08-06-2020.pdf पर दिया गया है।

4.9 देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन

एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करके देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके जिससे वे प्रवर्तन और अनुपालन के लिए आवश्यक अवसंरचना हांसिल कर सकें, परीक्षण उपकरणों से प्रयोगशालाओं को सुसज्जित कर सकें और विशेष शिविरों, निरीक्षणों, जागरुकता अभियानों आदि के संचालन के लिए संसाधन जुटा सके। समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत, अनुमोदित कार्य–योजना प्रस्ताव के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कार्य योजना प्रस्ताव को, जिनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए तकनीकी और वित्तीय, दोनों, सहायता अपेक्षित है, अंतिम रूप दिया गया और 64.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

4.10 एफएसएमएस अनुपालन के लिए तृतीय पक्ष संपरीक्षण (थर्ड पार्टी आडिट)

4.10.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 44 के द्वारा खाद्य प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा करने और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन की जाँच करने के लिए किसी संगठन या एजेंसी को मान्यता देने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। एफएसएस अधिनियम की धारा 16 (2) (ग) खाद्य प्राधिकरण को खाद्य कारोबारों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के प्रमाणीकरण में नियोजित प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन से संबंधित तंत्र और दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने के लिए विनियम बनाने की शक्तियां देती हैं। तदनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 28 अगस्त, 2018 को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 अधिसूचित किया था और संपरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के तहत 31 मार्च, 2021 तक 29 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता दी है।

4.10.2 एफएसएस (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम 2018 के भाग III, खण्ड 8(1) के अनुसरण में, केंद्रीय लाइसेंसधारी और उच्च जोखिम वाली छह श्रेणियों/व्यवसायों अर्थात् (i) डेयरी उत्पाद और सादृश्य, खाद्य श्रेणी 2.0 के उत्पाद को छोड़कर; (ii) पोल्ट्री सहित मांस और मांस उत्पाद; (iii) मछली और मछली उत्पाद, जिसमें मोलस्क, क्रस्टेशियंस और इचिनोडर्म शामिल हैं; (iv) अंडे और अंडा उत्पाद; (v) विशेष पोषण संबंधी उपयोगों के लिए अभिप्रेत खाद्य पदार्थ (जैसे कि शिशु पोषण आदि के लिए खाद्य); और (vi) तैयार खाद्य (कैटरिंग) के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2019 के आदेश के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा संपरीक्षण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एफबीओ के परिसरों के अनिवार्य संपरीक्षण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

4.10.3 स्वच्छ और सुरक्षित मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करने में बूचड़खानों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा मान्यताप्राप्त एजेंसी मैसर्स आरआईआर सर्टिफिकेशन प्रा. लिमिटेड के माध्यम से एफ.एस.एस.ए.आई. सभी केन्द्र और राज्य के लाइसेंसशुदा बूचड़खानों (लगभग 300 एफबीओ) की खाद्य संपरीक्षण परीक्षा कर रहा है। 31 मार्च, 2021 तक, 157 बूचड़खानों में ऑडिट पूरा किया गया था और इन बूचड़खानों की ऑडिट रिपोर्ट राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की गई है। इससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन बूचड़खानों के कामकाज के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करने और इन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी।

4.10.4 मिष्ठान्न (हलवाई/मिठाई) की दुकानों, मांस की दुकानों आदि के संबंध में स्वच्छता और स्वच्छता के संबंध में काफी अधिक मामले सामने आते है। इसे देखते हुए, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से यह अनुरोध किया गया था कि वे एक शहर नामित करें जहां प्राधिकरण राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार मिष्ठान्न/ मांस की 20/50 दुकानों को संपरीक्षा करेगा। यह भी कहा गया था कि प्राधिकरण की गई संपरीक्षा की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। मिष्ठान्न/मांस की दुकानों के स्वामियों द्वारा कराए जाने वाली संपरीक्षण परीक्षा से खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के अनुपालन का पता लगाने में मदद करेगी। संपरीक्षा में पहचानी गई कमियों से इन दुकानों को अपनी स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करने और आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध

कराने में मदद मिलेगी। ऑडिट स्कोर के आधार पर एजेंसियां इन दुकानों को स्वच्छता (हाइजीन) रेटिंग भी देती हैं। 31 मार्च, 2021 तक 396 मांस और 429 मिष्ठान्न की दुकानों का ऑडिट किया गया था।

4.11 स्वच्छता आकलन (हाइजीन रेटिंग) योजना

4.11.1 स्वच्छता आकलन योजना के तहत, खाद्य प्रतिष्ठानों को उनकी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा अनुपालन के लिए 1–5 (स्माइली प्रतीकों में) के पैमाने पर रेटिंग दी जाती है। यह योजना खाद्य कारोबार को स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उपभोक्ताओं को सूचित खाद्य विकल्प चुनने का विकल्प देता है। यह योजना वर्तमान में खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों (जैसे रेस्तरां, कैफे, और अन्य खाने के स्थान); मिठाई की दुकानें; बेकरी; और मांस की दुकानों पर लागू है।

4.11.2 एफएसएस (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची–IV में दिये गए स्वच्छता और साफ–सफाई के मानकों के आधार पर, जिन्हें खाद्य कारोबार को अपनाना होता है, व्यापक जांचसूची बनाई गई है। इस जांचसूची के आधार पर खाद्य व्यवसाय का स्वच्छता आकलन किया जाता है और स्वच्छता आकलन ऑडिट एजेंसी द्वारा एक रेटिंग प्रदान की जाती है। इस रेटिंग के आधार पर एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है जिसे परिसर में उपभोक्ताओं के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को यह पहचानने में मदद मिलती है कि वह स्थान स्वच्छ है या नहीं। 3 स्टार और उससे अधिक की रेटिंग को 'अच्छी रेटिंग' माना जाता है।

4.11.3 एफ.एस.एस.ए.आई. ने स्वच्छता रेटिंग ऑडिट करने के लिए 29 तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसियों और 12 से अधिक अन्य एजेंसियों को मान्यता दी है। देश भर में 200 से अधिक प्रशिक्षित हाइजीन रेटिंग ऑडिटर हाइजीन रेटिंग ऑडिट कर रहे हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) ने देश में हाइजीन रेटिंग ऑडिट करने वाली हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसियों को मान्यता देने के लिए एक योजना विकसित की है जो और प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेंगी।

4.11.4 वर्ष 2020–21 में स्वच्छता रेटिंग योजना के लिए 2,995 खाद्य प्रतिष्ठानों को नामांकित किया गया था जिसमें से 1,790 ने सफलतापूर्वक स्वच्छता रेटिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था।

4.12 शिकायत निवारण प्रणाली – "खाद्य सुरक्षा कनेक्ट"

4.12.1 एफ.एस.एस.ए.आई. का एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, जिसका नाम 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' है, जहां उपभोक्ता खाद्य पदार्थों से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल https://foscos-fssai-gov-in/consumergrievance पर उपलब्ध है। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विभिन्न अन्य चैनलों (हेल्प डेस्क, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, आईएनजीआरएम – राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल, पीएमओपीजी, पोस्ट आदि) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों/एफबीओ को भी एफएसएसएआई द्वारा एक एकल पोर्टल यानी फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल में समेकित किया जाता है। प्रत्येक दर्ज की गई शिकायत/चिंता के खिलाफ एक अद्वितीय कोड सृजित होता है, उनके जोखिमों के अनुसार प्राथमिकता प्रदान कर संबंधित राज्य के अभिहित अधिकारियों और एफबीओ

को एफएसएस अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है। चिंताओं के उचित निपटान की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तिमाही रिपोर्ट, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदर्शन समीक्षा और आवधिक केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से चिंताओं के निपटान के मामले को उठाया जाता है।.

4.12.2 वर्ष 2020–21 के दौरान, 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर 3,182 शिकायतें पंजीकृत की गई थीं और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों भेजा गया।

4.12.3 उपभोक्ताओं, खाद्य कारोबारयों और अन्य हितधारियों द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. की एक समर्पित हैल्पलाइन (टोल फ्री संख्या 1800112100) है। वर्ष 2020–21 में हैल्पडेस्क पर 2,95,679 कॉल का उत्तर दिया गया।

4.13 कारोबार करना सरल बनाने की दिशा में वर्ष के दौरान की गई पहल

4.13.1 भौतिक रुप से वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को समाप्त करना –

विनिर्माण और आयात के कारोबार में लगे खाद्य कारोबारियों को वार्षिक विवरणियां भौतिक रुप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणामस्वरुप अक्सर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण तक ये विवरणियां पहुंच नहीं पाती थीं या विलम्ब से प्राप्त होती थीं। नियत तारीख पर वार्षिक विवरणी/अर्धवार्षिक विवरणी प्राप्त न होने पर जुर्माना लगाया जाता था, भले ही एफबीओ द्वारा इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया हो और इसे स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा भेजा गया हो। इसे ध्यान में रखते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने ऑनलाइन प्रस्तुत करने का प्रावधान करके वार्षिक विवरणी/अर्धवार्षिक विवरणी के भौतिक प्रस्तुतिकरण को समाप्त कर दिया है।

4.13.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन/ पंजीकरण शुल्क भुगतान मोड का संचालन –

यह देखा गया कि खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को राज्य खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना कना पड़ रहा था क्योंकि अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवल ट्रेजरी चालान के माध्यम से शुल्क स्वीकार कर रहे थे, जिसके लिए एफबीओ को ट्रेजरी चालान स्वीकार करने वाली विभिन्न बैंक शाखाओं में जाना पड़ता था। एफबीओ के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, एफएसएसएआई ने एक केन्द्रीय पूल खाता खोला, जिसमें राज्य लाइसेंस और राज्य पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले एसफबीओ केन्द्रीय खाते में अपना शुल्क ऑनलाइन जमा करने में सक्षम हुए। इससे यह राशि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रदान किए गए खाते में नियमित आधार (T+1) पर हस्तांतरित हो जाती है।

4.13.3 द्वितीय भुगतान गेटवे का एकीकरण

वर्तमान में फोस्कोस में केवल एक पेमेंट गेटवे यानी रेजरपे भुगतान गेटवे राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। अक्तूबर 2020 से, पेमेंट गेटवे न्यूनतम मुद्दों के साथ काम कर रहा है। भुगतान प्रणाली में अतिरेक और उपयोगकर्ता को विकल्प प्रदान करने के लिए, द्वितीय भुगतान गेटवे के एकीकरण का प्रस्ताव किया गया है। पेयूबिज भुगतान गेटवे को दूसरे भुगतान गेटवे के रुप में पहचाना गया

है जो पहले से ही एफएसएसएआई से सम्बद्ध है और केन्द्रीय लाइसेंस शुल्क के संग्रह के लिए एफएलआरएस और फोस्कोस के साथ एकीकृत है। अब, इसे रेजरपे के समान पद्धति के अनुसार एकीकृत किया जाएगा जहां राज्य लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित धन को एफएसएसएआई के बैंक आफ बड़ौदा खाते में केन्द्रीय रुप से जमा किया जाएगा और फिर संबंधित राज्यों के खाते में टी+1 आधार पर जमा किया जाएगा।

4.13.4 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाड, पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य विशिष्ट भुगतान गेटवे की समाप्ति

एकाधिक भुगतान गेटवे से न केवल राष्ट्रीय प्रणाली में कई कोडो के प्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है बल्कि व्यक्तिगत भुगतान गेटवे की आवश्यकता के अनुसार भुगतान अद्यतन करने के लिए कई भुगतान गेटवे के साथ संचार करने और अनुसूचकों को लागू करने से प्रणाली में व्यवस्था नहीं रह पाती। किसी भी परिवर्तन को लागू करना मुश्किल हो जाता है और त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। इन राज्यों से राज्य–विशिष्ट भुगतान गेटवे को समाप्त करने के लिए अपनी सहमति देने और राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए गए समान भुगतान गेटवे को अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

4.13.5 फोस्कोस/फोस्कोरिस एप के माध्यम से निरीक्षणों की अनिवार्यता –

सभी राज्य अधिकारियों को केवल फोस्कोरिस ऐप के माध्यम से निरीक्षण करने की सलाह दी गई है। फोस्कोरिस ऐप के बिना किए गए किसी भी निरीक्षण को निरीक्षण पूरा होने के 48 घंटों के भीतर सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा। इससे किए गए निरीक्षणों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद मिलेगी और आने वाले समय में यह जोखिम आधारित निरीक्षण शेड्यूलिंग के आधार के रुप में कार्य करेगा।

4.13.6 प्रवर्तन अभिकरणों के लिए कस्टोमाइज्ड रिपोर्टों की उपलब्धता

फोस्कोस के लांच किए जाने के साथ ही, प्राधिकारियों को एक व्यापक सर्च टूल प्रदान किया गया है जिसके माध्यम से वे किसी भी स्तर पर आवेदनों की स्थिति, जारी लाइसेंस और पंजीकरण के संबंध में सर्च कर सकते हैं। साथ ही, प्रवर्तन गतिविधियों को शुरु करने के लिए समाप्त हो चुके लाइसेंस और पंजीकरण डेटाबेस तक भी उनकी पहुंच आसान हो गयी है।

4.13.7 फोस्कोस पर संपरीक्षण रिपोर्टों की उपलब्धता

एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों द्वारा किए गए ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस) विकसित किया गया है। इन ऑडिट रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई (यदि कोई हो) के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए एएमएस को फोस्कोस के साथ एकीकृत किया गया है। सभी ऑडिट अभिकरणों को जनवरी 2021 के अंत तक पोर्टल में 2019–20 और 2020–21 में किए गए ऑडिट की रिपोर्ट फीड करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार, अब से तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों की ऑडिट रिपोर्ट एफबीओ और रेगुलेटर को फोस्कोस इंटरफेस के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होगी।

4.13.8 लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए टाइम विंडो

पूर्व में, खाद्य कारोबारियों को नवीकरण की तारीख से पहले अपने लाइसेंस/पंजीकरण का नवीकरण कराने के लिए 120 दिन प्रदान किए जाते थे। यह अवधि अब बढ़ाकर 180 दिन की गई है।

4.14 की जा रही शुरुआतें

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में व्यापक संशोधन प्रक्रियाधीन है। इस संशोधन विनियम का मसौदा 17 नवंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को समेकित किया गया है। इन संशोधन विनियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने और अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।

(ख) खाद्य कारोबारों द्वारा अनुपालन को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए फोस्कोस में और अधिक कार्यों को जोड़ना।

(ग) एफएसएमएस के साथ संपरीक्षण और अनुपालन की जांच के लिए प्रत्यायन और प्रमाणन अभिकरणों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना करना।

(घ) लाइसेंस प्रदान करे और पंजीकरण के लिए कार्यों में वृद्धि।

(ड़) नमूने लेने, निरीक्षण करने और प्रवर्तन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना।

सारणी 13 – एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संरचना (31.03.2021) की स्थिति के अनुसार

क्रं. सं.	राज्य का नाम	एफएससी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या		एफएसओ की संख्या		अपीलीय ट्रिब्यूनल
				पूर्णकालिक	अंशकालिक	पूर्णकालिक	अंशकालिक	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	3	0	14	0	हां
2	आंध्र प्रदेश	1	13	13	0	44	4	हां
3	अरुणाचल प्रदेश	1	25	1	24	3	0	हां
4	असम	1	33	0	4	32	0	हां
5	बिहार	1	38	0	14	14	0	नहीं
6	चंडीगढ़	1	1	1	0	5	0	हां
7	छत्तीसगढ़	1	27	0	28	57	0	हां
8	दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	3	3	0	3	0	हां
9	दिल्ली	1	11	8	0	15	0	हां
10	गोवा	1	2	2	0	20	0	हां

क्र. सं.	राज्य का नाम	एफएससी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या		एफएसओ की संख्या		अपीलीय ट्रिब्यूनल
				पूर्णकालिक	अंशकालिक	पूर्णकालिक	अंशकालिक	
11	गुजरात	1	33	24	14	192	0	हां
12	हरियाणा	1	22	6	0	15	0	हां
13	हिमाचल प्रदेश	1	11	12	0	16	0	हां
14	जम्मू और कश्मीर	1	20	20	0	63	0	हां
15	झारखण्ड	1	24	45	0	21	0	नहीं
16	कर्नाटक	1	30	23	13	44	186	नहीं
17	केरल	1	27	14	0	127	0	हां
18	लद्दाख	1	2	1	0	1	0	नहीं
19	लक्षद्वीप	1	1	0	0	0	13	नहीं
20	मध्य प्रदेश	1	52	0	51	160	0	हां
21	महाराष्ट्र	1	7	50	0	215	0	हां
22	मणिपुर	1	16	11	0	22	0	हां
23	मेघालय	1	11	3	8	8	3	हां
24	मिजोरम	1	8	0	3	2	7	नहीं
25	नागालैंड	1	11	3	0	7	0	नहीं
26	ओडिशा	1	36	3	34	30	0	हां
27	पुदुचेरी	1	2	1	0	2	0	हां
28	पंजाब	1	25	11	11	51	0	हां
29	राजस्थान	1	40	0	34	0	58	हां
30	सिक्किम	1	4	3	0	4	0	नहीं
31	तमिलनाडु	1	37	32	0	271	0	हां
32	तेलंगाना	1	31	8	0	37	0	हां
33	त्रिपुरा	1	8	0	9	3	0	हां
34	उत्तराखंड	1	13	11	0	29	0	हां
35	उत्तर प्रदेश	1	75	73	0	574	0	हां
36	पश्चिम बंगाल	1	23	28	0	160	0	हां
	योग		725	413	247	2261	271	

टिप्पणी : एफएससी = खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एओ = न्याय–निर्णय अधिकारी, डीओ = अभिहित अधिकारी, एफएसओ = खाद्य सुरक्षा अधिकारी

सारणी 14–वर्ष 2020–21 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुरुप नहीं पाए गए नमूनों और की गईं कार्रवाई का राज्य–वार विवरण

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अनुरुप नहीं पाए गए नमूनों की कुल संख्या	गैर–अनुरुप नमूनों का विवरण			सिविल मामले			आपराधिक मामले		
				असुरक्षित/	घटिया	लेबलिंग दोष/भ्रामक/ विविध	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (रु)	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (रु)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	700	0	0	0	0	16	16	321500	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2329	383	45	168	170	223	291	2173000	31	8	75000
3	अरुणाचल प्रदेश	169	15	1	4	10	1	15	173000	1	0	0
4	असम	672	109	19	77	13	39	11	682000	2		0
5	बिहार	1224	144	66	26	52	100	55	615000	12	0	0
6	चंडीगढ़	292	32	6	18	8	42	54	740000	15	0	0
7	छत्तीसगढ़	834	165	32	92	41	246	163	3844000	28	0	0
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	75	1	0	1	0	11	11	38500	0	0	0
9	दिल्ली	1509	214	46	49	119	243	30	1294000	66	58	1470000
10	गोवा	329	31	8	22	1	1	2	1742000	0	0	0
11	गुजरात	13284	1056	71	688	297	899	543	40041000	41	11	30001
12	हरियाणा	2596	696	97	363	236	651	481	5040028	103	1	500
13	हिमाचल प्रदेश	1568	420	17	99	304	204	34	1068025	14	5	0
14	जम्मू और कश्मीर	4094	871	48	443	380	1554	330	4595800	32	2	0
15	झारखण्ड	581	216	97	43	76	204	54	1350200	65	0	0
16	कर्नाटक	5217	319	77	101	141	151	21	168200	47	4	61100
17	केरल	6971	1020	543	216	261	422	445	5914800	274	7	55000
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	18	18	174100	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	10886	2162	92	1124	946	2228	1896	84565980	126	29	1150000
21	महाराष्ट्र	4733	874	227	527	120	911	307	9213800	795	80	26000
22	मणिपुर	235	19	17	1	1	4	5	240000	0	0	0
23	मेघालय	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	23	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अनुरुप नहीं पाए गए नमूनों की कुल संख्या	गैर–अनुरुप नमूनों का विवरण			सिविल मामले			आपराधिक मामले		
				असुरक्षित/	घटिया	लेबलिंग दोष/भ्रामक/ विविध	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (रु)	प्रारंभ किए गए मामलों की संख्या	निर्णित मामलों की संख्या	प्राप्त जुर्माने की राशि (रु)
25	नागालैंड	60	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडीशा	1037	272	53	164	55	131	96	679500	33	0	0
27	पुदुचेरी	5	1	1	0	0	22	20	142000	0	0	0
28	पंजाब	6721	873	77	582	214	966	972	15220500	64	7	103000
29	राजस्थान	7343	2054	339	1100	615	584	337	6963600	56	0	0
30	सिक्किम	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	10766	3443	1221	651	1571	1463	1368	16273500	557	235	4769500
32	तेलंगाना	894	98	16	47	35	44	22	205000	14		
33	त्रिपुरा	17	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	20613	12479	1921	6513	4045	12514	7810	291410300	1486	72	483500
35	उत्तराखंड	905	255	9	239	7	285	118	4101000	6	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1067	116	73	30	13	18	7	233000	1	1	100000
योग		**107829**	**28347**	**5220**	**13394**	**9733**	**24195**	**15532**	**499223333**	**3869**	**520**	**8323601**
									कुल जुर्माना –			**507546934**

अध्याय-5

खाद्य परीक्षण और निगरानी

5.1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना

5.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 के अनुसार एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली (ईको सिस्टम) को प्रोत्साहित करना अपेक्षित है। खाद्य विनियमन तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में खाद्य परीक्षण पारितंत्र को निम्नलिखित मुख्य कार्य करने होते हैं:

- खाद्य पदार्थों/खाद्य वस्तुओं (देशी और आयातित दोनों) का निर्धारित गुणता तथा सुरक्षा संबंधी निर्धारित मानदंडों के प्रति अनुरूपता का विश्लेषण और परीक्षण करना तथा खाद्य विधियों/विनियमों के अनुपालन में सहायता करना।
- बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की निर्धारित मानदंडों के प्रति अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए बाजार पर निगरानी गतिविधियों में सहायता करना।
- जोखिम आकलन ढाँचे का अंग बनना, जिसमें खाद्य संबंधी घटनाओं का आकलन भी शामिल है, तथा खाद्य मानकों अथवा मार्गदर्शी प्रलेखों के निर्धारण में सहायता करना।
- परीक्षण पद्धतियों के सुमेलन, उनके विकास अथवा वैधीकरण नेटवर्क का अभिन्न अंग बनना।
- खाद्य परीक्षण तथा खाद्य मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करना, विशेषकर उपभोक्ताओं में।

विनियामक, उपभोक्ता तथा खाद्य कारोबारी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग खाद्य विधियों का हर स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कर सकते हैं।

5.1.2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य विश्लेषकों द्वारा नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड अथवा अन्य किसी प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं को अधिसूचित कर सकती है।

5.1.3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अनुसार खाद्य प्राधिकरण अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने किसी नियम और विनियम द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रेफरल खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित करेगी अथवा अधिसूचना के माध्यम से उन्हें मान्यता प्रदान करेगी।

5.1.4 उक्त अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित धारा 16 की उप–धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नवंबर, 2018 में खाद्य

सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों में प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना के लिए सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएँ हैं, यथा प्रयोगशालाओं का प्रकार, उनकी मान्यता तथा अधिसूचना के मानदंड, नवीकरण, ऑडिट और जाँच, प्रयोगशालाओं के कर्तव्य, निलंबन, अवमान्यन, ऑडिट इत्यादि।

5.1.5 कारोबार में सरलता लाने; पारदर्शिता लाने; तथा खाद्य प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की पुनरीक्षा और मानिटरी एक ही प्लेटफॉर्म पर करने की प्रणाली के माध्यम से देश में खाद्य परीक्षण की गुणता में सुधार लाने के उद्देश्य से खाद्य प्राधिकरण अब प्रयोगशाला प्रत्यायित करने/उन्हें मान्यता देने/अनुमोदित करने के राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की एकीकृत कार्रवाई के तहत ही खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता दे रही है। निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा), चाय बोर्ड, भारतीय तिलहन तथा फसल निर्यात संवर्धन परिषद् (आईओपीईपीसी) आदि इस एकीकृत प्रणाली के अन्य विनियामक हैं।

5.1.6 राज्यों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एसएफटीएल) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 के संक्रमण उपबंध के तहत 10 से अधिक वर्षों से एनएबीएल प्रत्यायन के बिना कार्य कर रही थीं, यद्यपि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रत्यायन एक प्रमुख मानदंड है। तथापि, बार–बार के अनुरोध के बाद भी जब एनएबीएल प्रत्यायन लेने के लिए कुछ राज्य प्रयोगशालयों द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई, तो ऐसी प्रयोगशालाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 31 दिसंबर, 2020 से 39 एसएफटीएल को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 की परिधि से बाहर कर दिया गया है। उन्हें एनएबीएल प्रत्यायन लेने के बाद पुनः मान्यता दे दी जाएगी। राज्यों की जिन गैर–प्रत्यायित प्रयोगशालाओं ने एनएबीएल प्रत्यायन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी, उनका प्रत्यायन अधिनियम की धारा 98 के तहत मान्य बनाए रखा गया है।

5.1.7 वर्ष 2020–21 के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत धारा 98 के अंतर्गत चल रही 2 एसएफटीएल अर्थात् राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, गुवाहाटी तथा राज्य केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर ने एनएबीएल प्रत्यायन ले लिया है। अतः उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित 4 नई प्रयोगशालाओं को भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत खाद्य नमूनों के प्राथमिक परीक्षण हेतु खाद्य प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है –

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम और स्थान
1.	विमटा लैब्स लिमिटेड, नोएडा
2.	यूरेका एनालाइटिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कुंडली, हरियाणा
3.	प्रोकोम लैबोरेटरी, वाशी, मुंबई
4.	फूड रिसर्च एंड एनालाइसिस (सीएफआर), एनआईएफटीईएम, कुंडली, हरियाणा

5.1.8 इस के अतिरिक्त, खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र (सीएफआरए), एनआईएफटीईएम, कुंडली, हरियाणा को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अंतर्गत रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया।

5.1.9 खाद्य प्राधिकरण के पास यथा 31 मार्च, 2021 को 231 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, जिनमें से 212 प्रयोगशालाएँ प्राथमिक परीक्षण के लिए हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अंतर्गत मान्यता दी हुई है और अधिसूचित किया हुआ है। शेष 19 प्रयोगशालाएँ अपील (रेफरल) प्रयोगशालाएँ हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अंतर्गत मान्यता दी हुई है और अधिसूचित किया हुआ है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मान्यता–प्रदत्त तथा अधिसूचित प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण सारणी 15 में दिया गया है:

सारणी 15 – अधिसूचित प्राथमिक तथा रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ {खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत}	संख्या
1	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	17
2	केंद्रीय सरकार की संस्थाओं/स्वायतशासी निकायों की प्रयोगशालाएँ	25
3	निजी प्रयोगशालाएँ	151
4	राज्य सरकार की संक्रमण कालीन प्रयोगशालाएँ	19
	कुल प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	212
	रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ {खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत}	
1	केंद्रीय सरकार की संस्थाओं/स्वायतशासी निकायों की प्रयोगशालाएँ	17
2	खाद्य प्राधिकरण की अपनी प्रयोगशालाएँ	02
	कुल रेफरल प्रयोगशालाएँ	19

(*खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत संक्रमणकालीन एसएफटीएल)

5.1.10 खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना प्रयोगशालाओं के स्वैच्छिक आवेदन पर आधारित होती है और यह सदा जारी रहने वाला कार्य है। तथापि, खाद्य प्राधिकरण का उन राज्यों की निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित होने हेतु प्रवृत करने का प्रस्ताव है, जहाँ फिलहाल कोई प्रयोगशाला नहीं है। साथ ही उन राज्यों में राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं अथवा अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का भी विचार है, जहाँ उनकी संख्या कम है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं, राज्य/सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं, रेफरल प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण सारणी 16 में दिया गया है।

5.2 खाद्य प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण वाली खाद्य प्रयोगशालाएँ

5.2.1 कुल 19 रेफरल प्रयोगशालाओं में से 2 प्रयोगशालाएँ अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद (एनएफएल–जी) तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला–कोलकाता (एनएफएल–के) खाद्य प्राधिकरण के सीधे

नियंत्रण में हैं। एनएफएल–जी सरकारी–निजी–भागीदारी (पीपीपी) मोड में अधुनातन आदर्श खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में विकसित की गई हैं। इसी प्रकार एनएफएल–के का भी नवीकरण किया जा रहा है और उसे अधुनातन आदर्श खाद्य प्रयोगशाला के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।

5.2.2 एफ.एस.एस.ए.आई पीपीपी मोड में दो अन्य राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ (एनएफएल) आरंभ कर रही है – एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), मुंबई में और दूसरी चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी), चैन्नई में। इस हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी तथा उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद एनएफएल, जेएनपीटी को स्थापित करने और उसका क्रियान्वयन करने का कार्य मेसर्स विमटा लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद को दिया गया तथा एनएफएल, सीपीटी का काम मेसर्स नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को सौंपा गया। ये पीपीपी सहभागी जल्दी ही अपनी–अपनी जगह एनएफएल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

5.3 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला

5.3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 के विनियम 3 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण किसी अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला अथवा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को परीक्षण पद्धतियों के विकास, वैधीकरण, दक्षता परीक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दे सकती है।

5.3.2 एफ.एस.एस.ए.आई ने विनियमों में विहित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 8 अगस्त, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की अधिसूचना और मान्यता) विनियम, 2018 के विनियम 3 के तहत 12 अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त दो अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं को सभी एनआरएल के लिए सहायी सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायी राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एएनआरएल) के रूप में मान्यता प्रदान की है। इन सभी 14 एनआरएल/एएनआरएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इन प्रयोगशालाओं को एनआरएल तथा एएनआरएल हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों की हैंडबुक, जिसमें पृष्ठभूमि, दायित्व, वित्तीय विनियम इत्यादि हैं तथा जो समझौता ज्ञापन का अंग हैं, भी उपलब्ध कराई गई। विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रत्येक एनआरएल के लिए 25 लाख रुपये तथा एएनआरएल के लिए 10 लाख रुपये चिह्नित किए गए हैं। वर्ष के दौरान कुल अनुदान की 40% राशि अर्थात् 11 एनआरएल (जीएमओ विश्लेषण के लिए 1 एनआरएल अर्थात् ईआईए–कोच्चि को छोड़कर, क्योंकि एफ.एस.एस.ए.आई जीएमओ विनियमों का इंतजार कर रही है) के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपये तथा प्रत्येक एएनआरएल के लिए 4 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

5.4 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपबंध सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना

5.4.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2016 को ''चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपबंध सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना'' अनुमोदित की गई थी, जिसके लिए 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान

क्रियान्वयन हेतु 481.95 करोड़ रुपये (400.40 करोड़ रुपये अनावर्ती तथा 81.55 करोड़ रुपये आवर्ती) का परिव्यय मंजूर किया गया। सरकार को योजना के और आगे विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया था। तथापि, सरकार के औपचारिक अनुमोदन के लंबित रहते राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/रेफरल प्रयोगशालाओं के सशक्तीकरण के लिए कुछ निधियाँ जारी की गईं। योजना के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं:

(i) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण;

(ii) रेफरल प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण;

(iii) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपबंध; और

(iv) प्रयोगशाला कार्मिकों का क्षमता–निर्माण संबंधित विवरण अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

5.4.2 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

5.4.2.1 योजना के इस घटक के तहत लगभग 45 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रति एसएफटीएल 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सशक्त किया जाना है बशर्ते कि राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारें इसके लिए तैयार हों। इस लागत में तीन उच्च प्रौद्योगिकी के उपस्कर (एचईई) अर्थात् जीसी–एमएसएमएस, आईसीपीएमएस और एलसी–एमएसएमएस लगाने के लिए भौतिक अवसंरचना के निर्माण/नवीकरण के लिए 50 लाख रुपये, एचईई की खरीद के लिए 8.50 करोड़ रुपये (जिसमें 7 वर्ष के लिए जनशक्ति तथा 5 वर्ष के लिए सर्वसमावेशी एएमसी शामिल है), उपभोज्य तथा आपात स्थितियों के लिए 60.0 लाख रुपये तथा सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 3.00 करोड़ रुपये की लागत शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य में नई प्रयोगशाला की स्थापना की अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये है।

5.4.2.2 वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड के कारण एसएफटीएल को सशक्त करने के लिए केवल 1.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा सकी। इससे अभी तक 29 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 39 एसएफटीएल के सशक्तीकरण के लिए कुल 313.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

5.4.3 रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

5.4.3.1 योजना के इस घटक से खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों (एफएसएसआर) के अनुसार रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उच्च प्रौद्योगिकी वाली परीक्षण सुविधाओं से सशक्त बनाना है। एफएसएसआर के अनुसार मौजूदा तथा अपेक्षित परीक्षण सुविधाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रत्येक रेफरल प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए कुछ बड़े उपकरणों के लिए 3.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की आवश्यकता है।

5.4.3.2 2020–21 के दौरान एक और रेफरल प्रयोगशाला अर्थात् केंद्रीय/रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पुणे को उन्नयन के लिए चुना गया। इस हेतु उच्च प्रौद्योगिकी के कुछ उपकरण की खरीद के लिए 4.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इससे अभी तक उच्च प्रौद्योगिकी के उपस्कर खरीदने के लिए कुल 11 रेफरल प्रयोगशालाओं को कुल 32.20 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की जा चुकी है, जिसमें से र 27.66 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

5.4.4 चल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए उपबंध

5.4.4.1 योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण सुविधाओं की कमी को दूर करने तथा उपभोक्ताओं की आधारभूत परीक्षण आवश्यकताओं संबंधी सेवा देने के लिए देश के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को लगभग 60 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एमएफटीएल), जिन्हें चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है (प्रति 20 जिले में एक, एक राज्य/ संघशासित क्षेत्र में न्यूनतम 1), उपलब्ध कराई जानी थीं। ये चल प्रयोगशालाएँ संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र अथवा उसकी एजेंसियों/एनजीओ इत्यादि द्वारा चलाई जाती हैं। एक एमएफटीएल व उसकी पुनर्सज्जा तथा प्रयोगशाला उपकरणों की लागत जीएसटी सहित लगभग 38.5 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों को पेट्रोल, तेल और स्नेहकों तथा उपभोज्य सामग्रियों के लिए 5 लाख रुपये/वर्ष का आवर्ती अनुदान भी दिया जा रहा है।

5.4.4.2 एफएसडब्ल्यू का उपयोग इन कामों के लिए किया जाता है– (i) निगरानी तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों, बड़े सार्वजनिक समारोहों, स्कूलों और उपभोक्ता संगठनों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना; (ii) दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त नमूनों को पास की खाद्य प्रयोगशाला तक पहुँचाना; (iii) उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों तथा स्वच्छता रीतियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शिक्षित करना; (iv) खाने की आम चीजों, जैसे घी, दूध, खोया, मिठाई, खाद्य तेल और नमकीनों, मसालों, तैयार खाद्य पदार्थों इत्यादि में गैर–अनुमत खाद्य रंगों के अपमिश्रण के गुणतात्मक परीक्षण के लिए स्वस्थाने परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना। प्रत्येक एफएसडब्ल्यू में 7 विभिन्न खाद्य श्रेणियों के 54 मानदंडों का गुणतात्मक परीक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की इच्छानुसार प्रत्येक एफएसडब्ल्यू में साधारण सूक्ष्मजैविक परीक्षण करने की सुविधा भी है।

5.4.4.3 योजना की शुरुआत से अब तक 32 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए 60 एफएसडब्ल्यू स्वीकृत और वितरित की जा चुकी हैं। लगभग सभी एफएसडब्ल्यू को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा अवधि के दौरान चालू कर दिया गया है।

5.4.5 अधिक सुविधाओं वाली परिवर्तित चल खाद्य सुरक्षा

5.4.5.1 विजन प्रलेख के अनुसार खाद्य परीक्षण, जागरूकता सृजन तथा क्षमता–निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के लिए परिवर्तित एफएसडब्ल्यू नाम से नई एफएसडब्ल्यू तैयार की गई है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को जीएसटी को छोड़कर र 37 लाख (अनुमानित) लागत वाली पूर्ण रूप से तैयार परिवर्तित एफएसडब्ल्यू (उपस्कर, कुछ हस्तचालित युक्तियों/रैपिड किटों तथा सूक्ष्मजैविक परीक्षण सुविधा सहित) उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रचालन व्यय के रूप में 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आवर्ती राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

5.4.5.2 अवधि के दौरान राज्यों को 2 और परिवर्तित एफएसडब्ल्यू उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें उपलब्ध कराई गई परिवर्तित एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या 30 हो गई है। ये परिवर्तित एफएसडब्ल्यू अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब और राजस्थान को उपलब्ध कराई गईं।

आकृति 7 – एफएसडब्ल्यू वैन का आंतरिक दृश्य

आकृति 8 – एफएसडब्ल्यू का बाह्य दृश्य

5.4.6 खाद्य परीक्षण के लिए क्षमता–निर्माण

5.4.6.1 क्षमता–निर्माण देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के ईकोसिस्टम के सशक्तीकरण तथा उन्नयन का अनिवार्य घटक है। इस गतिविधि का परम ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ एनएबीएल प्रत्यायन लें तथा वे देश में श्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में से एक बनें। सभी अधिसूचित प्रयोगशालाएँ, राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ तथा रेफरल प्रयोगशालाएँ इस कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं।

5.4.6.2 कोविड–19 महामारी से शिक्षण की नई विधियाँ विकसित हो गई हैं। 2020–21 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों के लिए तीन प्रशिक्षण केंद्रों यथा फूड सेफ्टी सोल्यूशन सेंटर (एफएससी) व सेंटर फॉर माइक्रोबॉयोलोजिकल एनालाइसिस ट्रेनिंग (सी–एमएटी), एनएफएल गाजियाबाद और इंटरनैशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन फूड सेफ्टी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (आईटीसी–एफएसएएन), मुंबई के सहयोग से कुल 410 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 67,285 व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें सरकारी/निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्मिक, भूटान फूड रेगुलेटरी अथोरिटी के अधिकारी, विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य कारोबारी, उत्पादन तथा निर्यात उद्योग के कार्मिक, छात्र, उपभोक्ता, रसोइये, अनुसंधान सहयोगी, एपिडा कार्मिक इत्यादि शामिल थे।

5.4.6.3 इन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय प्रयोगशाला में संभावित रासायनिक और सूक्ष्मजैविक खतरों के बारे में ज्ञान और जानकारी देना था। प्रशिक्षण के विषयों में आम सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला उपस्करों की हैंडलिंग और अंशशोधन, मानक पद्धति वैधीकरण और गुणता नियंत्रण प्रक्रियाएँ, संदर्भ और संसाधन, सुरक्षा डैटा शीटें (एसडीएस), वैयक्तिक संरक्षी उपस्कर, धुआँ हुड, रासायनिक स्पिल रिस्पोंस, रासायनिक अपशिष्ट निपटान, ज्वलनशील द्रव, तथा संपीडित गैसें, प्रयोगशाला सुरक्षा प्रबंधन के बारे में अतिरिक्त जानकारी, एलसी–एमएस/एमएस का प्रयोग करते हुए न्युट्रास्युटिकल्स और आहारिक पूरकों में विटामिनों का विश्लेषण तथा आईसीपी–एमएस (लेश तत्व विश्लेषण) में सीधे

प्रशिक्षण शामिल थे। तकनीकी विषयों के साथ साथ इसमें सामान्य विषय यथा खाद्य सहयोज्यों की सुरक्षा और उनका विनियमन, आयातित खाद्यों में लेबलों की जाँच, कोविड–19 के संबंध में भ्रम–निवारण, घर में खाद्य सुरक्षा, इन्फोल्नेट के बारे में प्रशिक्षण, पीसीक्यूआई प्रशिक्षण, ईट राइट चैलेंज भी शामिल थे।

आकृति 9 – ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलक

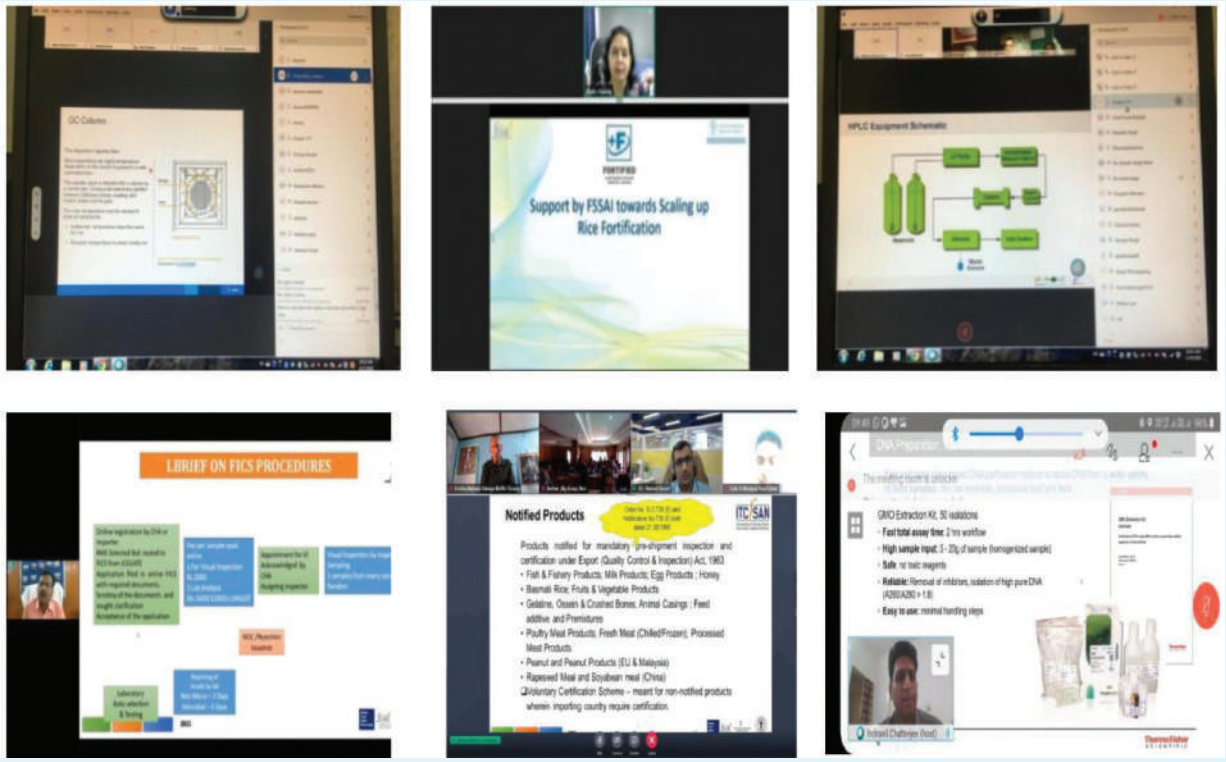

5.5 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में जिला स्तर पर नमूना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन

5.5.1 एफ.एस.एस.ए.आई देश के सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की कोल्ड चेन सुविधाओं के साथ नमूना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) का प्रभावी नेटवर्क बना रही है। इस योजना के तहत जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मशीनरी को नमूना संग्रहण युक्तियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। एसएमएस के निम्नलिखित घटक हैं –

- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए सुवाह्य चिल बॉक्स तथा बैकपैक शैली के प्रतिचयन बैग। इन बक्सों/बैगों से उन नाशवान नमूनों के उचित संग्रहण तथा भंडारण में सहायता मिलेगी, जिन्हें परिवहन के दौरान निम्न तापमान की आवश्यकता होती है तथा नमूने को सुरक्षित रखना जरूरी होता है।
- अभिनामित अधिकारियों अथवा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रयोग के लिए वाहन–आरूढ़ योग्य कोल्ड चेन दक्ष बक्से। इन बक्सों से क्षेत्रों से लिए गए नमूने प्रयोगशाला अथवा खाद्य सुरक्षा मशीनरी को यथाशीघ्र पहुँचाने में मदद मिलेगी।

- अभिनामित अधिकारियों द्वारा विनियामक खाद्य नमूनों के काउंटर–पार्ट रखने के लिए पर्याप्त क्षमता (लगभग 1500 लीटर) के बड़े डीप फ्रीजर तथा आम भंडारण कैबिनेट।

5.5.2 यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारी व प्राप्त मांगों के अनुसार एसएमएस घटक 22 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को वितरित और संस्थापित किए गए। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। अन्य आठ (08) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, लद्दाख, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड को भी एसएमएस के घटक मिल गए हैं और वे उन्हें संस्थापित करा रहे हैं।

आकृति 10 – एसएमएस घटक

कॉम्पैक्ट कैबिनेट चिल्लर, फ्रीजर एम्बिएंट	वाहन आरोपित फ्रीजर यूनिट	सुवाह्य चिल बॉक्स	बैक पैक

5.6 प्रतिचयन और विश्लेषण मैनुअल/पद्धतियाँ

प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति वैज्ञानिक पैनल तथा वैज्ञानिक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर खाद्य प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विश्लेषण पद्धति मैनुअल और पद्धतियों का अनुमोदन किया:

i) संशोधित खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल – कवकविष

ii) संशोधित खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल – तेल और वसा

iii) संशोधित खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल – मसाले, जड़ी–बूटियाँ और कंडिमेंट

iv) एलसी–एमएस/एमएस द्वारा शहद में 2–एसिटिलफ्यूरान– 3–ग्लुकोपायरैनोसाइड (एएफजीपी)/ 3-O-α-D–ग्लुकोसिल आइसोमाल्टोल ज्ञात करने की पद्धति।

v) शहद में तात्विक विश्लेषण (ईए)/द्रव क्रोमैटोग्राफी(एलसी)–इलेक्ट्रो रेसियो मास स्पेक्ट्रोमीटरी (ईए/एलसी–आईआरएमएस) द्वारा $\Delta\delta^{13}C_{fru\&glu}$, $\Delta\delta^{13}C_{max}$, और बाहरी ओलिगोसैक्कराइड प्राक्कलन की पद्धति।

vi) खाद्य में दृढ़ीकृत तत्व (पाइरिडोक्सिन, फोलिक अम्ल व ज़िंक) के विश्लेषण की पद्धती।

vii) बच्चों के लिए फॉर्मूला–पूरकों के विश्लेषण की पद्धति।

viii) शहद में कुल पराग तथा पादप तत्वों की गणना की पद्धति।

ix) चाय में लौह चूर्ण ज्ञात करने की पद्धति।

5.7 निगरानी गतिविधियाँ

5.7.1 खाद्य तेल सर्वे (बूस्ट–सेफ)–2020

5.7.1.1 प्रायः ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं कि देश में खाद्य तेलों का अपमिश्रण करके बेचा जा रहा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में वनस्पति तेलों की गुणता का आकलन करने तथा अपमिश्रण के खास स्थानों का पता लगाने के लिए 25 से 27 अगस्त, 2020 तक अखिल भारतीय खाद्य तेल गुणता सर्वे करवाया था।

5.7.1.2 यह सर्वेक्षण 16 प्रकार के तेलों के लिए विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में एक साथ किया गया जिसमें जिला स्तर के क्षेत्र शामिल थे। नमूने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए। मेट्रो शहरों से लगभग 50 नमूने लिए गए। अन्य क्षेत्रों से 6 से 8 नमूने लिए गए। देश के 27 राज्यों और 5 संघशासित क्षेत्रों के 584 जिलों से कुल 4,461 नमूने लिए गए। इन नमूनों का विश्लेषण एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा मान्यता–प्रदत्त 43 प्रयोगशालाओं ने 161 मानदंडों के लिए परीक्षण किया गया।

5.7.1.3 खाद्य तेल सर्वे–2020 के मुख्य परिणाम–

- विश्लेषित 4,461 नमूनों में से 1371 नमूने (लगभग 30%) एक या अधिक मानदंडों में विफल पाये गए। जिन ऊपर के 5 राज्यों में अधिकतम नमूने विफल हुए, वे उत्तर प्रदेश (289), तमिल नाडु (174), तेलंगाना (115), छत्तीसगढ़ (88) और कर्नाटक (84) हैं।
- जो मुख्य 5 तेल विफल हुए, वे सरसों का तेल (379), सोयाबीन तेल (168), सम्मिश्र तेल (134), मूँगफली का तेल (132) तथा पॉम ऑयल (118) हैं।
- यह भी पाया गया कि अधिकांश तेलों में अधिकतम नमूने (राज्य–निरपेक्ष) रासायनिक परीक्षणों में विफल हुए, उसके बाद वसीय अम्ल प्रोफाइलों तथा गलत लेबलों में विफल हुए।

5.7.1.4 परिणाम और चर्चा

- लिए गए नमूनों में से लगभग 30 प्रतिशत नमूने 161 मानदंडों में से एक या अधिक में विफल हुए। उत्तर प्रदेश में लगभग 50% अर्थात् 533 में से 289 नमूने विफल हुए। विश्लेषित 16 विभिन्न खाद्य तेलों में से अलसी के तेल (जिसके केवल 2 नमूने लिए गए) को छोड़कर

लगभग सभी अधिकांश मानदंडों में विफल हो गए। सरसों के स्थानीय ब्रांड अधिकतम विफल हुए, जो चिंताजनक है।

- इसके अतिरिक्त इस तेल सर्वेक्षण में प्रमुख ब्रांड भी कुछ मानदंडों में विफल हुए।

5.7.2 दुग्ध उत्पाद सर्वे–2020

5.7.2.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश के विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में त्योहारों के अवसर पर बेचे जाने वाले दुग्ध उत्पादों की गुणता और सुरक्षा का आकलन करने तथा अपमिश्रण के खास स्थानों का पता लगाने के लिए दिनांक 12–13 नवंबर, 2020 को अखिल भारतीय दुग्ध उत्पाद सर्वेक्षण–2020 करवाया था।

5.7.2.2 प्रतिचयन और विश्लेषण का क्षेत्र

यह सर्वे देश के विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में जिला स्तर पर एक साथ कराया गया था। सर्वे में खोया, पनीर, छेना, पनीर/छेना–आधारित मिठाई और खोया –आधारित मिठाई का सर्वे किया गया। दुग्ध उत्पादों के नमूने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए। 27 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 535 जिलों से कुल 2,807 नमूने लिए गए। नमूनों का विश्लेषण खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 के अनुसार रासायनिक, जैविक तथा सुरक्षा मानदंडों (भारी धातु, संदूषक और पेस्टीसाइड अवशिष्ट) के लिए नैशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल) द्वारा किया गया।

5.7.2.3 दुग्ध उत्पाद सर्वेक्षण–2020 के मुख्य परिणाम

- परीक्षित नमूनों में से 56% एफएसएसआर, 2011 की अपेक्षाओं के अनुरूप थे।
- मणिपुर में 91% स्तर पर सर्वाधिक अनुपालन पाया गया। उसके बाद हिमाचल और मेघालय दोनों में 78% अनुपालन पाया गया। गोआ और दमन और दीव का अनुपालन 30% स्तर पर पाया गया। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 0% स्तर पर न्यूनतम अनुपालन हुआ (अर्थात् कोई भी नमूना पास नहीं हुआ)।
- सूक्ष्मजैविक मानदंडों में स्वच्छता संबंधी मानदंडों में अधिकतम असफलता (93%) पाई गई, जिनमें एरोबिक प्लेट काउंट, खमीर और मवक, कोलिफोर्म, ई. कोली, और एस. ओरियस हैं।
- रासायनिक मानदंडों में अपमिश्रक सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। अपालनकर्ता नमूनों में से 57% में अपमिश्रक पाए गए। तथापि, अपमिश्रकों की किस्म इस सर्वेक्षण के विषय–क्षेत्र से बाहर थी।

5.7.2.4 परिणाम और चर्चा

➢ अधिकांश मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग)

विनियम, 2011 में विहित स्वच्छता और साफ–सफाई संबंधी सामान्य अपेक्षाओं का पैकेजबंद उत्पादों के संबंध में अनुपालन में कमी देखने में आई तथा उनका खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। दुग्ध उत्पादों में एफ्लाटोक्सिन एम1 के लिए कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध के लिए इसकी अधिकतम सीमा 0.5 पीपीबी है, दुग्ध–आधारित उत्पादों के लिए इसकी सीमा निर्धारित करना विचारणीय है।

- मौजूदा सर्वेक्षण में छेना, पनीर, और खोया के लगभग 16% नमूनों में एफ्लाटोक्सिन की मात्रा 0.5 पीपीबी से अधिक पाई गई।
- जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अपालन के मामले अधिक हैं, उनमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से सख्त मॉनिटरिंग की जाए।

5.7.3 शहद सर्वेक्षण 2021

5.7.3.1 शहद मधुमक्खियों द्वारा पादप मकरंद अथवा जीवित पौधों के स्रावों अथवा पौधों के जीवित भागों पर पादप–चूषी कीटों के स्रावों द्वारा तैयार किया गया प्राकृतिक मीठा पदार्थ होता है, जिसे मधु–मक्खियाँ इकट्ठा करके उसे अपने विशिष्ट पदार्थ से मिलाकर शहद के छत्ते में जमा कर देती हैं। फिर उसे सूखने तथा पकने के लिए छोड़ देती हैं।

5.7.3.2 तथापि शहद का गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर/राइस सिरप से अपमिश्रण चिंता का विषय है। इस मुद्दे से निपटने तथा इस संबंध में विश्लेषणात्मक डैटा प्राप्त करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने शहद पर एक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। निर्णय लिया गया कि बाजार से नमूने लिए जाएँ तथा केंद्रीय मधु–मक्खी पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरटीआई), पुणे से शुद्ध शहद के नमूने लिए जाएँ।

5.7.3.3 प्रतिचयन और विश्लेषण का क्षेत्र

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने शहद सर्वेक्षण करने के लिए कॉफ–एनडीडीबी को अनुमोदन प्रदान किया था, जिसने बाजार में उपलब्ध शहद के साथ–साथ शुद्ध शहद के विश्लेषणात्मक डैटा प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण देश भर में 11 जनवरी, 2021 को किया।
- इस सर्वेक्षण में शहद के कुल 675 नमूने लिए गए, जिनमें भारत के 4 क्षेत्रों से 150–150 नमूने (कुल 600 नमूने) लिए गए तथा एकपुष्पी, बहुपुष्पी और सम्मिश्र शुद्ध शहद के 25–25 नमूने (कुल 25×3=75 नमूने) लिए गए।
- आर्सेनिक (आईसीपी–एमएस) एवं टीएमआर विश्लेषण सहित नमूनों का परीक्षण एफ.एस.एस. आर, 2011 में निर्धारित गुणता तथा सुरक्षात्मक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। इस में मुख्य ध्यान एसएमआर, एससीआईआरए, पराग कण माप, डायस्टेस गतिविधि, प्रोलीन मात्रा, व फ्रूक्टोस–ग्लूकोस अनुपात पर होगा।

5.7.3.4 लिए गए नमूनों का विश्लेषण अभी किया जा रहा है।

5.8 द्रुत विश्लेषण खाद्य परीक्षण (आरएएफटी) किट/उपस्कर/पद्धति

5.8.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 के विनियम 2.4 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई को द्रुत विश्लेषण खाद्य परीक्षण किट, उपस्कर अथवा पद्धति का अनुमोदन करने का अधिदेश है। इसका प्रयोजन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) अथवा चल परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा स्वस्थाने क्षेत्र परीक्षण करना अथवा खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण में तेजी लाना और लागत घटाना है। द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति से खाद्य का तत्क्षण ''तीव्रतर, बेहतर, सस्ता'' परीक्षण सुनिश्चित होता है। द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में साइज की दृष्टि से बेहतर, परीक्षण के लिए लिये गए समय की दृष्टि से तीव्रतर तथा लागत प्रभाविता की दृष्टि से सस्ता है। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अनुमोदित द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर का उपयोग केवल स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए किया जाएगा। द्रुत खाद्य परीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति के अनुमोदन की प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश भी तैयार हैं।

5.8.2 एफ.एस.एस.ए.आई ने आर॰एफ॰ए॰टी॰ स्कीम के अंतर्गत द्रुत खाद्य रीक्षण किट/उपस्कर/पद्धति के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अनुशंसाओं के अंगीकरण/क्रियान्वयन से पहले उनकी अभिपुष्टि प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति वैज्ञानिक पैनल द्वारा तथा अनुमोदन सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

5.8.3 अवधि के दौरान 54 आवेदनों की समीक्षा की गई, जिनमें से 33 का अंततः अनुमोदन किया गया, एक का अनंतिम अनुमोदन किया गया तथा शेष 20 को अस्वीकृत किया गया। 2019 में राफ्ट योजना की शुरुआत के बाद कुल 124 आवेदनों की समीक्षा की जा चुकी हैं, जिनमें से 65 को अंतिम अनुमोदन दिया गया, 11 को अनंतिम अनुमोदन दिया गया तथा शेष 48 को अस्वीकृत किया गया। राफ्ट योजना से संबंधित पूरी सूचना एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट के लिंक https://fssai.gov.in/cms/raft.php पर उपलब्ध है।

5.9 खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स

5.9.1 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स (एफएसएमबी) तैयार किया है, जो एक 'स्वयं करें' खाद्य सुरक्षा परीक्षण किट है तथा जिसका ध्येय स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक साधन बनना है। इस पहल से छात्र खाद्य के बारे में साधारण तथा मस्ती भरे प्रयोगों में लगेंगे, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तथा उनकी रचनात्मक प्रतिभा निखरेगी। यह छोटा, सुवाह्य बॉक्स है, जिसमें कुछ रसायन, कुछ छोटे–छोटे उपकरण तथा सुरक्षा गैजेट हैं। इसमें एक मार्गदर्शिका भी है, जिसमें विभिन्न खाद्य उत्पादों का परीक्षण बहुत सरल तरीके से बताया गया है। इससे दूध में पानी, यूरिया, अपमार्जक, मांड, साबुन का चूरा; मसालों और कंडिमेंट्स में मांड तथा कृत्रिम रंग; बीवरेजों में खनिज अम्ल; शर्करा और शहद में अपमिश्रण इत्यादि ज्ञात किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 100 अति सरल परीक्षण, जिनमें ऐंद्रिक परीक्षण भी शामिल हैं, किए जा सकते हैं। इनसे स्कूलों की प्रयोगशालाओं में आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से वैज्ञानिक अभ्यास हो जाते हैं। अवधि के दौरान देश भर से ईट राइट चैलेंज के माध्यम से चुने गए स्कूलों को कुल 618 बक्से वितरित किए गए।

सारणी 16 – देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			एफएसएस अधिनियम की धारा 98 के तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	दिनांक 31.12.2020 से धारा 98 की परिधि से बाहर की गई राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएँ
		सरकारी		निजी			
		राज्य	अन्य संस्थाएँ				
1	अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
2	आंध्र प्रदेश	–	1	5	–	1	1
3	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
4	असम	1	–	–	–	–	–
5	बिहार	–	–	–	–	1	–
6	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
7	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	1	–
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	–	–	1	–	–	–
9	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	–	20	–	–	–
10	गोआ	–	–	1	–	1	–
11	गुजरात	4	–	10	–	1	1
12	हरियाणा	–	1	15	–	2	1
13	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	–	1	–
14	जम्मू और कश्मीर	–	1	–	1	1	–
15	झारखंड	–	–	1	–	1	–
16	कर्नाटक	–	–	13	–	5	2
17	केरल	3	6	7	–	–	2

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के तहत अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			एफएसएस अधिनियम की धारा 98 के तहत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	दिनांक 31.12.2020 से धारा 98 की परिधि से बाहर की गई राज्य खाद्य प्रयोगशालाएँ	एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के तहत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाएँ
		सरकारी		निजी			
		राज्य	अन्य संस्थाएँ				
18	लद्दाख	–	–	–	–	–	–
19	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
20	मध्य प्रदेश	–	–	8	1	–	–
21	महाराष्ट्र	2	3	25	2	13	3
22	मणिपुर	–	–	–	–	1	–
23	मेघालय	–	–	–	1	–	–
24	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
25	नागालैंड	–	–	–	1	–	–
26	ओडिशा	–	–	1	1	–	–
27	पुदुचेरी	–	–	–	–	1	–
28	पंजाब	–	1	2	1	–	1
29	राजस्थान	1	1	5	7	–	–
30	सिक्किम	–	–	–	–	1	–
31	तमिल नाडु	–	1	17	1	6	2
32	तेलंगाना	1	–	9	–	–	3
33	त्रिपुरा	–	1	–	–	1	–
34	उत्तर प्रदेश	3	4	5	2	1	2
35	उत्तराखंड	–	–	1	1	–	–
36	पश्चिम बंगाल	1	5	4	–	–	1
	योग	**17**	**25**	**151**	**19**	**39**	**19**

अध्याय-6

खाद्य आयात

6.1 खाद्य आयात संक्षेप में

6.1.1 खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के तहत विहित खाद्य प्राधिकरण के अधिदेशों में से एक है। अधिनियम में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत में ऐसे खाद्य उत्पाद का आयात नहीं करेगा, जिससे अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों का उल्लंघन होता हो, उदाहरणार्थ कोई असुरक्षित अथवा गलत ब्रांड वाला अथवा घटिया खाद्य अथवा बाहरी सामग्रियों से युक्त खाद्य, तथा साथ ही जिसके आयात के लिए लाइसेंस न लिया गया हो। इसमें यह भी उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 22) के तहत किसी खाद्य वस्तु के आयात पर प्रतिषेध, प्रतिबंध अथवा उसे अन्यथा विनियमित करते समय इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों का अनुपालन करेगी।

6.1.2 भारत में आयातित खाद्य उत्पाद के विनियमन के संबंध में खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 9 मार्च, 2017 को खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 अधिसूचित किए थे, जिनमें खाद्य आयात के लिए विस्तृत विवरण दिए गए हैं। इस प्रकार खाद्य आयात की प्रक्रिया को आसानी से समझने योग्य बना दिया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई के अपने प्राधिकृत अधिकारी 9 स्थानों अर्थात् चैन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, टुटिकोरिन, मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम् पर मौजूद हैं, जो प्रवेश के 44 स्थानों का कार्य संभालते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई की ऑनलाइन खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफआईसीएस) स्विफ्ट (सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड) के अंतर्गत सीमा शुल्क के आइस–गेट (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रानिक कॉमर्स/इलेक्ट्रानिक डैटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे) से जुड़ी है। खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में जोखिम के आधार पर चुनिंदा खाद्य वस्तुओं के नमूने लेने का उपबंध है। जोखिम का यह आकलन कई घटकों के आधार पर किया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य उत्पादों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के मानदंड निश्चित किए हुए हैं।

6.1.3 सीमा शुल्क ने कतिपय मानदंडों, यथा खाद्य वस्तुओं की जोखिम श्रेणी, आयातकों का अनुपालन इतिहास तथा उत्पत्ति के देश के आधार पर एफ.एस.एस.ए.आई के परामर्श से आइसगेट के माध्यम से आरएमएस को पहले ही लागू कर दिया है। एक ही देश तथा एक ही आयातक से उच्च जोखिम की खाद्य वस्तुओं के आयात की स्थिति में प्रथम 5 वाणिज्यिक खेपों का 100% प्रतिचयन तथा परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने एफ.एस.एस विनियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर अगली 20 खेपों में से 25% प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने अनुरूप पाए जाने पर बाद की सभी खेपों में से 5% नमूने लिए जाते हैं। किसी भी चरण पर

नमूने अनुरूप न पाये जाने पर आयातक का पूरा इतिहास शून्य हो जाता है तथा खेपों का 100% प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है।

6.1.4 उत्पत्ति के एक ही देश और एक ही आयातक से अल्प जोखिम की खाद्य वस्तुओं के आयात की स्थिति में प्रथम 5 वाणिज्यिक खेपों का 100 प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है। सभी नमूने एफएसएस विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर बाद की सभी खेपों में से 5% नमूने लिए जाते हैं। किसी भी चरण पर नमूने अनुरूप न पाये जाने पर आयातक का पूरा इतिहास शून्य हो जाता है तथा खेपों का 100% प्रतिचयन और परीक्षण किया जाता है।

6.1.5 एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) पेपररहित है, जिसके तहत आयातित खाद्य वस्तुओं के आयात के स्थान पर पहुँचने पर तथा संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों से जाँच के आदेश प्राप्त होने के बाद खाद्य आयातक/सीएचए सीमा शुल्क द्वारा विहित समेकित घोषणा फॉर्म भर कर प्रस्तुत करता है तथा वह फॉर्म फिक्स को अग्रेषित कर दिया जाता है। फिक्स पर आयातक द्वारा अनिवार्य प्रलेख (संघटकों की सूची, लेबल की नमूना प्रति, अंत्य उपयोग घोषणा, बिल ऑफ एंट्री, उत्पत्ति के देश संबंधी प्रमाण–पत्र, एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस) तथा अन्य प्रलेख भी ऑनलाइन ही जमा कराने होते हैं। आयातक/सीएचए द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेखों की प्राधिकृत अधिकारी (ए.ओ.) द्वारा जाँच की जाती है तथा आयातित खाद्य वस्तुओं की खाद्य सुरक्षा और मानक संबंधी विभिन्न विनियमों में विहित तथा स्थापित सुरक्षा और गुणता संबंधी मानदंडों के प्रति अनुरूपता की जाँच करने के लिए चाक्षुष निरीक्षण, प्रतिचयन तथा परीक्षण किया जाता है। नमूने के मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी हो जाता है अन्यथा अपालन रिपोर्ट जारी होती है, जिसे सीमा शुल्क को ऑनलाइन भेज दिया जाता है।

6.1.6 आयातित खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने आयातित खाद्य वस्तुओं के प्रवेश के 22 अतिरिक्त स्थानों (हवाई अड्डों/पत्तनों/ आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस) पर दिनांक 10 मार्च, 2021 से एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में घोषित कर दिया है। इनमें मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम् भी शामिल हैं, जिनका प्रबंधन पहले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाता था। एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों की इन हवाई अड्डों/पत्तनों/ आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस पर प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के साथ पठित धारा 25 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) के तहत की गई है।

6.1.7 कोविड–19 महामारी के परिदृश्य में खाद्य सेवा/आपूर्ति अबाधित रूप से सुनिश्चित कराने तथा लॉकडाउन के दौरान व्यापार में आसानी के लिए कतिपय उपाय किए हैं, जिनमें आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) तथा खाद्यान्नों की खेपों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (पी–एनओसी) जारी करना शामिल है।

6.2 खाद्य आयात व्यापार सार

6.2.1 खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) में उपलब्ध 2020–21 के डैटा के अनुसार भारत में आयातित की जा रही मुख्य खाद्य श्रेणियाँ पशु अथवा वनस्पति वसाएँ और तेल; तैयार खाद्य वसा; खाद्य सब्जियाँ; खाद्य फल और गिरियाँ; नींबू प्रजाति के फलों अथवा मेलन के छिलके; तिलहन तथा

तेलोत्पादी फल, विविध अनाज, बीज और फल, कॉफी, चाय, मेट और मसाले; डेयरी उत्पाद; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु मूल के खाद्य उत्पाद; सब्जियों, फलों, गिरियों अथवा पौधों के अन्य भागों की विनिर्मितियाँ; बीवरेज, सिरका और स्प्रिट; शर्करा और शर्करा मिष्टान्न; मछली और क्रस्टासियन, झींगा और अन्य जलीय कशेरूकी इत्यादि हैं। भारत को खाद्य वस्तुओं का निर्यात करने वाले मुख्य देश इंडोनेशिया, म्याँमार, मलेशिया, यूक्रेन, कनाडा, अर्जेंटाइना, तंजानिया, यूएसए, मोजंबिक और इरान हैं।

आकृति 11 – शीर्ष 10 खाद्य श्रेणी, उत्पाद और उत्पत्ति के देश

शीर्ष 10 खाद्य श्रेणियाँ (मात्रा–वार)

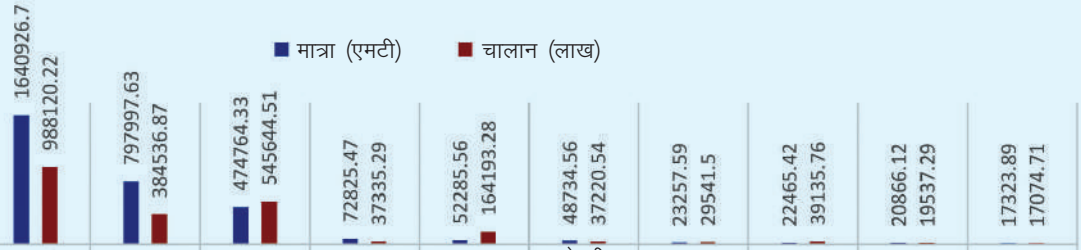

	पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद...	खाद्य सब्जियां और कुछ जड़ें और कंद	खाद्य फल और नटय खट्टे फल या खरबूजे के छिलके	तिलहन और ओलेजिनस फल विविध अनाज बीज...	कॉफी चाय के साथी और मसाले	डेयरी उत्पादन; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; खाद्य उत्पाद...	सब्जियों की तैयारी फल नट या पौधों के अन्य भागों	पेय सिरका और स्प्रिट	चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी	मछली और क्रस्टेशियंस मोलस्क और अन्य जलीय उल्टे अब...
मात्रा (एमटी)	1640926.7	797997.63	474764.33	72825.47	52285.56	48734.56	23257.59	22465.42	20866.12	17323.89
चालान (लाख)	988120.22	384536.87	545644.51	37335.29	164193.28	37220.54	29541.5	39135.76	19537.29	17074.71

शीर्ष 10 उत्पाद (मात्रा के अनुसार)

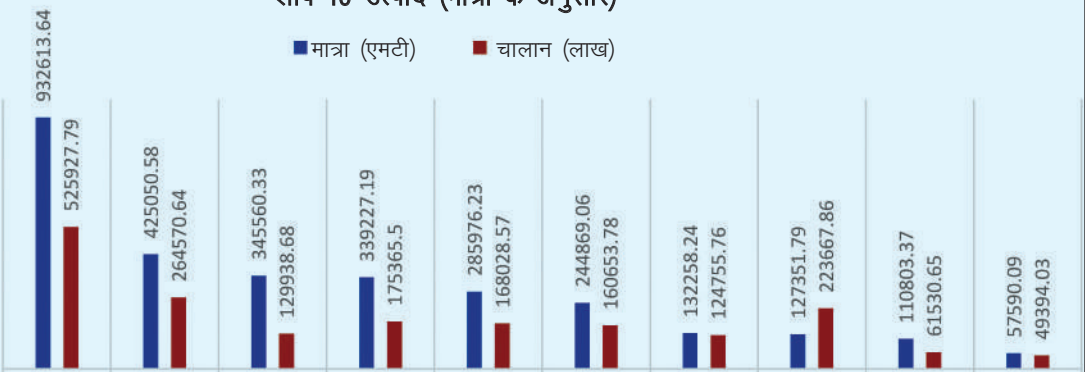

	थोक में कच्चा पाम तेल खाद्य ग्रेड	थोक में खाद्य ग्रेड के कच्चे सूरजमुखी के बीज का तेल	लाल मसूर (थोक में)	तूर साबुत नींबू (कच्ची दालें) (कैजनस कजान)	फसल (कच्ची दाल) (उड़द)	थोक में क्रूड डीगम्ड सोयाबीन तेल खाद्य ग्रेड	पीले चने (देसी चिकी मटर) (सिसर एरीटिनम)	बादाम खोल में (कच्ची गैर–परिपूर्ण किस्म)	ताजा लाल स्वादिष्ट सेब	हल्के धब्बेदार राजमा कच्चे दाने
मात्रा (एमटी)	932613.64	425050.58	345560.33	339227.19	285976.23	244869.06	132258.24	127351.79	110803.37	57590.09
चालान (लाख)	525927.79	264570.64	129938.68	175365.5	168028.57	160653.78	124755.76	223667.86	61530.65	49394.03

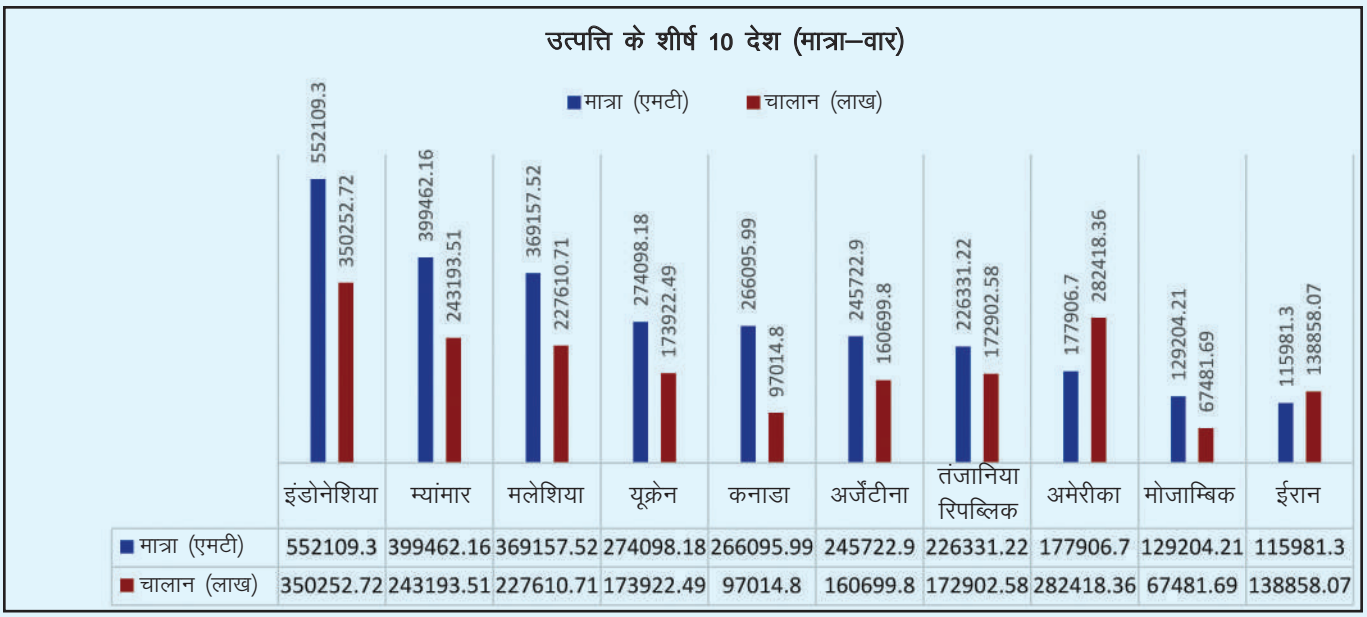

	इंडोनेशिया	म्यांमार	मलेशिया	यूक्रेन	कनाडा	अर्जेंटीना	तंजानिया रिपब्लिक	अमेरीका	मोजाम्बिक	ईरान
मात्रा (एमटी)	552109.3	399462.16	369157.52	274098.18	266095.99	245722.9	226331.22	177906.7	129204.21	115981.3
चालान (लाख)	350252.72	243193.51	227610.71	173922.49	97014.8	160699.8	172902.58	282418.36	67481.69	138858.07

6.2.2 एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान लिये गए नमूनों की संख्या तथा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का विवरण सारणी 17 में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने कुल 37,05,016 मीट्रिक टन की 52,932 आयातित खाद्य वस्तुओं को हैंडल किया। जहाँ तक एनओसी का संबंध है, 36,72,065 मीट्रिक टन की 51,913 खाद्य वस्तुओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

6.3 खाद्य आयात – व्यापार को निर्बाध बनाने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय

क. खाद्य सेवा/आपूर्ति निर्बाध सुनिश्चित कराने तथा लॉकडाउन के दौरान व्यापार को आसान बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 3 और 16 अप्रैल, 2020 को निर्देश जारी किए गए थे, जो 30 मई, 2020 तक वैध थे। ये निर्देश आयातित कच्चे तेल (खाद्य ग्रेड) की खेपों तथा खाद्यान्नों के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (पी–एनओसी) जारी करने के बारे में थे। इनमें प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया था कि वे खेप का चाक्षुष निरीक्षण उसके आने के दिन ही करें तथा निरीक्षण संतोषजनक होने पर नमूने लेकर प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अस्थायी एनओसी जारी कर दें।

ख. देश में दालों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 9 नवंबर, 2020 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि दालों के आयातक एफ.एस.एस.ए.आई के फिक्स पोर्टल पर बिल ऑफ एंट्री अग्रिम रूप में फाइल कर दें तथा प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया कि वे आयातित दालों की खेपों की खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रक्रिया बिना विलम्ब प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें।

ग. शहद की गुणता सुनिश्चित करने तथा उसके उत्पादन में आयातित गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर सिरप/राइस सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 20 मई, 2020 को सभी आयातकों/भारत में उक्त उत्पाद के आयातक खाद्य कारोबारियों को निर्देश

जारी किए कि वे निर्मुक्ति से पहले जाँच के समय प्राधिकृत अधिकारियों को उत्पादक तथा अंत्य आपूर्ति प्राप्तकर्ता संबंधी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें। आगे, प्राधिकृत अधिकारियों को कहा गया कि वे केवल आवश्यक कागजात प्राप्त होने के बाद तथा एफ.एस.एस.ए.आई की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के बाद ही उक्त उत्पादों की निर्मुक्ति जारी करें तथा यह भी कि वे उक्त उत्पादों की आयातित खेपों की निर्मुक्ति के विवरण संबंधित केंद्रीय अभिनामित अधिकारी को दें।

घ. दिनांक 20 अप्रैल, 2020 तथा 28 अक्तूबर, 2020 के आदेश द्वारा विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य अर्थात् उपापचय के जन्मजात दोषों तथा अल्प एलर्जी अवस्थाओं के खाद्य का आयात दिनांक 01 मई, 2021 तक अथवा उनके मानक अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो, अनुमत किया गया। ऐसे आयात केवल दिल्ली और मुंबई पत्तनों के माध्यम से ही अनुमत किए गए।

ङ. दिनांक 21 अगस्त, 2020 तथा 03 दिसंबर,2020 के आदेश द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई ने 01 मार्च, 2021 से 24 फसलों की आयातित खाद्य खेपों के साथ गैर–जीएम–सह–जीएम मुक्त प्रमाण–पत्र साथ लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में केवल गैर–जीएम खाद्य फसलों का ही आयात हो।

च. भारत में सुरक्षित खाद्य का आयात सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से प्रवेश के स्थानों पर सशक्त विनियमात्मक ढाँचा बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य आयात के प्रवेश के 22 स्थानों (हवाई अड्डों/पत्तनों/आईसीडी/एसईजेड/एलसीएस) पर अपने अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया। यह स्थान पहले सीमा शुल्क के अधिकारियों की देख–रेख में थे। यह मुंद्रा, कांडला और कृष्णापट्टनम् में दिनांक 10 मार्च, 2021 से एफ.एस.एस.ए.आई के नए आयात कार्यालय खोलने के परिणामस्वरूप हो सका।

सारणी 17 – दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के खाद्य आयात निर्मुक्ति संबंधी आँकड़े

पत्तन	आयातित खाद्य वस्तुओं की संख्या	कुल मात्रा (एमटी*)	जारी किए गए एनओसी की संख्या	जारी किए गए एनओसी से संबंधित मात्रा (एमटी*)
चैन्नई	7,860	11,00,204	7,748	10,98,237
कोच्चि बंदरगाह और हवाई अड्डा	2,038	32,733	1,927	31,451
दिल्ली	5,279	41,079	5,162	40,431
दिल्ली एनसीआर	45	1,219	44	1,215
कांडला*	30	13,768	30	13,768
कोलकाता	1,933	7,19,916	1,903	7,01,669

पत्तन	आयातित खाद्य वस्तुओं की संख्या	कुल मात्रा (एमटी*)	जारी किए गए एनओसी की संख्या	जारी किए गए एनओसी से संबंधित मात्रा (एमटी*)
कोलकाता हवाई अड्डा	107	160	102	160
कृष्णापट्टनम्*	27	57,024	26	57,006
मुंबई एअर कार्गो	2,097	989	2,058	982
मुंबई बंदरगाह	14	9,577	14	9,577
मुंबई– जेएनपीटी न्हावा सेवा	31,784	14,38,605	31,216	14,29,009
मुंद्रा*	360	10,765	355	10,694
टुटिकोरिन	1,358	2,78,976	1,328	2,77,865
योग	**52,932**	**37,05,016**	**51,913**	**36,72,065**

तारांकित (*) स्थानों के आँकड़े दिनांक 10.03.2021 से 31.03.2021 तक की अवधि के हैं।

अध्याय-7

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

7.1 खाद्य हैंडलर्स का प्रशिक्षण – खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)

7.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ज) के तहत एफ.एस.एस.ए.आई को उन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण में उनके अपने यहाँ अथवा बाहर प्रशिक्षण देने का अधिदेश है, जो खाद्य कारोबारी हैं अथवा जो खाद्य कारोबारी अथवा कर्मचारी अथवा अन्य रूप में खाद्य कारोबार में आना चाहते हैं। इस अधिदेश के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई ने देश में खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 17 मई, 2017 को 'खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन' कार्यक्रम आरंभ किया। यह खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV पर आधारित अच्छी स्वच्छता और उत्पादन रीतियों पर वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका ध्येय क्षमता–निर्माण के माध्यम से खाद्य कारोबारियों में स्व–अनुपालन की संस्कृति पनपाना है। इस कार्यक्रम को तेजी से अपनाया गया तथा मार्च, 2020 तक लगभग तीन लाख खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण दे दिया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन प्रशिक्षण सहयोगियों द्वारा किया जाता है तथा इनमें व्याख्यान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा दिए जाते हैं। 200 से अधिक प्रशिक्षण सहयोगी तथा 2,100 प्रशिक्षक फोस्टैक ईकोसिस्टम के अंग हैं। खाद्य हैंडलर्स को भौतिक प्रशिक्षण दिया गया तथा खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ उनके संपर्क से उन्हें खाद्य सुरक्षा विनियमों के अनुपालन में सहायता मिली। मार्च, 2020 में कोविड महामारी के फैलने के कारण भौतिक प्रशिक्षण रुक जाने से पूरा फोस्टैक ईकोसिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया।

7.1.2 कोविड–19 महामारी फैलने के बाद एफ.एस.एस.ए.आई ने निम्नलिखित दो मुख्य कदम उठाए:

क) फोस्टैक कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल, 2020 में कोविड–19 के निवारक उपायों पर खाद्य हैंडलर्स के लिए विशेष ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया। विशेषज्ञों ने खाद्य हैंडलर्स को उनके कारोबार की किस्म के निरपेक्ष स्वैच्छिक रूप से प्रशिक्षण देने की सहमति दी। स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं के लिए विशेष कक्षाएँ ली गईं। लगभग 2,600 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 78,000 खाद्य हैंडलर्स को कोविड के निवारक उपायों पर प्रशिक्षण दिया गया।

ख) लॉकडाउन अवधि के दौरान आरंभ में खाद्य हैंडलर्स को फोस्टैक कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक प्रशिक्षण देना बंद करना पड़ा था। अक्टूबर, 2020 में नियमित 19 प्रशिक्षण माड्यूलों पर ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण आरंभ किए गए। कोविड–19 के निवारक उपायों

पर जागरूकता कार्यक्रम को इन 19 प्रशिक्षण माड्यूलों के साथ मिला दिया गया। वर्ष के दौरान 7,477 नियमित फोस्टैक प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 2,24,729 खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण दिया गया। कुल मिलाकर मई, 2017 में फोस्टैक कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 31 मार्च, 2021 की अवधि तक एफ.एस.एस.ए.आई ने 20,160 फोस्टैक प्रशिक्षण आयोजित किए, जिनमें 5 लाख से अधिक खाद्य हैंडलर्स को प्रशिक्षण दिया गया।

7.2 विनियामक स्टॉफ प्रशिक्षण

7.2.1 खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अध्याय 2 के खंड 2.1.2 तथा 2.1.3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा अभिनामित अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी उपबंध हैं। इस अधिदेश के मद्देनजर एफ.एस.एस.ए.आई ने वर्ष 2016 में इन अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की, जिसके अनुसार उन्हें परिचय प्रशिक्षण के साथ–साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। इस नीति में एफ.एस.एस.ए.आई के नव–नियुक्त कार्मिक भी शामिल हैं।

7.2.2 उपर्युक्त प्रशिक्षण नीति में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 2020–21 के दौरान कई प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:

अप्रैल–जून, 2020 – 17 राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों यथा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली के 850 से अधिक विनियामक कार्मिकों अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, अभिहित अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोविड–19 दिशा–निर्देशों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

जुलाई, 2020 – पश्चिम बंगाल (18), ओडिशा (12), पंजाब (18) और हरियाणा (3) के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2020 से 11 जुलाई, 2020 तक छह–दिवसीय ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया गया। कुल 51 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

नवंबर–दिसंबर, 2020 – आंध्र प्रदेश (26), सिक्किम (4) तथा पश्चिम बंगाल (2) के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दिनांक 23 नवंबर, 2020 से 02 दिसंबर, 2020 तक आठ–दिवसीय ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनवरी, 2021 – तेलंगाना (28) और हिमाचल प्रदेश (5) के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दिनांक 11 जनवरी, 2021 से 20 जनवरी 2021 तक आठ–दिवसीय ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 33 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

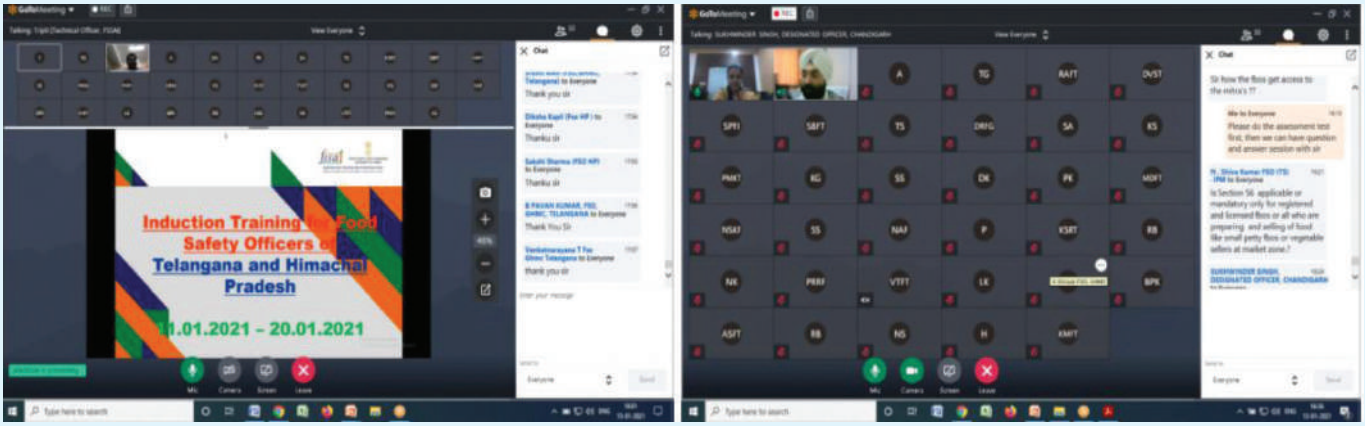

आकृति 12 – तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन परिचय प्रशिक्षण की कुछ झलकियाँ

7.3 एफ.एस.एस.ए.आई के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

एफ.एस.एस.ए.आई के पूरे देश में 160 नव–नियुक्त कार्मिकों को दो बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। दोनों बैचों के लिए दो सप्ताह का कक्षा–प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) में प्रदान किया गया। 80 प्रशिक्षार्थियों के पहले बैच को प्रशिक्षण दिनांक 02 फरवरी, 2021 से 12 फरवरी, 2021 तक तथा 80 प्रशिक्षार्थियों के ही दूसरे बैच को प्रशिक्षण दिनांक 16 फरवरी, 2021 से 26 फरवरी, 2021 तक दिया गया। इस कक्षा–प्रशिक्षण के बाद दोनों बैचों को एक–एक सप्ताह का क्षेत्र दौरा/ अंतःकार्य प्रशिक्षण दिया गया।

आकृति 13 – एफएसएसएआई में नव–नियुक्त कार्मिकों का पहला बैच

आकृति 14 – एफएसएसएआई में नव–नियुक्त कार्मिकों का दूसरा बैच

आकृति 15 – एफएसएसएआई में नव–नियुक्त कार्मिकों के प्रथम बैच के परिचय प्रशिक्षण का उद्घाटन

अध्याय-8

सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन तथा ईंट राइट इंडिया पहल

8.1 भारत में खाद्यजनित बीमारियों, अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापे की बढ़ती समस्या तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग इत्यादि गैर संचारी रोगों की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके परिपेक्ष में तथा जीवन के हर क्षेत्र अर्थात् घर, स्कूल, कार्य–स्थल, धार्मिक स्थल अथवा भोजनालय में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा स्वास्थ्यकर आहार के प्रति नागरिकों में सामाजिक तथा व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने 2016–17 में एसएनएफ (सुरक्षित और पोषक आहार) योजना आरंभ की थी। इस पहल में तेजी लाकर देश में स्वास्थ्यकर आहार का वातावरण बनाने तथा सही पोषण से बेहतर स्वास्थ्य लाने के प्रति लोगों को शिक्षित करने के लिए एसएनएफ परियोजना को 'ईट राइट इंडिया' अभियान में बदल दिया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा तथा पोषण से संबंधित विनियमात्मक तथा गैर–विनियमात्मक दोनों प्रकार की विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं। मुख्य हितधारकों तथा नागरिकों को शामिल करते हुए यह अभियान 10 जुलाई, 2018 को शुरू किया गया। यह अभियान जन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के तीन मुख्य कार्यक्रमों अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान के अनुरूप है। ईट राइट इंडिया के तीन स्तंभ हैं अर्थात् सुरक्षित खाएँ, स्वास्थ्यकर खाएँ और सही खाएँ।

8.2 ईट राइट इंडिया की विभिन्न पहलों में अभिसरण और सहमति बनाने; मॉनिटरिंग तथा प्रभाव के आकलन; प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा ईट राइट इंडिया पहल के तहत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने एक अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति गठित की है। पहली बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2021 को हुई। कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए मंत्रालयों/सम्बद्ध विभागों के साथ अलग–अलग कई अंतर–मंत्रालयी बैठकें भी की गईं। इन बैठकों का प्रयोजन अभिसरण के क्षेत्रों की पहचान करना, ध्येयों की प्राप्ति के बारे में नए विचार इकट्ठे करना तथा अपेक्षित कार्रवाई के बारे में निर्णय लेना है।

8.3 **सुरक्षित खाद्य तथा स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए कुछ विनियामक कदम निम्नानुसार हैं:**

i) प्रयुक्त कूकिंग तेल के हानिकर प्रभावों से बचने के लिए कूकिंग तेल में कुल पोलर कंपाउंडों की अधिकतम सीमा 25% निर्धारित करने वाले विनियमों की अधिसूचना।

ii) लेबलिंग और प्रदर्शन संबंधी विनियमों की अधिसूचना, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ सामान्य तथा विशिष्ट लेबलिंग अपेक्षाएँ दी गई हैं, यथा संघटकों की सूची, पोषण सूचना, ऊर्जा, कुल वसा, ट्रांस–फैट, कुल शर्करा और लवण तथा अनुशंसित आहार मान (आरडीए) में उनका योगदान इत्यादि शामिल हैं।

iii) 2022 तक 'ट्रांस–फैट मुक्त भारत' के ध्येय को प्राप्त करने के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2022 तक तेलों और वसाओं में ट्रांस–फैट की सीमा भारानुसार 2% से अनधिक तथा खाद्य उत्पादों में मौजूद तेल और वसा भारानुसार 2% से अनधिक रखने संबंधी विनियमों की अधिसूचना।

iv) स्कूलों में तथा उनके आस–पास सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 की अधिसूचना।

8.4 2020–21 के दौरान ईट राइट इंडिया की कुछ पहलों के संबंध में प्रगति

ईट राइट इंडिया पहल के अंतर्गत सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही आहार संबंधी कई महत्वपूर्ण पहलों में पर्याप्त प्रगति हुई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

8.4.1 स्वच्छता आकलन

स्वच्छता आकलन (हाइजीन रेटिंग) योजना का ध्येय खाद्य कारोबार में खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार लाना तथा बाहर खाना खाते समय उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सहायता करना है। इस योजना को खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों (होटलों, रेस्टोरेंटों, कैफे इत्यादि), बेकरियों, मिठाई की दुकानों तथा मांस की खुदरा दुकानों में लागू किया जा रहा है। विनियमात्मक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद 'स्वच्छता आकलन' योजना में शामिल होने वाले खाद्य कारोबारी अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं, जिसकी बाद में स्वच्छता आकलन ऑडिट एजेंसियों द्वारा जाँच की जाएगी। खाद्य प्राधिकरण ने 29 तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसियों व 12 अन्य एजेंसियों को स्वच्छता आकलन ऑडिट के लिए मान्यता दी है। इस समय देश में स्वच्छता आकलन ऑडिट करने वाले 200 से अधिक प्रशिक्षित स्वच्छता आकलन ऑडिटर हैं। आगे, भारत गुणता परिषद् ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्वच्छता आकलन ऑडिट एजेंसियों को मान्यता देने की योजना बनाई है। वर्ष 2020–21 के दौरान स्वच्छता आकलन योजना के लिए 2,995 खाद्य प्रतिष्ठानों ने नाम दिया, जिनमें से 1,790 ने सफलतापूर्वक प्रक्रिया को पूरा किया।

8.4.2 भोग (ईश को स्वच्छ आनंदमई अर्पण)

'भोग' धार्मिक स्थलों को अपने परिसर के खाद्य हैंडलर्स तथा आस–पास के क्षेत्रों में विक्रेताओं को सही खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के बारे में शिक्षित करके श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत जिन धार्मिक स्थानों पर प्रसाद तैयार/हैंडल किए जाते हैं, उनकी पहचान करके उनका ऑडिट किया जाता है तथा उनके खाद्य हैंडलर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने पर पहचाने गए धार्मिक स्थल को मान्यता दे दी जाती है/प्रमाणित कर दिया जाता है। वर्ष के दौरान 9 स्थानों अर्थात् श्रीदिगंबर जैन सिद्धि क्षेत्र कुंडलगिरि मंदिर, दामोह और श्रीओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, खंडवा (मध्य प्रदेश); तारा देवी मंदिर (हिमाचल प्रदेश); अरुलमिगु पापनाशांतर मंदिर, पापनाशम्; मेलमरुवतुर स्वयंभू अरुलमिगु आदिप्रशक्ति सिद्धार पीठम्, काँचीपुरम् और अरुलमिगु कल्याण वेंकटरमन् स्वामी मंदिर, करूर (तमिल नाडु); स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर (नई दिल्ली);

श्री महावीर स्थान न्यास समिति, पटना (बिहार); और संकट मोचन मंदिर, लंका, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को प्रमाणित किया गया। 31 मार्च, 2021 तक कुल 39 धार्मिक स्थानों का प्रमाणित किया जा चुका है।

8.4.3 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब'

'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' का ध्येय विद्यमान और स्थापित होने वाले स्ट्रीट फूड इकाईयों को उन्नत बनाना तथा स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता को फूड कोर्ट एवं स्थापित होटलों व रेस्त्रां के स्तर तक लाकर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ स्थानीय भोजन का आनंद देना है। 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को बेचने वाले विक्रेताओं/ दुकानों/ स्टॉलों का एक ऐसा केंद्र है जिनमें से 80 प्रतिशत या इससे अधिक दुकानो पर स्थानीय और क्षेत्रीय भोजन मिलता है और यह हब मूलभूत सफाई और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कमियों को पहचानने के लिए हब का प्रारंभिक ऑडिट किया जाता है तथा विक्रेताओं को मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देकर कमियों को दूर कर उनमें सुधार किया जाता है. सत्यापन के लिए अंतिम ऑडिट किया जाता है तथा उसके बाद उनका नेमी निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान 5 अन्य हबों को स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित किया गया तथा यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 25 स्ट्रीट फूड हबों को 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है व 22 अन्य स्ट्रीट फूड हब प्रक्रियाधीन हैं।

8.4.4 स्वच्छ और ताजा फल और सब्जी मंडी

8.4.4.1 इस पहल का प्रयोजन देश में समूहगत दृष्टिकोण के माध्यम से ताजा फलों और सब्जियों की असंगठित मंडियों में सुरक्षा तथा स्वच्छता के मुद्दों को हल करना है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्शित फल और सब्जियाँ मिल सकें। 'स्वच्छ तथा ताजा फल और सब्जी मंडी' का योजनागत विस्तृत प्रलेख तैयार कर लिया गया है और राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया है। एफ.एस.एस.ए.आई ने फलों और सब्जियों के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी नोट भी जारी किए हैं:

- 'एथिलीन गैस से फलों की कृत्रिम पकाई – सुरक्षित फल राइपनर'' पर मार्गदर्शी नोट संख्या 04/2018.
- ''फलों तथा सब्जियों पर स्टिकर'' के बारे में मार्गदर्शी नोट संख्या 05/2018
- ''पेस्टीसाइड : खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, सावधानियाँ तथा सुरक्षा उपाय'' पर मार्गदर्शी नोट संख्या 13/2020

8.4.4.2 यह नई पहल है। दिल्ली की 5 फल और सब्जी मंडियों, उत्तराखंड की 1 मंडी तथा गोआ की 1 मंडी का प्रमाणन–पूर्व का अंतिम ऑडिट लंबित है।

8.4.5 ईट राइट कैंपस

'ईट राइट कैंपस' पहल का ध्येय स्कूलों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्य–स्थलों, अस्पतालों, चाय बागानों इत्यादि के कैंपसों में सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही भोजन को बढ़ावा देना है। चार

विभिन्न मानदंडों के आधार पर बेंचमार्क बनाए गए हैं, जिनके अनुसार कैंपसों का आकलन किया जाता है तथा उन्हें 'ईट राइट कैंपस' के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इन मानदंडों में खाद्य सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्यकर तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सही खाद्य का उपबंध सुनिश्चित कराना और सही खाद्य के चयन के लिए कैंपसों में व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। 2020–21 के दौरान 53 कैंपसों को 'ईट राइट कैंपस' के रूप में प्रमाणित किया गया। इनमें ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, गोआ; आईटीसी लिमिटेड, फूड्स डिविजन, रंजनगाँव फैक्टरी, मुंबई; अपोलो होस्पीटल्स, तमिल नाडु; विप्रो लिमिटेड, कर्नाटक; आईआईटी गांधी नगर, गुजरात; जवाहर नवोदय विद्यालय, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। पहली बार आंगनवाड़ी केंद्रों तथा जेलों के नए कैंपसों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया।

8.4.6 ईट राइट स्कूल (ईआरएस)

8.4.6.1 ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का ध्येय खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के बारे में स्कूली बच्चों में तथा उनके माध्यम से समुदाय में जागरूकता पैदा करना है। खान–पान की आदतें जीवन के शुरुआत में पनपती हैं। स्कूल के पाठ्य तथा पाठ्येतर कार्यक्रमों में खाद्य तथा पोषण को पर्याप्त रूप से शामिल करना अनिवार्य है। ईआरएस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 53,043 स्कूलों को पंजीकृत किया जा चुका है।

8.4.6.2 स्कूलों में सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 अधिसूचित किया गया। विनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- स्कूल परिसर में सुरक्षित खाद्य तथा स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी,
- स्कूल परिसर में तथा उसके आस–पास सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देना,
- स्कूल परिसर में अथवा उसके चारों ओर 50 मीटर के दायरे में स्कूली बच्चों के लिए अधिक शर्करा, वसा व लवण वाले खाद्य का विपणन और विज्ञापन पर रोक,
- मॉनिटरी और निगरानी।

8.4.7 ईट राइट स्टेशन

8.4.7.1 'ईट राइट स्टेशन' पहल का ध्येय यात्रियों, आगंतुकों तथा रेलवे कार्मिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। मानदंडों को पूरा करने वाले रेलवे स्टेशनों को प्लेक और/अथवा श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र के माध्यम से 'ईट राइट स्टेशन' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

8.4.7.2 यह पहल जुलाई, 2019 में आरंभ की गई थी तथा संबंधित रेलवे प्राधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के बाद 2019–20 में 3 स्टेशनों को प्रमाणित किया गया था। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पहले

रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, मुंबई और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, दिल्ली को प्रमाणित किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन को भी प्रमाणित किया गया।

8.4.8 ईट राइट टूल किट

8.4.8.1 एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा तैयार की गई ईट राइट टूल किट एक आसानी से इस्तेमाल होने वाला व्यापक पैकेज है, जिसमें सुरक्षित, स्वास्थ्यकर तथा सही खान–पान के अहम संदेशों को समझाने के लिए सरल प्रशिक्षण मैनुअल तथा इंटरएक्टिव टूल (इन्फोटेन्मेंट वीडियो, एक्टिविटी कार्ड फ्लायर, पोस्टर, खेल इत्यादि) हैं जिनका प्रयोग जमीनी स्तर के स्वास्थ्यकर्मी और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है।

8.4.8.2 ईट राइट टूल किट पर 'आशा' प्रशिक्षण सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षकों (प्रशिक्षक का प्रशिक्षण) का दल बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आयोजित किया गया था। कोविड–19 महामारी को देखते हुए निम्नलिखित के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(i) राष्ट्रीय प्रशिक्षक – एफ.एस.एस.ए.आई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) तथा वाल्युएंटरी हेल्थ एसोशिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई) के कुल छह राष्ट्र–स्तरीय संसाधन कार्मिकों ने अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 38 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण दो बैचों में जून और जुलाई, 2020 में ऑनलाइन दिए गए।

(ii) राज्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई, एनएचएसआरसी और वीएचएआई के राष्ट्र स्तरीय संसाधन कार्मिकों की सहायता से दिया गया और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से आयोजित किए गए। 31 मार्च, 2021 तक राज्य प्रशिक्षकों के 09 ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 252 राज्य प्रशिक्षकों तथा 45 राज्य पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

8.4.9 खाद्य सुदृढीकरण

8.4.9.1 फूड फोर्टिफिकेशन रेसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) अपनी शुरुआत से ही देश के खुले बाजार के साथ–साथ सरकारी सुरक्षा नेट कार्यक्रमों में खाद्य सुदृढीकरण को वृहद् स्तर पर बढ़ावा देने के सतत प्रयास कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के मद्देनजर एफ.एफ.आर.सी ने ऑनलाइन वेबिनार, कार्यशालाएँ तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

8.4.9.2 आपूर्तिकर्ताओं के मध्य सुदृढीकरण को बढ़ावा देने के लिए दूध, तेल, चावल, मैदा और दुहरे सुदृढ़ीकृत नमक (डीएफएस) पर राष्ट्रस्तरीय वेबिनार आयाजित किए गए, जिनमें उद्योग, विकास सहयोगियों तथा सरकार के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। चावल के सुदृढीकरण में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर के कई वेबिनार किए गए। मणिपुर के लिए डेयरियों हेतु एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला की गई।

8.4.9.3 मांग की दिशा में, उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु, भारत की निम्नलिखित अग्रणी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित कराए गए:

- आउटलुक पत्रिका (Fortifying Food, Fortifying India)
- इंडिया टुडे (सुदृढीकरण पर लेख तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का साक्षात्कार)
- गृह लक्ष्मी
- द अवेयर कंज्यूमर (http://www.theawareconsumer.in/magazines/) (दिसंबर, 2020 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी का साक्षात्कार; जनवरी और फरवरी, 2021 – सुदृढीकरण पर पूरे पृष्ठ का विज्ञापन)
- डायनैमाइट न्यूज पर अंग्रेजी और हिंदी में एक माह तक डिजिटल विज्ञापन
- चैनल जी जेस्ट के 'द ग्रांड ट्रंक रसोई विद चेफ हरपाल सिंह सोखी' शो में सुदृढ़ीकृत पदार्थों के उपयोग से तैयार रसोई तथा उनके लाभों पर शोकेस

8.4.9.4 चावल के सुदृढीकरण पर सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लघु फिल्में बनवाई गईं तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें राज्यों को तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजा गया। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत सुदृढ़ीकृत चावल के सेवन पर समुदाय का फीडबैक लेने के लिए मध्य प्रदेश के तीन जिलों में आईईसी गतिविधियाँ की गईं। दुहरे सुदृढ़ीकृत नमक (डीएफएस) पर लघु फिल्में भी बनाई गईं तथा भ्रांतियों के निवारण और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने हेतु साझा की गईं।

8.4.9.5 मांग और आपूर्ति को समान बनाने के लिए, नेफेड और केंद्रीय भंडार के साथ उनके खुदरा स्टोरों में फोर्टिफाइड आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। उनके बिक्री कर्मचारियों के साथ कई प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं ताकि वे फोर्टिफाइड आहारों को बढ़ावा दे सकें और उपभोक्ताओं को उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में सूचित कर सकें। चावल सुदृढीकरण से संबंधित पोस्टर और डैंगलर बनाए गए और उचित मूल्य वाली दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को इनकी आपूर्ति की गई।

8.4.9.6 पक्षसमर्थक के तौर पर, एफएसएसएआई ने असम और मिजोरम का राजकीय दौरा किया जहां प्रतिनिधिमंडल ने मिजोरम के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सुदृढीकृत आहार को अपनाने के लिए मेघालय राज्य के साथ एक वेबिनार भी आयोजित किया गया था।

8.4.9.7 दिल्ली राज्य के आंगनबाडी केन्द्रों में खाद्य सुदृढीकरण के कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां

8.5 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को देश भर में सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन सुनिश्चित करने का अधिदेश है। अधिनियम की धारा 16 (छ) एफएसएसएआई को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने का आदेश देती है जिनसे जनता, उपभोक्ताओं, इच्छुक पार्टियों और पंचायतों के सभी स्तरों को उचित तरीकों और साधनों के माध्यम से तेजी से, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और व्यापक जानकारी प्राप्त हो। वर्ष के दौरान, ईट राइट पहल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियां शुरू की गईं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन मोड और आयोजनों/प्रदर्शनियों सहित ऑफ़लाइन माध्यम दोनों का उपयोग करके संचार के विभिन्न माध्यमों से कोविड–19 के चलते हितधारकों को सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यकर आहार संबंधी सुविधा प्रदान की और इस संबंध में शिक्षित किया।

8.6 'सेंटर फॉर फूड, प्लैनेट एंड हेल्थ'

एफएसएसएआई ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के सहयोग से एलबीएसएनए, मसूरी में 'सेंटर फॉर फूड, प्लैनेट एंड हेल्थ' (सीएफपीएफ) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को समग्र रूप से सोचने तथा कार्य करने में में सक्षम बनाना है और ऐसी खाद्य संबंधी नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देना जो लोगों एवं प्लैनेट दोनों के लिए स्वास्थ्यकर हों। 95वें फाउंडेशन कोर्स की कोर्स टीम और सेंटर फॉर फूड, प्लैनेट एंड हेल्थ ने 16 दिसंबर, 2020 को भारत के शीर्ष पोषण विशेषज्ञों में से एक, सुश्री रुजुता दिवेकर द्वारा अतिथि वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने 95वें फाउंडेशन कोर्स के 428 अधिकारी प्रशिक्षुओं के बीच 'ईट राइट इंडिया' अभियान, हमारे दैनिक जीवन में उचित पोषण के महत्व व भोजन जो लोगों एवं प्लैनेट दोनों के लिए स्वास्थ्यप्रद हो पर नीतियों और कार्यों को बढ़ावा देने पर बात की और जागृत किया।

8.7 खाद्य सुरक्षा और पोषण में पेशेवरों के साथ संयोजन (नेटप्रोफेन)

नेटप्रोफेन खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों का एक नेटवर्क है। वर्तमान में, निम्नलिखित सात संघों के सदस्य इस नेटवर्क का हिस्सा हैं – एसोसिएशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्स (एओएसी) इंडिया चैप्टर; एसोसिएशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट–इंडिया (एएफएसटी (आई)); इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन (आईडीए); इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशन (आईएफसीए); इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए); इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (आईपीएचए); तथा न्यूट्रीशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (एनएसआई)। इस नेटवर्क की सदस्यता व्यक्तिगत स्तर पर,जैसे छात्रों, खाद्य आलोचकों आदि को भी प्रदान की गई जो इन संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं पर नेटवर्क में सम्मिलित होना चाहते हैं। वह लोग राजदूत के रूप में ईट राइट इंडिया अभियान का समर्थन कर सकते हैं। वर्ष के दौरान, ईट राइट इंडिया के विषय पर कई गतिविधियाँ और मासिक चुनौतियाँ आयोजित की गईं। कम से कम 10 नए चैपटर शुरू किए गए और वर्तमान में 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 30 सिटी चैपटर कार्य कर रहे हैं।

- पहला समाचार पत्र जारी किया गया जिसमें अब तक विभिन्न चैपटरों द्वारा संचालित सभी गतिविधियों के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई और अन्य चैपटरों के लिए गतिविधियों के

आसानी से उपलब्ध टेम्पलेट्स के माध्यम से सीखने का अनुभव प्रदान किया गया, जिसे उनके क्षेत्र में दोहराया जा सकता है।

- एक समान संदेश भेजने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी चैपटरों के माध्यम से एक मासिक विषय को बढ़ावा दिया गया था जैसे कि मानसून के दौरान खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुदृढ़ीकरण, एचएफएसएस को कम करना, ट्रांस वसा को समाप्त करना।

- महीने की शुरुआत में विभिन्न गतिविधियों के लिए एक टेम्पलेट परिचालित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चैपटर को मान्यता दी गई थी। इन गतिविधियों में सुनिश्चित किया गया कि सभी हितधारकों और विशेष रूप से चैपटर के छात्र राजदूतों की भागीदारी सुनिश्चित की।

8.8 ईट राइट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयोजित चुनौतियाँ/प्रतियोगिताएं

8.8.1 एफएसएसएआई ने सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन के बारे में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कई ऑनलाइन चुनौतियों/प्रतियोगियों का भी आयोजन किया। इनका विवरण निम्न प्रकार है:

8.8.2 एफएसएसएआई ने फूड सिस्टम विजन प्रतियोगिता में भाग लिया और रॉकफेलर फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खाद्य प्रणाली विज़न पुरस्कार के लिए एफएसएसएआई को अपनी ईट राइट इंडिया पहल और विज़न 2050 के लिए 110 देशों से 1,300 से अधिक आवेदकों के पूल के बीच शीर्ष दस फाइनलिस्टों में चुना गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित करना है जहां हर किसी को अपने स्वास्थ्य में सुधार और कल्याण के लिए बहु–विषयक 'खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण' के माध्यम से सुरक्षित और सतत खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

8.8.3 *ईट राइट चैलेंज (ईआरसी)*– इस चुनौती की कल्पना ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने और विनियमों और प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में की गई है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करना और दूसरों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। ईट राइट चैलेंज में कुल 186 शहरों/जिलों को नामांकित किया गया था। प्रत्येक जिले/शहर को रुपये 5,00,000/– (रुपये पांच लाख मात्र) का अनुदान भी प्रदान किया गया है।

8.8.4 *ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज II (ईआरसी II)*– इस चैलेंज का उद्देश्य विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर भोजन के वातावरण के निर्माण के लिए छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा का लाभ उठाना और बचपन से ही उन्हें स्वस्थ आहार की आदतों को विकसित करने के लिए संलग्न करना, उत्साहित करना और सक्षम बनाना है। ईआरसी II 16 अक्टूबर, 2020 से 20 जनवरी, 2021 तक पोस्टर और फोटोग्राफी की प्रतियोगिता थी। इस चैलेंज में कुल 4,987 स्कूलों ने भाग लिया।

8.8.5 *आहार में नमक, चीनी और वसा को कम करने के लिए 21 दिन की चुनौती–* आम जनता को प्रेरित करने के लिए 21 दिवसीय चुनौती सीरीज आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक दिन नमक, चीनी और वसा को कम करने के आसान और त्वरित सुझाव साझा किए गए।

8.8.6 *घर की रसोई–स्वास्थ्यकर पकाने की विधि प्रतियोगिता–* 'ईट राइट कैंपस' बनने के प्रयास के रूप में एफएसएसएआई ने कर्मचारियों को भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतों को विकसित करने के लिए शामिल और प्रोत्साहित किया। विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर, 2020 को 'घर की रसोईः स्वादिष्ट भी, स्वास्थ्यकर भी' नामक स्वास्थ्यकर पकाने की विधि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विजेता व्यंजनों को एफएसएसएआई द्वारा डिजाइन की गई पुस्तक में चित्रित किया गया।

8.8.7 *कम नमक डालकर पकाने की राष्ट्रीय चुनौती–* स्वास्थ्यकर भोजन बनाने की दिशा में एक कदम– अधिक नमक के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, कम नमक का उपयोग करके आम तौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के महत्व और तरीकों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, 27 जनवरी से 15 फरवरी, 2021 तक "नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज" का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। भारत के छह क्षेत्रों में से एक किसी क्षेत्र विशिष्ट भोजन के स्वाद और सुवास से समझौता किए बिना कम नमक का उपयोग करके संपूर्ण पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए पोषण और पाक संबंधी समुदाय की टीमों से चुनौती आमंत्रित की गई। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों से 4 या 2 व्यक्तियों की टीम बनाकर भाग लिया। शीर्ष पांच विजेताओं/टीमों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

8.8.8 *प्लांट प्रोटीन युक्त नाश्ता पकाने की विधि प्रतियोगिता–* यह प्रतियोगिता मार्च, 2021 में प्रोटीन दिवस के अवसर पर भारतीय नागरिकों के बीच नवाचार और स्वास्थ्यकर खाना पकाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी जिससे कि वे अपने दिन की शुरुआत स्वास्थ्यकर नाश्ते से करें। यह प्रतियोगिता सभी समुदायों के खाना पकाने के शौकीन सभी लोगों के लिए थी। सर्वश्रेष्ठ 60 प्रविष्टियों का प्लांट प्रोटीन रिच रेसिपी बुक में नाम छापा जाएगा और उन्हें 1000/– रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

8.8.9 *खाद्य इतिहास प्रतियोगिता–* भारतीय पाक कला 5000 साल पुरानी समयरेखा से जुड़ी हुई है। हालांकि भारतीय पाक कला समय के साथ और विदेशी शासकों और यात्रियों द्वारा देश में लाए गए अलग–अलग प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। ऐसे विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं। उसी का दस्तावेजीकरण करने के लिए, एफएसएसएआई द्वारा इस वर्ष ऑनलाइन खाद्य इतिहास प्रतियोगिता का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। सर्वश्रेष्ठ 50 प्रविष्टियों को 1000/– रुपये प्रत्येक के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

आकृति 16 – चुनौतियों/प्रतियोगिताओं का आरंभ

8.9 कार्यक्रम/ ट्रेड शो/ प्रदर्शनी

8.9.1 *विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस– वर्ष 2020* की थीम, "खाद्य सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है" के अनुरूप, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 07 जून, 2020 को वर्चुअल रूप से मनाया गया। यह आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े उन सभी को समर्पित था जिन्होंने कोविड–19 महामारी के दौरान सभी के लिए सुरक्षित भोजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की। इस अवसर पर, एक मार्गदर्शन नोट 'कोरोनावायरस (कोविड–19) महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा दिशानिर्देश'; नागरिकों के लिए "कोविड–19 के दौरान सही खाएं" पर ई–हैंडबुक व राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग मुख्य अतिथि डॉ हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।

8.9.2 *विश्व खाद्य दिवस– 16 अक्टूबर, 2020* को विश्व खाद्य दिवस वर्चुअल रूप से मनाया गया। डॉ हर्षवर्धन, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने "ग्रो, नरिश, सस्टेन– टुगेदर" विषय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर स्कूलों के लिए "ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज", स्मार्ट सिटी मिशन और द फूड फाउंडेशन, यूके के साथ साझेदारी में एफएसएसएआई द्वारा "ईट स्मार्ट सिटी" (चुनौती) और कई किताबें / दिशानिर्देश भी प्रक्षेपित किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे।

8.9.3 *फूड फिएस्टा एवं फ्लावर्स शो*– एफएसएसएआई ने 20–21 फरवरी, 2021 को नई मोती बाग, नई दिल्ली में एक फ्यूजन और फूड फिएस्टा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं को मुख्यधारा में रखते हुए स्वास्थ्यकर व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि को कम करने के लिए +F चिन्ह वाले फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उपयोग पर जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। विजेताओं को फोर्टिफाइड फूड हैम्पर्स दिए गए।

आकृति 17 – फूड फिएस्टा एवं फ्लावर्स शो की झलक

8.9.4 *इंडस फूड 2021*– एफएसएसएआई ने इंडस फूड 2021 में भाग लिया। इसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) द्वारा 20–21 मार्च, 2021 को इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। देश में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस), खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स), खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक), खाद्य परीक्षण और अन्य कार्यक्रमों जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लैटफॉर्म का प्रदर्शन किया गया।

आकृति 18 – इंडस फूड 2021 की झलक

8.10 संसाधन पुस्तकों और संचार सामग्री का विकास

वर्ष के दौरान, विभिन्न संसाधन सामग्री का विमोचन किया गया यथा 'ईट राइट इंडिया हैंडबुक' जो ईट राइट इंडिया (ईआरआई) पहलों को अपनाने और बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक गाइड है; खाद्य व्यवसायों के लिए 'स्कूल कैंटीन/मैस को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता दिशानिर्देश'; 'क्या आप सही खाते हैं?' एक ई–पुस्तक जो आम जनता के लिए भोजन और पोषण और ईट राइट पहलों पर तकनीकी अवधारणाओं का सरल पारंपरिक शैली में अनुवाद करती है; देश भर में कार्यस्थलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, जेलों, अस्पतालों आदि जैसे ईट राइट कैंपस के लिए 'ऑरेंज बुक'; 'दैनिक सिफारिशें और खाद्य सुदृढ़ीकरण' राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक पुस्तिका; 'कोरोना वायरस महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा दिशानिर्देश' जो खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी/खाद्य संचालक के लिए दिशानिर्देशों का वर्णन करने वाला एक मार्गदर्शन दस्तावेज है ; शिक्षकों के लिए 'खाद्य सुरक्षा गाइडबुक'।

आम जनता को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इन ई–बुक्स को वेबसाइट पर डाला गया।

आकृति 19 – माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा संसाधन पुस्तकों का विमोचन

8.11 MyGov, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से जागरूकता

8.11.1 सोशल मीडिया आउटरीच– एफएसएसएआई ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के माध्यम से कोविड सावधानी संदेशों, खाद्य सुरक्षा और खाने की स्वास्थ्यकर आदतों और अन्य नियमित अपडेट सहित अपनी जन जागरूकता सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया। नागरिकों से जुड़ने के लिए प्रतिदिन की पोस्ट के अलावा स्थानीय व मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष ऑनलाइन सीरीज, 'रेसिपी रविवार' का आयोजन किया गया।

8.11.2 कोविड जागरूकता सीरीज– एफएसएसएआई अपने सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है ताकि समुदायों को कोविड–19 महामारी के अभूतपूर्व समय में उचित कार्रवाई के साथ

मार्गदर्शन करने में मदद मिल सके। खाद्य सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वच्छता रीतियों, खाने की स्वास्थ्यकर आदतों, सामाजिक दूरी और नागरिकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करते हुए एफएसएसएआई के आधिकारिक हैंडल से हिंदी और अंग्रेजी में दो पोस्ट मार्च 2020 की शुरुआत से 5 महीने की अवधि के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर डाले गए। ये ट्वीट/पोस्टर https://fssai-gov-in/cms@coronavirus-php पर उपलब्ध हैं।

8.11.3 MyGov के सहयोग से जागरूकता वीडियो– कोविड के समय में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए युक्तियों और सावधानियों पर MyGov प्लैटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता के लिए सेलिब्रिटी समर्थित 30 सेकंड या 60 सेकंड के लघु वीडियो बनाए गए।

8.11.4 इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा विभिन्न जागरूकता विषयों जैसे कि भोजन में मिलावट की जांच के लिए सरल टिप्स; सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए खाद्य सुदृढ़ीकरण के लाभ; ट्रांस फैट पर जागरूकता; स्कूली बच्चों के लिए मिलावट परीक्षण आदि पर भी जन जागरुकता के लिए वीडियो बनाए गए। इन वीडियो को व्यापक पहुंच के लिए व्हाट्सएप सहित विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जाता है।

8.11.5 टीवी के माध्यम से जागरूकता– ईट राइट इंडिया पर विभिन्न स्क्रॉल संदेश और खाद्य व्यवसायों के अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को डीडी न्यूज, डीडी किसान और डीडी क्षेत्रीय केंद्रों पर प्रसारित किया गया। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन पर श्री राजकुम्मार राव (अभिनेता) अभिनीत 60 सेकंड का एक वीडियो अभियान 'आज से थोड़ा कम' भी जारी किया गया।

8.11.6 चुनिंदा लेख– विभिन्न ऑनलाइन पत्रिकाओं में कुल 28 लेख प्रदर्शित किए गए।

8.11.7 MyGov पर ऑनलाइन ईट राइट क्विज– "ईट राइट क्विज" एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाने की स्वास्थ्यकर आदतों और सतत खाद्य रीतियों के बारे में देश भर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक पहल है। इस गतिविधि का उद्देश्य नागरिकों को अपने भोजन की आदतों में सुधार करने के लिए संलग्न करना, उत्साहित करना और सक्षम बनाना है और परिणामस्वरूप परस्पर सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में सुधार और उनका कल्याण करना है। क्विज 1 दिसंबर, 2020–31 जनवरी, 2021 तक आयोजित हुआ। शीर्ष 100 प्रतिभागियों को 1000/– रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्विज में कुल 86,988 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.11.8 स्वास्थ्य और कल्याणसंबंधी ऑनलाइन जागरूकता सीरीज– एफएसएसएआई मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए "ईट राइट, ईट सस्टेनेबली" (सही खाओ, सतत रूप से खाओ) पर व्याख्यान की एक सीरीज आयोजित की गई। इसमें जागरूकता सीरीज के हिस्से के रूप में विवेकपूर्ण तरीके से खाने, उपवास रखने और सही पोषण के महत्व पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑस्ट्रिया में सेंटर फॉर मॉडर्न मेयर मेडिसिन, VIVAMAYR (वीवामेयर) के संस्थापक, प्रो. डॉ. हैराल्ड स्टोसियर; श्री संग्राम सिंह, ओलंपिक विजेता और प्रेरक वक्ता और फिटनेस विशेषज्ञ; डॉ शिखा शर्मा, पोषण विशेषज्ञ की वार्ता सम्मिलित थी।

आकृति 20 – सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता की मुख्य विशेषताएं

अध्याय-9

कोडेक्स

9.1 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन (सीएसी) संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) की संयुक्त अंतर–सरकारी संस्था है, जिसके 189 सदस्य {188 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन (ई.यू)} हैं। कोडेक्स उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उचित व्यापार रीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए सुमेलित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक बनाने के लिए 1963 से कार्यरत है। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 1964 से सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता रहा है। भारत कोडेक्स की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उन्हें आयोजित तथा सह–आयोजित करने में सहयोग करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण के समय भारत के मुद्दे भी ध्यान में रखे जाएँ।

9.2 वर्ष के दौरान एफएसएसएआई भारत के राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी) के रूप में कार्यरत रहा और इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया जो खाद्य उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षा और सही रीतियों को सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन और उसके सहायक निकायों की बैठकें वर्चुअल रूप से और लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद हुईं। वर्ष 2020–2021 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स संबंधी गतिविधियां हुईं:

9.3 कोडेक्स बैठकों में भागीदारी

9.3.1 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2020–मार्च 2021 की अवधि के दौरान आयोजित निम्नलिखित वर्चुअल बैठकों में भाग लिया, जहां प्रतिनिधिमंडलों ने सुनिश्चित किया कि भारत के मुद्दों को बड़े पैमाने पर संबोधित किया जाए।

क. कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का 43वां सत्र (सीएसी 43)।

ख. सीएसी की कार्यकारी समिति का 79वां और 80वां सत्र (सीसीईएक्सईसी)।

ग. सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति का 32वां सत्र (सीसीजीपी 32)।

घ. कोडेक्स और महामारी पर सीसीईएक्सईसी की उप समिति।

ङ. प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों पर कोडेक्स समिति (सीसीपीएफवी 29) का 29वां सत्र–पत्राचार द्वारा कार्य करना।

भारत की अध्यक्षता में यथा प्रस्तावित चिली सॉस, मैंगो चटनी और वेयर पोटैटो के मानकों को सीएसी 43 द्वारा स्वीकृत कोडेक्स मानकों के रूप में अंगीकृत किया गया।

9.4 उप–समिति और कार्यशालाओं सहित कार्य समूह

9.4.1 भारत ने मुख्य कोडेक्स सत्रों के अलावा निम्नलिखित बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया, इनपुट प्रदान किया और भारत के मुद्दों और हितों को उचित रूप से प्रस्तुत कियाः

क. "कोडेक्स और महामारी" पर सीसीईएक्सईसी उप–समिति।

ख. विज्ञान की भूमिका से संबंधित सिद्धांत के स्टेटमेंट्स के अनुप्रयोग पर सीसीईएक्सईसी उप–समिति।

ग. प्रवेशी और निवर्तमान क्षेत्रीय समन्वयक कार्यशाला–भारत ने एशिया के लिए एफएओ/डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (सीसीएएसआईए) के लिए पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक के तौर पर भाग लिया।

घ. 2021 में होने वाली मुख्य कोडेक्स बैठकों के अनुरूप कार्य समूह की बैठकें।

ङ. सीसीजीपी (सीसीजीपी 32) के 32वें सत्र के संबंध में सीसीएएसआईए–यूएस संगोष्ठी।

9.5 राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु, भारत (एनसीसीपी) के कामकाज के लिए संशोधित दिशानिर्देश

9.5.1 एनसीसीपी के लिए कार्य दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में एफएसएसएआई के वैधानिक और गैर–सांविधिक निकायों के विलय और व्यापक स्तर पर हितधारकों के समावेश के साथ कोडेक्स समन्वय समूहों की स्थापना सम्मिलित हैं।

9.6 खाद्य सुरक्षा आपात प्रतिक्रिया प्रणाली

वर्ष के दौरान, खाद्य सुरक्षा आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए एक रूपरेखा विकसित की गई, जिसका उद्देश्य समय पर और समन्वित प्रतिक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संभावित या पुष्ट जोखिम का प्रबंधन करना है। इस तरह की प्रणाली खाद्य अधिकारियों को केवल व्यक्तिगत घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय रोकथाम और तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, और इसलिए इसका अधिक दीर्घकालिक सातत्य है।

अध्याय-10

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

10.1 एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुरूप, खाद्य प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अधिदेश है। खाद्य प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा मानकों पर किए गए कार्य के समन्वय को भी बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के बीच अनुरूपता को बढ़ावा देगा। इस गतिविधि के भाग के रूप में एफएसएसएआई वर्ष 2020–2021 के दौरान निम्नलिखित का हिस्सा रहा है।

10.2 मौजूदा हस्ताक्षरित सहयोग समझौतों के तहत हुईं खाद्य गतिविधियों पर कार्य का समन्वय

क. न्यूज़ीलैंड

10.2.1 मिनिस्टरी फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ (एमपीआई) और एफएसएसएआई के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग व्यवस्था (एफएससीए) को लागू करने के तौर–तरीकों पर चर्चा करने के लिए 11 अगस्त, 2020 को भारत में न्यूज़ीलैंड के उच्चायुक्त और अध्यक्ष, एफएसएसएआई के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

10.2.2 अनुवर्ती कार्रवाई:

क. प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के साथ सहयोग समझौते के तहत गतिविधियों को अंतिम रूप देने के लिए 10 सितंबर, 2020 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ एक प्रारंभिक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इन चर्चाओं में प्रवेश के बंदरगाह पर निरीक्षण/त्वरित सीमा स्वीकृति प्रक्रिया, संबंधित राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रणाली (एनएफसीएस) पर फोकस की पहचान, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण को पारस्परिक स्वीकृति, जैविक उत्पादों के लिए आपसी मान्यता समझौता और भैंस के मांस और ट्रॉपिकल फलों जैसे उत्पादों में व्यापार की समस्याओं से संबंधित मामले शामिल थे।

ख. इसके बाद, न्यूज़ीलैंड पक्ष के साथ पहली परामर्श मंच की बैठक सितंबर, 2020 में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा चयनित विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। व्यापक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, जैविक प्रमाणीकरण, गैर–जीएम आश्वासन आदि से संबंधित चर्चा की गई।

ग. न्यूज़ीलैंड पक्ष के साथ दूसरी परामर्श मंच की बैठक 25 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई। चर्चा के विषयों में प्रवेश के बंदरगाह, निरीक्षण और त्वरित सीमा स्वीकृति प्रक्रिया पर कार्यान्वयन प्रावधान पर हस्ताक्षर करने के लिए अगले कदम, एफएसएसएआई की बीआईएस मार्क प्रमाणन योजना अपेक्षाओं की समीक्षा पर अद्यतन, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन पर सहयोग,

गैर–जीएम आश्वासनों के लिए भारत की प्रस्तावित आवश्यकताओं पर अद्यतन और दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण पर विदेशी विनिर्माण परिसर प्रयोगशाला सहयोग का पंजीकरण सम्मिलित थे।

घ. एच.ई.ब्रेंट रैपसन, कार्यवाहक उच्चायुक्त, न्यूज़ीलैंड और सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफएसएसएआई के बीच एफएसएसएआई और एमपीआई, न्यूज़ीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में गैर–जीएमओ प्रमाणपत्र के मामले पर और भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए 3 फरवरी, 2021 को वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

10.2.3 यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए)

ईएफएसए के साथ समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में 25 सितंबर, 2020 को "डेटा संग्रह और जोखिम आकलन क्षमता निर्माण पर ईएफएसए–एफएसएसएआई चर्चा" आयोजित की गई, जिसमें एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारियों एवं ईएफएसए और यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग के भारत के दूतावास से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

10.2.4 फ्रांस

इस वर्ष के लिए एएनएससीएस (खाद्य, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी फ्रांसीसी एजेंसी) के साथ समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में सहयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 2 मार्च 2021 को भारत में फ्रांस के दूतावास के कृषि मामलों के काउंसलर और निदेशक (व्यापार और आई सी), एफएसएसएआई के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

10.3 व्यापार भागीदारों के साथ बैठकों के माध्यम से व्यापार सुविधा

i. सीईओ, एफएसएसएआई ने 25 अगस्त, 2020 को यूएसएफडीए के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लिया, जिसमें यूएसएफडीए और एफएसएसएआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं, प्रशिक्षण के अवसरों और यूएसए के आयात अलर्ट सिस्टम पर ज्ञान साझा करने और प्रेडिक्ट सिस्टम के विस्तृत विश्लेषण के बारे में चर्चा की गई।

ii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 11 नवंबर 2020 को आयोजित "खाद्य सुरक्षा पर बांग्लादेश खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (बीएफएसए)– विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) का वर्चुअल कार्यक्रमः खाद्य सुरक्षा में सुधार, कोविडयुग में सबको समान मौके देना" में अपने इनपुट दिये।

iii. एफएसएसएआई के अधिकारियों और पोलैंड के द्वितीय सचिव, श्री टॉमस जांकज़क ने 2 दिसंबर, 2020 को आयोजित वर्चुअल बैठक में आयातित खाद्य खेपों के साथ गैर–जीएम सह जीएम–मुक्त प्रमाणपत्रों की आवश्यकताओं पर चर्चा की।

iv. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 9 दिसंबर, 2020 को वेब पर आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के बीच 11वीं जेडब्ल्यूजी में भाग लिया, जिसमें पिछली बैठक यानी 10 वीं भारत–यूरोपीय संघ जेडब्ल्यूजी बैठक के कार्य बिंदुओं, यूरोपीय संघ के नीतिगत विकास ("फार्म से फोर्क तक" रणनीति–वर्तमान स्थिति),खाद्य के लिए गैर जीएम–सह–जीएम मुक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता की समीक्षा की गई।

v. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मुद्दे पर 18 दिसंबर, 2020 को भारत और डेनमार्क के बीच पर तीसरी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में खाद्य सुरक्षा के विषय पर योगदान दिया।

vi. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 12 जनवरी, 2021 को आयोजित खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन पर डब्ल्यूएचओ सूचना सत्र में भाग लिया और सत्र में प्रतिभागियों को एफएसएसएआई की ईट राइट पहलों के बारे में सूचित किया।

vii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 13 जनवरी, 2021 को भूटान के अधिकारियों के साथ चौथे वर्चुअल सम्मेलन में योगदान दिया, जिसमें माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की भूटान यात्रा से उत्पन्न होने वाले कार्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।

viii. 2 फरवरी, 2021 को ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के काउन्सलर डॉ. यूक लोर्क के साथ एफएसएसएआई के अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया निर्यात प्रमाणन, जीएम मुक्त प्रमाणन खाद्य आयात, विदेशी खाद्य निर्माण (रजिस्ट्रीकरण/निरीक्षणों) में बदलाव पर चर्चा की गई।

ix. 11 फरवरी, 2021 को द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चिली के दूतावास के राजदूत श्री जुआन रोलांडो अंगुलो मोनसाल्वे और सीईओ, एफएसएसएआई के बीच एक बैठक हुई।

x. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए 16–17 फरवरी, 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 13 वीं बैठक में भाग लिया।

xi. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 27 फरवरी, 2021 को यूएसएफडीए के साथ वर्चुअल बैठक में झींगा पर एफएसएसएआई–अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियामिकी भागीदारी पर चर्चा की।

xii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 01 मार्च, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित "खाद्य एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी फोरम बैठक" में भाग लिया।

xiii. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आगामी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए 02 मार्च, 2021 को भारत–जर्मनी के बीच कृषि पर 7वीं संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लिया।

xiv. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों पर 10 मार्च, 2021 को आयोजित वीसी के माध्यम से भारत–रूस सामरिक आर्थिक संवाद (आईआरएसईडी) के तहत कृषि और कृषि–प्रसंस्करण पर समन्वय समिति की बैठक में योगदान दिया।

xv. एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 25 मार्च, 2021 को कृषि पर 9वीं भारत–फ्रांस जेडब्ल्यूजी वर्चुअल बैठक में भाग लिया, ताकि एजेंस फ्रांसिकेस डी डेवलपमेंट के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की जा सके। इस बैठक में जैविक उत्पादों; भारत में आयातित फ्रांसीसी उत्पादों का पुनः प्रमाणन; 24 आयातित उत्पादों के लिए गैर–जीएम प्रमाणन; रूपांतरित उत्पादों के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र; और विदेशी खाद्य निर्माण सुविधाओं के रजिस्ट्रीकरण और निरीक्षण के संबंध में 16 नवंबर, 2020 को अधिसूचित मसौदा एफएसएस (आयात) संशोधन विनियम पर भी चर्चा की गई।

अध्याय-11

एफएसएसएआई में डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और ई-शासन

11.1 एफएसएसएआई के आईटी प्रभाग की भूमिका और जिम्मेदारियां

11.1.1 बीते कई वर्षों के दौरान एफएसएसएआई प्रौद्योगिकी का लाभ लेता रहा है ताकि साझेदारी और अभिसरण के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा और पोषण को एक साथ संबद्ध कर और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए कई प्रकार के सुधार हो सके। संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के बदलते प्रतिमानों के साथ, एफएसएसएआई का तीन साल पुराना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग विभिन्न हितधारकों और एफएसएसएआई के सभी प्रभागों को ढांचागत समर्थन, हार्डवेयर समर्थन और सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन/पोर्टल समर्थन के विकास से संबंधित सभी प्रकार की आईसीटी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

11.1.2 आईटी प्रभाग का मुख्य कार्य आईटी के बुनियादी ढांचे का विकास, परिनियोजन और समर्थन करना है जो एफएसएसएआई के सभी प्रभागों के आंतरिक कर्मचारियों, भागीदार संगठनों, खाद्य व्यवसायों, उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के अन्य हितधारकों के लिए आसानी से पहुँच सुनिश्चित करता है। वर्तमान में स्थापित आईटी डिवीजन एफएसएसएआई में स्थित है जिसमें लगभग 36 कर्मी हैं, जिनमें परियोजना समन्वयक, विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकार के कौशल वाले डोमेन विशेषज्ञ आदि शामिल हैं।

11.2 एफएसएसएआई में आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण

11.2.1 नई दिल्ली मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में आईटी के बुनियादी ढांचे को काफी सुदृढ़ किया गया है:

(i) सभी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ बढ़ा दी गई है और आज की तारीख में यह पीजीसीएल के माध्यम से दिल्ली में एफएसएसएआई मुख्यालय में 300 एमबीपीएस, ई–ऑफिस के लिए समर्पित एनआईसी के माध्यम से 100 एमबीपीएस और अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 12 एमबीपीएस है। एनआईसी डाटा सेंटर में, एफएलआरएस (अब फोसकोस) के लिए छह सर्वर हैं जिनमे कुल आवंटित संसाधन हैं: 292 कोर सीपीयू, 224 जीबी रैम और 20.252 टीबी एचडीडी।

(ii) क्लाउड अंगीकरण: विभिन्न वेबसाइट, माइक्रो–साइट्स और अन्य एप्लिकेशन पोर्टल अब बीएसएनएल क्लाउड से चल रहे हैं। एफएसएसएआई ने इंटरनेट पर अपने सभी नए अनुप्रयोगों को होस्ट करने के लिए "क्लाउड फर्स्ट" रणनीति अपनाई है जिससे आवश्यक समय और लागत को कम करने में मदद मिली है।

(क) बीएसएनएल क्लाउड में, एफआईसीएस के लिए, कुल आवंटित संसाधन के साथ अब तीन वीएम हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 14 वीसीपीयू; 40 जीबी रैम; 2240जीबी एचडीडी। इसके अलावा, अन्य सभी 40+ वेबसाइटों/पोर्टल (11VMs) के लिए बीएसएनएल क्लाउड की सेवाएं ली हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 16 वीसीपीयू; 28 जीबी रैम 1040 जीबी एचडीडी।

(ख) एनआईसी की राष्ट्रीय क्लाउड सेवाएँ 'मेघराज' में पहले से खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफओएससीओएस) एप्लिकेशन होस्ट किया गया है। 'मेघराज' उचित आपदा रिकवरी प्रकार्यों के साथ एक विश्वसनीय, कम लागत वाला और मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसमें आठ वीएम हैं जिनमें कुल आवंटित संसाधन हैं: 112 वीसीपीयू; 224 जीबी रैम और 3620 जीबी एचडीडी।

(iii) एफएसएसएआई मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय अब वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से लैस हैं और आवश्यकता अनुसार आंतरिक रूप से और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर समन्वय के साथ–साथ यात्रा और अन्य लागत में कटौती होती है।

11.2.2 इससे सभी एप्लिकेशन में गति, सुरक्षा, अधिक उपलब्धता, कम लागत, मापनीयता और लचीलापन सुनिश्चित करते हुए अत्यन्त सुरक्षित क्लाउड आर्किटेक्चर का अंगीकरण किया जा सकेगा।

11.3 सिस्टम/सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/पोर्टल

11.3.1 एफएसएसएआई में डिजिटलीकरण की संपूर्णता–अवधारणा से कृत्य तक पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न नए एप्लिकेशन पारितंत्र, नए डेटा पारितंत्र का निर्माण हुआ है जो उपभोक्ताओं द्वारा अपने मॉडल के अनुकूलन के लिए पारितंत्र बनाने के लिए नए उत्पादों, सेवाओं, चैनलों और पोर्टलों को प्रेरित करेगा। प्रमुख डिजिटल पहलों में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों, पोर्टलों और माइक्रो–साइटों की शुरूआत शामिल है –

क. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस)

ख. खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स)

ग. भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट)

घ. खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)

ङ. नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण प्रणाली (फोस्कोरिस) एप्प के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन

च. ईट राइट इंडिया और अन्य माइक्रो–साइट्स डिजिटलीकरण पहलें

उपर्युक्त प्रमुख अनुप्रयोगों को बनाए रखने के अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान शुरू किए गए कई नए कार्यों का निम्न रूप से संक्षेप में वर्णन किया गया है।

11.4 क. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस)

(क) मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) (जो 2011 से चलन में है) के

स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोसकोस) पूरे भारत में चालू है। फोसकोस (पूर्व में एफएलआरएस) ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्लैटफॉर्म के प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन्स में से एक है जो एफएसएसएआई की लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है और इसका देश के रेलवे के सभी 16 क्षेत्रों सहित पूरे भारत में परिचालन हो रहा है। फोस्कोस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और यह सुचारू रूप से चल रहा है। यह https://foscos.fssai.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसे सरल, तेज और व्यापक बनाने के प्रयोजन से इसमें अतिरिक्त प्रकार्य हैं ताकि एफबीओ आसानी से खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। फोस्कोस की प्रणाली संरचना अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है और सूक्ष्मसेवाओं का उपयोग करती है जो इसे कई स्वतंत्र सहयोगी घटकों में विभाजित करती हैं।

(ख) वर्ष 2020–2021 में पूर्ण किए गए फोस्कोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं –

1. फोस्कोस एप्लिकेशन ने संपूर्ण भारत में रेजरपे पेमेंट गेटवे अपना लिया है और लाइसेन्स शुल्क केंद्रीय रूप से एकत्र करके राज्यों के बैंक खाते के विवरण में डाल दिया जाता है।
2. एफएलआरएस प्रणाली से सक्रिय लाइसेंस और पंजीकरण डाटा का स्थानांतरण।
3. फोस्कोस में फोर्टिफिकेशन एप्लिकेशन मॉड्यूल।
4. व्यवसाय के प्रकार (केओबी) के अनुसार दस्तावेज़ सूची का निर्माण।
5. पूरे भारत में रेलवे एफबीओज़ के लिए फोस्कोस का शुभारंभ।
6. फोस्कोस के साथ ऑडिट प्रबंधन प्रणाली और स्वच्छता रेटिंग प्रणाली का अनुकलन।
7. निरीक्षण करने के लिए विभिन्न नए प्रकार्यों के साथ फोस्कोरिस ऐप का शुभारंभ।
8. निरीक्षण को छोड़कर सभी चरणों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण स्वतः जारी करना और स्वतः अस्वीकृत करना।
9. पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक्सिस बिलडेस्क निधि भुगतान अनुकलन।
10. मध्य प्रदेश राज्य के लिए एमपी ऑनलाइन भुगतान अनुकलन।
11. दिल्ली राज्य के साथ ई–चालान और एसबीआई ई–पे भुगतान का अनुकलन।
12. एफएलआरएस से फोस्कोस में स्थानान्तरण प्रक्रिया दिसंबर 2020 के महीने में पूरी हुई।
13. अखिल भारतीय केंद्र/राज्य/पंजीकरण के लिए पेयूबिज़ कार्यान्वयन।
14. फोस्कोस में नए जिलों के मानचित्रण का कार्यअनवरत प्रक्रिया के रूप में किया जा रहा है।
15. रेज़रपे और पेयूबिज़ में स्वतः धनवापसी और स्वतः मिलाप।

ख. खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स)

(क) खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स) भारत में आयातित खाद्य की निर्मुक्ति की प्रक्रिया के लिए एकीकृत वेब आधारित प्रणाली है और यह सीमा शुल्क विभाग की आइसगेट प्रणाली के

साथ भी एकीकृत है। खाद्य आयात अलर्ट प्रणाली (एफआईएएस) को भी फिक्स में अंतर्निहित किया गया है, जो https://fics.fssai.gov.in/ पर उपलब्ध है, जिससे कस्टम अधिकारियों को बंदरगाहों पर खाद्य अस्वीकृत करने में सहायता मिलती है।

(ख) वर्ष 2020–2021 में पूर्ण किए गए फिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. फिक्स–फोस्कोस अनुकलनः फोस्कोस द्वारा एक एपीआई विकसित किया गया है और इसका फिक्स में एफएसएसएआई लाइसेंस (आयातक) के विवरण को प्रमाणित और कैप्चर करने के लिए फिक्स द्वारा उपयोग किया जाता है।
2. अनंतिम एनओसी के लिए संदेश विनिमयः पूर्वतः नाशवान और पहले से पैक खुदरा वस्तुओं के लिए अनंतिम एनओसी हेतु कोई संदेश विनिमय नहीं था। बंदरगाहों पर पीएनओसी की भौतिक प्रति जारी करके स्वीकृति प्रदान की जा रही थी। अब दिनांक 1 जनवरी, 2021 से एफएसएसएआई और सीमाशुल्क विभाग के बीच स्वचालित संदेश सेवा शुरू हो गई है।
3. रिपोर्टिंग सर्वरः उत्पादन सर्वर से ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए खोज और रिपोर्टिंग के उद्देश्य से एफएसएसएआई बंदरगाहों को एक अलग रिपोर्टिंग सर्वर प्रदान किया गया है। इसका लिंक संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध है।
4. प्रशिक्षण सर्वरः ऐपलिकेशन प्रोसेस फ्लो के बारे में जागरूक करने के लिए हितधारकों को एक अलग प्रशिक्षण सर्वर प्रदान किया गया है।
5. नए बंदरगाह और प्रवेश स्थलः फिक्स में 2 नए बंदरगाह (मुंद्रा और कृष्णापट्टनम्) और 22 नए प्रवेश स्थल जो़ड़ दिए गए हैं। ये सभी दिनांक 10 मार्च, 2021 से परिचालित हैं।
6. सिंगल विंडो बिल ऑफ ऐंट्री काउंटः निदेशक (आयात) लॉगिन में सिंगल विंडो के माध्यम से संख्या और बिल ऑफ ऐंट्री की स्थिति जानने के लिए प्रावधान किया गया है।
7. एओ स्पष्टीकरण प्रावधानः तकनीकी अधिकारी द्वारा जाँच के बाद प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र/अनुवर्ती जाँच कर सकता है।
8. अंतिमित उपयोग घोषणाः दस्तावेज को अपलोड करने का प्रावधान अक्षम कर दिया गया है और अंतिमित उपयोग हेतु सूचना को कैपचर करने के लिए नई फील्ड शुरु की गई हैं।

(ग) वर्तमान में किए जा रहे कार्यः

1. एसईजेड एकीकरण
2. डीजीएफटी एकीकरण
3. डैशबोर्ड का अनुकूलन

ग. भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट)

भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट) किसी भी प्रकार का खाद्य नमूना परीक्षण करने वाली सभी प्रयोगशालाओं का एकीकरण करने के लिए आईटी समाधान है। यह प्रणाली राज्यों को निगरानी गतिविधियों की योजना बनाने और निष्पादन करने में सहायता करती है। वर्ष 2020–21

में इन्फोल्नेट में जोड़े गए कुछ नए फीचर निम्नलिखित हैं:

1. जाँच रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया।
2. मानकों के अनुसार उत्पाद बनाम मापदंड डेटाबेस अपडेट किया गया।
3. प्रयोगशाला उपकरणों की सूची शामिल की गई।
4. परीक्षण के नमूनों का डाटा विश्लेषण।
5. प्रयोगशाला के लिए अपनी प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
6. एफएसएसएआई प्रयोगशाला एडमिन लॉगिन में विभिन्न प्रयोगशालाओं को गतिशील आधार पर सूचीबद्ध करना और प्रयोगशाला को सक्षम/अक्षम बनाने का प्रावधान किया गया।
7. उत्पाद सर्वेक्षण फीचर
8. इन्फोल्नेट के साथ तृतीय पक्ष लिम्स एकीकरण।

घ खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) प्रशिक्षण पोर्टल

फोस्टैक खाद्य मूल्य श्रंखला के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन पोर्टल है। प्रशिक्षण और प्रमाणन एफएसएसएआई का मुख्य प्रकार्य बन गया है। ऑनलाइन संसाधनों के अलावा, इसमें तीन प्रकार के प्रशिक्षण मॉड्यूल हैं यानी मूल, उन्नत और विशिष्ट।

वर्ष 2020–2021 में फोस्टैक प्रशिक्षण पोर्टल पर पूर्ण किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

1. कोविड रजिस्ट्रीकरण लिंक।
2. कोविड कोर्स तैयार किए गए।
3. कोविड कोर्स के अनुसार डैशबोर्ड में परिवर्तन।
4. आकलन की स्थिति अपडेट कर दी गईः एबसेंट फील्ड का समावेशन।
5. प्रशिक्षु रजिस्ट्रेशनः कई जाँचों के बाद फॉर्म अपडेट किया गया।
6. प्रशिक्षण कैलेंडर के स्वतः अनुमोदन के लिए न्यूनतम समय और बैठने की अधिकतम व्यवस्था का मैट्रिक्स तैयार किया गया।
7. पीपीटी, पीडीएफ और टेक्स्ट दस्तावेजों की अध्ययन सामग्री के ऑनलाइन मॉड्यूल की लिंक्स बनाई गईं।
8. प्रशिक्षकों और आकलनकर्ता की उपलब्धता की जाँच की गई।
9. प्रशिक्षण के लिंक्स सहित प्रशिक्षण कैलेंडर का ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किए गए।
10. आकलन की तिथि और समय एवं समाप्ति तिथि और समय की जाँच की गई।
11. नए कोविड कोर्स के लिए सभी वर्तमान प्रशिक्षकों की मैपिंग की गई।
12. टीपी मॉड्यूल से प्रशिक्षु रजिस्ट्रीकरण नए फॉर्म की अपेक्षानुसार अपडेट किया गया।

ङ स्वच्छता रेटिंग पोर्टल

वर्ष के दौरान किए गए कार्य निम्नलिखित हैं:

1. फोस्कोस में स्वच्छता रेटिंग की व्यवस्था की गई।
2. फोस्कोस के अनुसार डीओ/एफएसओ/आयुक्त के सभी मॉड्यूल अपडेट किए गए।
3. एफबीओ की आईडी के लाइसेंस नंबर अपडेट कर दिए गए हैं।
4. नए फोस्कोस के अनुसार 6 एपीआईएस तैयार किए गए।
5. एफएसएसएआई द्वारा एपीआई तैयार किया गया जो कृत स्वच्छता रेटिंग के अनुरूप फोस्कोस में परिलक्षित होता है।

च. संपरीक्षा प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान किए गए कार्य निम्नलिखित हैं

1. पूरी परियोजना निर्धारित अवधि में लाइव हो गई।
2. संपरीक्षक/अभिकरण का मॉड्यूल फोस्कोस मॉड्यूल के अनुरूप किया गया।
3. लाइसेंस का विवरण फोस्कोस की अपेक्षाओं के अनुसार बनाया गया।
4. एफएसएसएआई द्वारा एपीआई बनाया गया जो कृत एएमएस संपरीक्षा के अनुरूप फोस्कोस में परिलक्षित होता है।

11.5 MyGov प्लैटफॉर्म के साथ सहकार्य

एफएसएसएआई ने MyGov प्लैटफॉर्म, जिसकी व्यापक पहुंच है, के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और अन्य पहलों की पहुंच बढ़ाने के लिए MyGov टीम के साथ सहकार्य किया। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत, MyGov प्लैटफॉर्म पर स्वास्थ्यकर भोजन, सुरक्षित भोजन, उपभोक्ता सशक्तीकरण, खाद्य विनियामक पारितंत्र आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाला एक ऑनलाइन ईट राइट क्विज अभियान शुरू किया गया अर्थात् https://quiz.mygov.in/quiz/eatright-quiz. ईट राइट क्विज कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद एक और अभियान 'एक्सपर्ट स्पीक्स' शुरू किया गया, जिसमें MyGov प्लैटफॉर्म पर विशेषज्ञों द्वारा सही खाने पर एक छोटी अवधि की वीडियो टिप उपलब्ध कराई जाती है।

11.6 समाज में पहुँच/डिजिटल कनेक्ट

11.6.1 पहले की तरह, अंतिमित–उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचने के लिए कई नए संचार माध्यम शुरु किए गए हैं, जो उपभोक्ता और एफएसएसएआई के बीच एक सीधी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब एफएसएसएआई चार सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म – फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।

11.6.2 एफएसएसएआई के पास टोल–फ्री हेल्पलाइन डेस्क भी है जिसके हेल्पलाइन नंबर को कनेक्ट माध्यमों की सहायता से संचारित किया गया है। उपर्युक्त कई चैनलों से आने वाली सभी शिकायतों/प्रश्नों को वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप्प–खाद्य सुरक्षा कनेक्ट पर स्वतः पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

11.6.3 ईट राइट इंडिया से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य समन्वित बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है। सभी स्वतंत्र ईट राइट पहल पोर्टलों को एफएसएसएआई के इस एकीकृत पोर्टल के अंतर्गत लाया जाएगा।

11.6.4 डिजिटल मित्र के लिए प्रशिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान करने का कार्य प्रगति पर है।

11.6.5 वेबसाइट डिजाइन में नवीनतम रुझानों को देखते हुए एफएसएसएआई की एकीकृत वेबसाइट नए रूप में डिजाइन और विकसित की गई है। इसमें सूचना को अधिक सुविधाजनक तरीके से संरचित किया गया है ताकि नागरिक प्रभावी तरीके से डाटा प्राप्त कर सकें। एफएसएसएआई की सभी ऐपलिकेशन और पहलें https://fssai.gov.in पर उपलब्ध इस एकीकृत वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं।

11.6.6 एफएसओ के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढीकरण) विनियम को अच्छी तरह से समझ सकें जिससे सुदृढ़ीकृत उत्पादों की गुणता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वेबसाइट https://ffrc.fssai.gov.in/training/ पर उपलब्ध है।

सारणी 18 – एफएसएसएआई की वेबसाइटों/पोर्टलों और अन्य डिजिटल पहलों की सूची

क्र. स.	नाम	URL
1	एफएसएसएआई की मुख्य एकीकृत वेबसाइट (द्वि भाषी)	https://fssai.gov.in
2	खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस)	https://foscos.fssai.gov.in/
3	खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (फिक्स)	https://fics.fssai.gov.in
4	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)	https://fostac.fssai.gov.in
5	खाद्य फोर्टिफिकेशन संसाधन केंद्र (एफएफआरसी)	https://ffrc.fssai.gov.in
6	भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क (इन्फोल्नेट)	https://infolnet.fssai.gov.in/
7	खाद्य उत्पाद पहचान सत्यापन प्रणाली (एफपीआईवीएस)	https://fssai.gov.in/fpivs
8	फूड कल्चर	https://fssai.gov.in/foodculture
9	आईएफएस क्विक ऐक्सेस	https://fssai.gov.in/IFSquickaccess
10	स्वच्छता रेटिंग	https://eatrightindia.gov.in/hygieneRating
11	खाद्य सुरक्षा ज्ञान समावेश नेटवर्क (एफएसकेएएन)	https://fssai.gov.in/fskan
12	एफएसएसएआई इंटर्नशिप पोर्टल	https://fssai.gov.in/internship
13	एफएसएसएआई भर्ती पोर्टल	https://fssai.gov.in/recruitment
14	एफएसएसएआई प्रशिक्षक पोर्टल	https://fssai.gov.in/trainers
15	एफएसएसएआई वैज्ञानिक पैनल पोर्टल	https://fssai.gov.in/scientificpanels
16	डाइट4लाइफ	https://diet4life.fssai.gov.in

क्र. स.	नाम	URL
17	द्रुत परीक्षण के माध्यम से मिलावट का पता लगानाः डार्ट	https://fssai.gov.in/dart
18	नियमित निरीक्षण और नमूनाकरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फोस्कोरिस)	https://foodregulatory.fssai.gov.in/foscoris
19	खाद्य विनियामक पोर्टल	https://foodregulatory.fssai.gov.in/
20	जैविक भारतः जैविक इंटीग्रिटी डाटाबेस	https://jaivikbharat.fssai.gov.in/
21	सेव फूड शेयर फूड पोर्टल	https://sharefood.fssai.gov.in/
22	एफएसएसएआई ई–टिप्पणी पोर्टल	https://fssai.gov.in/comments
23	ईट राइट अभियान	https://fssai.gov.in/EatRightMovement
24	प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनःप्रयोग (आरयूसीओ)	https://fssai.gov.in/ruco/
25	बारंबार पूछे गए प्रश्नों पर परामर्श (एफएक्यूएस)	https://fssai.gov.in/faqs
26	एफएसएसएआई ईट राइट इंडिया पहल वेबसाइट	https://eatrightindia.gov.in/ व प्रत्येक पहल के लिए अलग लघु पोर्टल
27	खाद्य और पोषण से संबंधित पेशेवरों का नेटवर्क (नेटप्रोफैन)	https://fssai.gov.in/NetProFaN
28	राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई)	https://fssai.gov.in/sfsi
29	प्राधिकृत कस्टम अधिकारियों का खाद्य आयात निर्मुक्ति पर प्रशिक्षण	https://fssai.gov.in/fictac
30	संपरीक्षा प्रबंधन प्रणाली	https://fssai.gov.in/AMS/
31	खाद्य सुरक्षा कनेक्ट	https://foscos.fssai.govin/consumergrievance/
32	एफएसएसएआई कोविड पोर्टल	https://fssai.gov.in/fscovidportal/
33	खाद्य विश्लेषक परीक्षा पोर्टल	https://fssai.gov.in/cms/fae&jae.php

11.7 भविष्य में किए जाने वाले कार्यः एफएसएसएआई ने कई नई पहलें शुरू की हैं

1. नई खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फोस्कोस) को विभिन्न नई विशेषताओं के साथ लॉन्च किया गया है और इस एप्लिकेशन में कुछ नयी विशेषताएँ शीघ्र आएंगी।
2. नई खाद्य आयात स्वीकृति प्रणाली (फिक्स) ऐप्लिकेशन बनाई जाएगी और उसे नए वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा।
3. इन्फोलनेट 2.0 विभिन्न नई विशेषताओं के साथ लॉन्च किया गया। इसके अतिरिक्त और भी नयी विशेषताएँ आने वाली हैं। निगरानी पोर्टल तैयार किया जाएगा और लिम्स के साथ इन्फोल्नेट का समेकन किया जाएगा।
4. आधार प्रमाणीकरण को फोस्कोस और फिक्स में समेकित किया जाएगा।
5. पैन, आधार, सीआईएन और जीएसटीएन के साथ समेकन किया जाएगा।
6. प्रयोगशाला की मान्यता के लिए पोर्टल तैयार किया जाना है।

अध्याय-12

राजभाषा

12.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अपने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता को निभाने में खाद्य प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसरण में राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

12.2 वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति

(i) प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। सभी प्रभागाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं।

(ii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रुप से प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। वर्ष के दौरान इन बैठकों का नियमित रुप से आयोजन किया गया और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही।

(iii) प्राधिकरण में हिंदी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल रुप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। वर्ष के दौरान इस प्रकार की 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में प्राधिकरण में नव–नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए हिंदी में सरकारी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया।

(iv) प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए हिंदी के प्रयोग प्रयोग से संबंधित प्रत्येक तिमाही में तैयार की गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गई और यह रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई।

(v) राजभाषा अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 14–29 सितम्बर, 2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े का शुभारंभ 14 सितम्बर को हिंदी दिवस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समारोह के आयोजन से हुई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:

1. टिप्पण और आलेखन
2. निबंध
3. वाद–विवाद
4. अनुवाद

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कर और सांत्वना पुरस्कार के रुप में क्रमश 4000/–रुपये, 2500/–रुपये, 1500/–रुपये और 750/– रुपये की राशि रखी गई थी। इसके अलावा वर्ष के दौरान सर्वाधिक कार्य करने वाले अनुभागों को सम्मानित करने के लिए रखी गई शील्ड योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन प्रभाग को यह शील्ड प्रदान की गई। इसके अलावा, तकनीकी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन1–फूड फार थाट के अंतर्गत में सर्वश्रेष्ठ हिंदी प्रविष्टि को 5000/– रुपयेकी नकद राशि से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेताओं को नकद राशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।

(vi) प्राधिकरण के अधिकारियों और कम्रचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्यय से वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यालय सहायिका का प्रकाशन किया गया है।

(vii) वर्ष के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में खाद्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया गया।

(viii) सभी प्रभागों और अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से परस्पर संपर्क अभियान जारी रखा गया।

12.3 अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन कराने के लिए प्राधिकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना जारी रहा।

अध्याय-13

आरटीआई मामले

वित्तीय वर्ष 2020–21 (01.04.2020–31.03.2021)

1	वर्ष के दौरान आरटीआई आवेदनों से निपटने का संक्षिप्त विवरण	आदि शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारियों से अंतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन (अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामले	मामले जिनमें अनुरोध/अपील को अस्वीकार किया गया	मामले जिनमें अनुरोध/अपील को स्वीकार किया गया
	आवेदन	117	290	1150	184	8	1236
	प्रथम अपील	07	0	133	0	0	98
2	**अनुशासनिक मामले**	उन मामलों की संख्या जिनमें किसी अधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई हो					एक
3	**सीएपीआईओ/ सीपीआईओ /एए के रूप में अभिनामित अधिकारियों की संख्या**	अभिनामित सीएपीआईओ की कुल संख्या		अभिनामित सीपीआईओ की कुल संख्या		अभिनामित एए की कुल संख्या	
		शून्य		27		27	

4	उन अवसरों की संख्या जिनमें आवेदन को अस्वीकार करने के लिए विभिन्न उपबंध लागू किए गए आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराएँ													
	धारा 8 (1)										धाराएँ			
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य
	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

5	धारा 7(1) के तहत (रुपयों में) एकत्र किया गया पंजीकरण शुल्क	धारा 7(3) के तहत (रुपयों में) एकत्र किया गया अतिरिक्त शुल्क	धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा यथानिर्देशित (रुपयों में) रीकवर की गई दंड की राशि
	2380 रुपये	2024 रुपये	0

6.	यदि लोक प्राधिकारियों ने नागरिकों द्वारा आवेदित सूचना के परिणामस्वरूप अपने नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन किया है, तो कृपया उन परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण दें (अधिकतम 500 वर्ण) – शून्य		
7.	**ब्लॉक V (अनिवार्य घोषणाओं संबंधी विवरण)**		
क	क्या धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा लोक प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है?	यदि (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या प्रसार का अन्य कोई माध्यम है? नीचे विवरण दें	यदि (क) का उत्तर 'हाँ' हो तो उस वेबसाइट का विवरण/यू.आर.एल बताएँ, जहाँ यह घोषणा उपलब्ध है
	हाँ	नहीं	https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/RTI-Information-Section-22-01-2020.pdf.
ख	धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा को अपडेट करने की पिछली तिथि		22.01.2020
ग	क्या अनिवार्य घोषणा को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/6/20011–R, दिनांक 15.05.2013 के अनुसार तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट किया गया?		यदि (ग) का उत्तर 'हां' है– वेबपेज का विवरण/ यूआरएल प्रदान करें, जहां लेखापरीक्षा रिपोर्ट पोस्ट की गई है।
	जी नहीं		–

वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष 2020–21

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्‌य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

विषय-सूची

1.	तुलन पत्र	113
2.	आय–व्यय लेखा	114
3.	उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों की अनूसूचियां	115
4.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	133
5.	अनुसूची 26–महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां, अनुसूची 27– आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी	135
6.	अनुबंध 1	139
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	147

दिनांक 31-03-2021 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कोर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं	अनूसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कोर्पस/पूँजीगत निधि	1	6,67,66,83,748	4,80,37,34,124
आरक्षित और अधिशेष	2	-	2,34,65,151
उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
जमानती ऋण और उधारी	4	-	-
गैर–जमानती ऋण और उधारी	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	75,45,45,201	59,95,13,590
योग		**7,43,12,28,949**	**5,42,67,12,865**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियां	8	23,07,31,708	24,54,63,809
निवेश – उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	7,20,04,97,241	5,18,12,49,056
विविध व्यय		-	-
(बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित सीमा तक)		-	
योग		**7,43,12,28,949**	**5,42,67,12,865**

सहायक निदेशक (वित्त) **निदेशक (वित्त)** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई**

स्थानः नई दिल्ली
दिनाकं : 10.11.2021

दिनांक 31-03-2021 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनूसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सेवाओं से आय	12	46,61,86,539	56,38,76,750
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13	1,75,11,59,341	2,74,19,93,501
अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13.1	-	16,97,272
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निधियों को अंतरित उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों में निवेश से आय)	15	1,688	-
रायल्टी, प्रकाशनों इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	31,83,96,692	28,06,61,979
अन्य आय	18	2,96,21,910	9,54,41,639
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि /(कमी) और चालू कार्य	19	-	-
योग (क)		**2,56,53,66,169**	**3,68,36,71,141**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	24,40,97,021	19,80,40,480
प्रशासनिक इत्यादि व्यय	21	78,84,47,721	51,83,33,117
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	22	7,17,99,928	5,90,10,343
अनुदानों/सब्सिडियों इत्यादि पर व्यय	23	4,64,595	1,10,34,55,278
मूल्यह्रास	24	3,59,56,198	3,24,09,141
ब्याज	25	9,76,41,290	-
योग (ख)		**1,23,84,06,753**	**1,91,12,48,359**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष (क–ख)		1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
स्पेशल रिजर्व को अंतरित		-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरित		-	-
अधिशेष/(घाटे) के रूप में कोर्पस/पूँजीगत निधि को ले जाई गई शेष राशि		**1,32,69,59,416**	**1,77,24,22,782**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	27		

सहायक निदेशक (वित्त) **निदेशक (वित्त)** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई**

स्थानः नई दिल्ली
दिनाकं : 10.11.2021

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1– कोर्पस/पूँजीगत निधि	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	4,80,37,34,124	3,03,13,11,342
जोडें: कोर्पस/पूँजीगत निधि को अंशदान		
जोडें/(घटाएं): आय तथा व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष		
आय और व्यय लेखा	1,32,69,59,416	1,77,24,22,782
जोड़ें: पूंजीनिधि का पूंजीकरण	52,25,25,057	-
जोड़ें: बंदोबस्ती निधि से हस्तांतरित राशि	2,34,65,151	-
वर्ष के अंत में – शेष	**6,67,66,83,748**	**4,80,37,34,124**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष:	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. पूंजीगत रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार		-
वर्ष के दौरान योग		-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां		-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार		-
वर्ष के दौरान योग	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
3. विशेष रिजर्व:		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान योग	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
4. वर्ष के दौरान योजित आदि शेष:		
आईसीआईसीआई बैंक 2194 (एसबीवाई)		98,444
आईसीआईसीआई बैंक 2456 (सीएससी)	-	2,33,66,707
	-	-
योग	**-**	**2,34,65,151**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 3 : उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियां		
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	अचल परिसंपति निधि	अचल परिसंपति निधि
क) निधियों का आदि शेष	-	-
ख) निधियों में योग		
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के खाते से किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य जमा (कृपया बताएं)		
क) पूंजीगत व्यय योजना	-	-
ख) पूंजीगत व्यय – गैर–योजना	-	-
ग) उपहार में मिली पूंजी	-	-
घ) जीपीएफ में स्टाफ का अंशदान	-	-
ड) जीपीएफ खाते में जमा ब्याज	-	-
च) अग्रिम की वापसी	-	-
iv. संचित रिजर्व	-	-
v. समग्र निधि को अंतरण	-	-
योग (ख)	**-**	**-**
योग (क+ख)	**-**	**-**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय		
i. पूँजीगत व्यय	-	-
– अचल परिसंपत्तियां	-	-
– अन्य	-	-
– अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण	-	-
– वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-
कुल	**-**	**-**
ii. राजस्व व्यय		
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-
– किराया	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
– स्टाफ को अग्रिम	-	-
– स्टाफ तथा कलाकारों को अंतिम भुगतान	-	-
– अदावे वाले शेष को अंतरित	-	-
– स्टाफ दवारा अंतिम निकासी	-	-
कुल	**-**	**-**
योग (ग)	**-**	**-**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**-**	**-**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 4 – जमानती ऋण और उधारी		
1. केंद्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान		
क) मियादी ऋण	-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) मियादी ऋण	-	-
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	**-**	**-**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 5– गैर–जमानती ऋण और उधारी		
1. केंद्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
क) मियादी ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबैंचर और बॉन्ड		
7. फिक्स्ड डिपॉजिट		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	-	-

अनुसूची–6 आस्थगित ऋण देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूंजीगत उपस्करों और अन्य परिसंपतियों के रेहन से प्राप्त स्वीकरण	-	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची– 7 – वर्तमान देनदारियां और प्रावधान		
क. वर्तमान देनदारियां		
1. स्वीकृतियाँ	-	-
2. विविध देनदारियां		
क) वस्तुओं/सेवाओं के लिए (अनुसूची–7.1 के अनुसार)	11,04,58,635	8,63,98,188
ख) अन्य (अनुसूची–7.2 के अनुसार)	-	-
3. बयाना राशि जमा	11,39,910	6,60,910
4. निम्नलिखित पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज :		
क) जमानती ऋण/उधारियां		
ख) गैर–जमानती ऋण/उधारियां		
5. वैधानिक देयताएं:		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य (अगले वित्तीय वर्ष में देय माह के शुल्क एवं कर)	49,68,601	70,39,731
6. अन्य वर्तमान देयताएं:		
क) वेतन से कटोतियां	63,98,284	8,06,131
ख) पुराने चेक	26,14,074	22,99,199
ग) प्राप्त जमानत राशि	1,78,95,914	1,79,95,914
घ) एफआरएसएल के पुराने लंबित भुगतान	-	(7,095)
ड) बैंक द्वारा गलत क्रेडिट	7,05,000	-
च) देय जीएसटी रिजर्व प्रभार और रिलीफ फंड	4,249	96,669
ह) कर अधीक्षक गुवाहाटी	832	
7. राज्य लाइसेंस और पंजीकरण निधि	-	
क) बीओबी में 39 वर्च्युल खाते	52,71,31,186	8,26,34,267
ख) सीएससी से प्राप्तियां	2,44,58,428	9,68,50,700
ग) मनोनीत अधिकारी	-	
8. वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष:		
क) वर्ष के अन्त में अनुदान का अव्ययित शेष	5,87,70,088	30,47,38,976
	-	
योग क)	**75,45,45,201**	**59,95,13,590**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		-
2. ग्रेच्युटी	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटिया/दावे	-	-
6. अन्य (बताएं)	-	-
क) रेंट रेट और कर व्यय	-	-
ख) कार्यालय व्यय	-	-
ग) आपूर्ति और सामग्री व्यय	-	-
घ) यात्रा व्यय	-	-
ई) टीडीएस देय	-	
च) राहत कोष	-	
छ) सस्पेंस	-	
योग (ख)	**-**	**-**
योग (क+ख)	**75,45,45,201**	**59,95,13,590**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7.1 – वस्तुओं/सेवाओं के लिए विविध देनदारियां		
1 छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान (वापस प्राप्त चेक)	-	4,85,456
2 वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों के दावे	-	2,21,394
3 प्रत्यायित प्राइवेट प्रयोगशालाओं के दावे	10,19,53,111	8,42,65,215
4 आरब्रो फॉर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2,19,233	2,19,233
5 एशियन साइंटिफिक इंडस्ट्रीज (दिल्ली)	2,56,409	2,56,409
6 आहरण एवं वितरण अधिकारी	-	11,800
7 निर्यात निरीक्षण एजेंसी कोच्चि	-	27,104
8 आईसीएआर यूनिट, सीआईएफटी, कोच्चि	-	977
9 कोलकाता विश्वविद्यालय	-	1,40,600
10 लाल बहादुर शास्त्री	-	7,70,000
11 135 शहर और जिला	35,00,000	-
12 सीएससी राज्य निधि	44,88,500	-
13 गुरुसंस कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	35,382	-
14 ऑनलाइन ईट राइट प्रश्नोत्तरी	5,000	-
15 पुनरुद्धार	1,000	-
योग	**11,04,58,635**	**8,63,98,188**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7.2 – अन्य के लिए विविध देनदारियाँ		
1 देय ब्याज व्यय	-	-
योग	**-**	**-**

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां (राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
			यथा वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान योजन 30.10.2020 तक जमा	वर्ष के दौरान योजन 30.10.2020 के बाद जमा	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	यथा वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान आदि शेष पर	वर्ष के दौरान जमा राशियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	यथा वर्तमान वर्ष के अंत में	यथा पिछले वर्ष के अंत में
क.	**विल्डिंग :–**													
	क) क्षे. का. कोलकाता (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	52,40,885	-	-	-	52,40,885	22,04,072	3,03,681	-	-	25,07,753	27,33,132	30,36,813
	ख) क्षे. का. चैन्नई (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	54,65,606	-	-	-	54,65,606	16,80,400	3,78,521	-	-	20,58,921	34,06,685	37,85,206
	ग) मुख्या. एफडीए भवन (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	2,30,79,990	-	-	-	2,30,79,990	58,13,889	17,26,610	-	-	75,40,499	1,55,39,491	1,72,66,101
	घ) ऊपरी मंजिल (काष्ठ संरचना)	40%	2,57,80,953	-	-	-	2,57,80,953	1,92,17,339	26,25,446	-	-	2,18,42,785	39,38,168	65,63,614
	ड) जिम और डे–केयर बिल्डिंग	10%	2,33,49,743	-			2,33,49,743	23,34,974	21,01,477	-		44,36,451	1,89,13,292	2,10,14,769
	च) एनएफएल, गाजियाबाद भवन	10%	6,45,10,492		-	-	6,45,10,492	32,25,525	61,28,497	-		93,54,022	5,51,56,470	6,12,84,967
	छ) मुंबई बिल्डिंग (पीटीएच)	10%	1,81,48,614	9,92,597	-		1,91,41,211	14,32,747	16,71,587	99,260		32,03,593	1,59,37,618	1,67,15,867
ख.	**संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर**													
	क) प्रयोगशाला उपस्कर	15%	68,39,020	-	-	-	68,39,020	43,29,287	3,76,460	-	-	47,05,747	21,33,273	25,09,733
	ख) पानी की पाइपलाइन	15%	2,88,891	-	-	-	2,88,891	2,26,993	9,285	-	-	2,36,278	52,613	61,898
	ग) मशीनरी और उपस्कर	15%	5,37,54,964	1,31,66,993	40,038	-	6,69,61,995	63,49,050	71,10,887	19,78,052	-	1,54,37,989	5,15,24,006	4,74,05,914
	घ) मशीनरी और उपकरण (कोलकाता)	15%	-	-	25,43,961	-	25,43,961		-	1,90,797	-	1,90,797	23,53,164	-
	ड) मशीनरी और उपकरण (मुंबई)	15%	-	-	12,09,651	-	12,09,651		-	90,724	-	90,724	11,18,927	-
	च) एलईडी फिटिंगे	15%	24,80,589	-	-	-	24,80,589	10,71,451	2,11,371	-	-	12,82,822	11,97,767	14,09,138
	छ) कागज कर्तन मशीन	15%	5,508	-	-		5,508	413	764	-		1,177	4,331	5,095
ग.	**मारुति सियाज (2)**	15%	15,11,028	-	-	-	15,11,028	6,52,665	1,28,754	-	-	7,81,419	7,29,609	8,58,362
घ.	**फर्नीचर और फिक्स्चर**	10%	2,18,95,310	-	4,42,800	-	2,23,38,110	79,05,567	13,98,975	22,140	-	93,26,682	1,30,11,429	1,39,89,745
	फर्नीचर और फिक्स्चर (चैन्नई)	10%	-	-	2,25,834	-	2,25,834	-	-	11,292	-	11,292	2,14,542	-
	फर्नीचर और फिक्स्चर (गुवाहाटी)	10%	-	-	2,37,946	-	2,37,946	-	-	11,897	-	11,897	2,26,049	-
	फर्नीचर और फिक्स्चर (गाजियाबाद)	10%	-	-	34,102	-	34,102	-	-	1,705	-	1,705	32,397	-
	फर्नीचर और फिक्स्चर (मुम्बई)	10%	-	-	2,13,752	-	2,13,752	-	-	10,688	-	10,688	2,03,064	-
	ऊपरी मंजिल (इंटीरियर फर्नीचर और फिक्स्चर)	10%	2,99,07,028				2,99,07,028	68,93,570	23,01,346	-	-	91,94,916	2,07,12,112	2,30,13,458
ड.	**कार्यालय उपस्कर**		-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	1 इलेक्ट्रॉनी उपस्थिति रजिस्टर	15%	2,06,364	-	-	-	2,06,364	1,06,498	14,980	-	-	1,21,478	84,886	99,868
	2 फोटोकॉपी मशीन	15%	52,19,198	-	-	-	52,19,198	31,38,408	3,12,119	-	-	34,50,527	17,68,671	20,80,791
	3 रेफ्रिजरेटर	15%	4,72,993	-	-	-	4,72,993	2,31,828	36,175	-	-	2,68,003	2,04,990	2,41,166
	4 रूम हीटर	15%	42,899	-	-	-	42,899	13,064	4,475	-	-	17,539	25,360	29,836
	5 स्कैनिंग मशीन	15%	1,66,496	-	-	-	1,66,496	1,30,908	5,338	-	-	1,36,246	30,250	35,588
	6 वैक्युम क्लीनर	15%	7,790			-	7,790	6,487	195	-	-	6,682	1,108	1,303
	7 वीजीए स्विचर और स्प्लिटर	15%	2,33,188	-	-	-	2,33,188	1,28,152	15,755	-	-	1,43,907	89,281	1,05,036
	8 बीटल टिवन फोन	15%	17,440	-	-	-	17,440	10,812	994	-	-	11,806	5,634	6,628
	9 मोबाइल फोन	15%	5,74,539			-	5,74,539	1,95,852	56,803	-	-	2,52,655	3,21,884	3,78,687
	10 कोर्डलेस फोन/माइक्रोफोन	15%	11,46,706	-	-	-	11,46,706	2,70,247	1,31,469	-	-	4,01,716	7,44,990	8,76,459
	11 फैक्स मशीनें	15%	2,29,930	-	-	-	2,29,930	1,88,023	6,286	-	-	1,94,309	35,621	41,907
	12 गीजर	15%	59,022	-	-	-	59,022	20,877	5,722	-	-	26,599	32,423	38,145
	13 माइक्रोवेव	15%	58,509	-	-	-	58,509	18,890	5,943	-	-	24,833	33,676	39,619
	14 ऑयल फील्ड रेडियेटर	15%	25,365	-	-	-	25,365	21,446	588	-	-	22,034	3,331	3,919
	15 वोल्टेज स्टेबिलाइजर	15%	25,950	18,588	-	-	44,538	21,854	614	2,788	-	25,257	19,281	4,096
	16 वाटर डिस्पेंसर	15%	1,50,162	-	-	-	1,50,162	26,426	18,560	-	-	44,986	1,05,176	1,23,736
	17 ऑडियो कांफ्रेंस सिस्टम	15%	18,17,526	-	-	-	18,17,526	11,43,268	1,01,139	-	-	12,44,407	5,73,119	6,74,258
	18 वीडियो कांफ्रेंस सिस्टम	15%	26,72,500	-	-	-	26,72,500	12,47,454	2,13,757	-	-	14,61,211	12,11,289	14,25,046
	19 एलसीडी/एलईडी टीवी	15%	54,39,508	-	-	-	54,39,508	25,19,341	4,38,025	-	-	29,57,366	24,82,142	29,20,167
	20 प्लाज्मा टीवी	15%	25,68,875	-	-	-	25,68,875	21,78,804	58,511	-	-	22,37,315	3,31,560	3,90,072
	21 पंपसेट	15%	28,173	-	-	-	28,173	16,569	1,741	-	-	18,310	9,863	11,605
	22 टाटा स्काई और ईपीआरएस सिस्टम	15%	29,495	-	-	-	29,495	24,596	735	-	-	25,331	4,164	4,900
	23 सीमन हाईटेक पाथ 1150 डिजिटल एंड ऑप्टी प्वाइंट	15%	8,61,793	-	-	-	8,61,793	6,53,021	31,316	-	-	6,84,337	1,77,456	2,08,773
	24 स्पीकर	15%	1,40,055	-	-	-	1,40,055	54,249	12,871	-	-	67,120	72,935	85,807
	25 सीसीटीवी कैमरा	15%	12,31,845	-	-		12,31,845	1,15,702	1,67,422	-	-	2,83,124	9,48,721	11,16,144
	26 डिजिटल कैमरा	15%	83,050	11,861	-	-	94,911	67,277	2,366	1,779	-	71,422	23,489	15,774
	27 ऑफिस एप्लायंस	15%	35,53,458	-	2,100	-	35,55,558	8,80,595	4,00,930	158	-	12,81,682	22,73,876	26,72,864
	28 ब्ल्यू रे डिस्क प्लेयर	15%	99,000	-	-	-	99,000	79,510	2,924	-	-	82,434	16,566	19,491
	29 एलसीडी प्रोजेक्टर	15%	3,13,925	-	-	-	3,13,925	1,94,883	17,856	-	-	2,12,739	1,01,186	1,19,043
	30 कूलर	15%	1,65,807	1,88,772	-	-	3,54,579	95,547	10,539	28,316	-	1,34,402	2,20,177	70,260
	31 फ्रैंकिंग मशीन	15%	3,44,940	-	-	-	3,44,940	2,71,038	11,085	-	-	2,82,123	62,817	73,902
	32 विजिकूलर और डीप फ्रीजर	15%	1,52,267	-	-	-	1,52,267	92,135	9,020	-	-	1,01,155	51,112	60,132
	33 फोन	15%	51,653	50,394	71,691	-	1,73,738	26,785	3,730	12,936	-	43,451	1,30,287	24,868
	34 टाटा स्काई	15%	7,622	-	-	-	7,622	6,574	157	-	-	6,731	891	1,048
	35 एअर कंडिशनर	15%	7,03,217	3,26,471	67,066	-	10,96,754	2,61,520	66,255	54,001	-	3,81,775	7,14,979	4,41,697
	36 वॉयस रिकॉर्डर	15%	6,490	-	-	-	6,490	3,826	400	-	-	4,226	2,264	2,664
	37 ट्रांस्फार्मर	15%	12,53,668	-	-	-	12,53,668	6,97,409	83,439	-	-	7,80,848	4,72,820	5,56,259
	38 बोरवेल सबमर्सिबल	15%	55,968	-	-	-	55,968	18,565	5,610	-	-	24,175	31,793	37,403
	39 जिम उपस्कर	15%	7,87,055	-			7,87,055	1,18,058	1,00,350	-	-	2,18,408	5,68,647	6,68,997
	40 चिकित्सा उपकरण	15%	-	6,778			6,778		-	1,017	-	1,017	5,761	-
	41 ट्रॉली बैग	15%	-	9,900			9,900		-	1,485	-	1,485	8,415	-
	42 दीवार फैन	15%	-	19,490			19,490		-	2,924	-	2,924	16,567	-
च.	**कंप्यूटर पेरिफीरियल**													
	1 कंप्यूटर	40%	2,66,80,391	8,275	11,51,453	-	2,78,40,119	2,26,96,230	15,93,664	2,33,601	-	2,45,23,495	33,16,624	39,84,161
	2 यूपीएस और बैटरी	40%	82,55,721	-	-	-	82,55,721	66,95,286	6,24,174	-	-	73,19,460	9,36,261	15,60,435
	3 प्रिंटर और स्कैनर	40%	72,69,806	-	-	-	72,69,806	54,06,920	7,45,154	-	-	61,52,074	11,17,732	18,62,886
	4 सिस्को 2821 सिक्योरिटी बंडल	40%	1,71,306	-	-	-	1,71,306	1,60,334	4,389	-	-	1,64,723	6,583	10,972
	5 कंप्यूटर सॉफ्टवेअर	40%	62,49,848	-	-	-	62,49,848	56,95,485	2,21,745	-	-	59,17,230	3,32,618	5,54,363
	6 लायब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम	40%	2,28,800	-	-	-	2,28,800	2,28,744	22	-	-	2,28,766	34	56
	7 नेटवर्किंग उपस्कर	40%	43,03,915	-	-	-	43,03,915	31,09,613	4,77,721	-	-	35,87,334	7,16,581	11,94,302
	8 वेब कैम	40%	1,14,916	-	-	-	1,14,916	93,032	8,754	-	-	1,01,786	13,130	21,884
	9 सर्वर	40%	1,27,34,397	-	-	-	1,27,34,397	1,19,68,112	3,06,514	-	-	1,22,74,626	4,59,771	7,66,285
	10 सैन सिस्टम हार्ड वर्क	40%	35,78,379	-	-	-	35,78,379	28,63,419	2,85,984	-	-	31,49,403	4,28,976	7,14,960
छ.	**पुस्तकालय की पुस्तकें**	40%	49,63,103	-	1,83,600	-	51,46,703	47,98,236	65,946	36,720	-	49,00,902	2,45,801	1,64,866
	योग (क)		38,78,13,644	1,48,00,119	64,23,994	-	40,90,37,757	14,23,49,849	3,31,63,921	27,92,277	-	17,83,06,049	23,07,31,708	24,54,63,809
	पिछले साल		22,36,52,124	4,36,67,117	12,04,94,403	-	38,78,13,644	10,99,40,702	1,98,05,285	1,26,03,857	-	14,23,49,849	24,54,63,809	11,37,11,431

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 9 – उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभुतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	-	-
5. सब्सिडियरियां तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	**-**	**-**

10 अनुसूची – निवेश – अन्य	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबैंचर तथा बॉन्ड	-	-
5. सब्सिडियरियां तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	**-**	**-**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. वस्तु सूची		
क) स्टोर तथा स्पेयर्स	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) व्यापार में स्टॉक		
चालू कार्य – उत्तरी क्षेत्र (सीएचईबी)	45,90,000	45,90,000
2. विविध लेनदारियां		
क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	90,884	90,884
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
– जमा खातों में	3,83,17,67,463	3,05,77,85,586
– क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खातों में	11,05,15,311	10,17,61,853
– मुख्यालय तथा अन्य के बचत खातों में	1,13,24,47,826	1,03,38,37,935
– मियादी जमा राशियों से टीडीएस की कटौतियां	5,89,65,759	4,16,43,304
– टीडीएस कटौती (एफडी के अलावा) पर	14,98,088	-
– सेविंग्स बैंक खाता (एसबीवाई)	2,24,21,523	1,33,48,731
– सेविंग्स बैंक खाता (सीएससी)	1,13,868	16,14,650
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में:		
– चालू खातों में	-	-
– जमा खातों में	-	-
– बचत खातों में	-	-
5. डाकघर – बचत खाता	-	-
कुल (क)	**5,16,24,10,723**	**4,25,46,72,943**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम आदि (जारी)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) इसी तरह के क्रिया–कलापों/उद्देश्यों में रत अन्य इकाइयाँ	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद या अन्य रूप में या प्राप्त की जाने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम या अन्य राशियां		
क) पूंजीगत खाते में	-	-
ख) पूर्व भुगतान	-	-
ग) अन्य	-	-
- प्रतिभूति राशियां	3,04,65,650	3,04,65,650
- केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (60% हिस्सेदारी)	11,01,18,779	9,33,83,062
- निर्यात निरीक्षण परिषद् (मुंबई)	-	11,76,473
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	1,12,97,25,051	-
- वित्तीय वर्ष 2019–2020 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	31,66,21,924	42,40,03,023
- वित्तीय वर्ष 2018–2019 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	2,04,61,897	2,11,32,015
- वित्तीय वर्ष 2017–2018 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	1,12,17,691	1,17,68,020
- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	43,03,223	56,20,186
- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	62,85,658	62,85,658
- वित्तीय वर्ष 2014–2015 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	4,45,931	4,45,931
- वित्तीय वर्ष 2013–2014 में दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	96,575	96,575
- वित्तीय वर्ष 2008–2009 से 2012–2013 तक दिया गया अग्रिम **(अनुलग्नक–I)**	1,40,57,916	1,40,57,916
- अग्रिम किराया चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट	15,34,02,084	15,87,30,084
- अग्रिम किराया जेएनपीटी पोर्ट ट्रस्ट	2,27,88,466	2,50,90,122
- अग्रिम आय कर (अपील)	2,26,97,685	2,26,97,685
3. उपार्जित आय		
क) उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से		
ख) निवेशों से – एफडी	2,59,505	86,55,738
ग) ऋण तथा अग्रिम से		-
घ) अन्य		
4. समायोजनीय जीएसटी	19,51,38,484	10,29,67,975
योग (ख)	**2,03,80,86,519**	**92,65,76,113**
योग (क+ख)	**7,20,04,97,241**	**5,18,12,49,056**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 12 – विक्रय/सेवाओं से आय		
1) विक्रय से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) लाइसेंस शुल्क		
i) लाइसेंस शुल्क	31,64,73,377	39,33,06,366
ii) लाइसेंस शुल्क (वार्षिक विवरणी)	3,15,65,760	5,87,73,237
iii) दंड (वार्षिक विवरणी)	17,46,100	-
iv) पूर्व–मुद्रित पैकेजिंग सामग्री शुल्क	5,04,000	4,93,500
ख) नमूना परीक्षण शुल्क	33,37,268	1,33,02,597
ग) उत्पाद अनुमोदन शुल्क	36,50,000	56,00,000
घ) आयात शुल्क चाक्षुष निरीक्षण इत्यादि	-	
i) चाक्षुष निरीक्षण शुल्क	9,50,96,033	7,80,86,046
ii) प्रथम पुनरीक्षा शुल्क	1,37,16,001	1,36,30,004
iii) द्वितीय पुनरीक्षा शुल्क	70,000	6,85,000
ई) आवेदन प्रसंस्करण शुल्क	28,000	-
योग	**46,61,86,539**	**56,38,76,750**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 13– अनुदान/सब्सिडियाँ		
1) केंद्रीय सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	1,73,92,00,000	3,01,22,00,000
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य :		
जोडें: वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष	7,04,80,274	3,45,32,477
घटाएं: मंत्रालय को वापस की गई अनुदान राशि	-	-
घटाएं: वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेष	(5,85,20,933)	(30,47,38,976)
घटाएं: वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	
योग	**1,75,11,59,341**	**2,74,19,93,501**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 13.1 – अन्य एजेंसियों से अनुदान/सब्सिडियां		
1) डब्ल्यूएचओ ज्वाइंट कोडेक्स ट्रस्ट फंड 2 परियोजना	-	4,55,010
2) एफएओ यूनाइटेड नैशन्स	-	12,42,262
कुल	**-**	**16,97,272**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची – 14 शुल्क/चंदा		
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/चंदा		
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4) परामर्श शुल्क		
5) आरटीआई शुल्क	-	
कुल	**-**	**-**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 15 – निवेशों से आय		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों से	-	-
ख) अन्य बांडों/डिबेंच्यरों से	-	-
2) अन्यः		
– दडांत्मक ब्याज प्राप्ति	1,688	
– निवेश से ब्याज	-	-
योग	**1,688**	**-**
उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित	**1,688**	**-**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 रॉयल्टी से आय	-	-
2 प्रकाशन से आय	-	-
3 अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	**-**	**-**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 17 – उपार्जित ब्याज		
1 मियादी जमाओं पर		
क) अनुसूचित बैंकों में		
I आईसीआईसीआई बैंक	1,48,53,684	63,894
II एयू स्माल फाइनैंस बैंक	10,03,00,656	18,79,92,681
III इंडसइंड बैंक	7,72,22,670	3,84,492
IV आईसीआईसीआई बैंक	7,27,930	4,44,952
V सीएससी बैंक खाता	-	28,86,974
VI इक्विटास बैंक	84,30,144	-
VII यूनियन बैक	3,20,40,883	-
IX बैक आफ बड़ौदा	2,11,16,326	-
ख) ऑटोस्वीप से उपार्जित	4,42,63,375	4,66,19,136
ग) संस्थानों में		-
घ) अन्य		-
2 बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंको में	82,35,558	4,22,69,850
ख) अनुसूचित बैंकों के साथ (आरओ)	1,12,05,466	
ग) गैर–अनुसूचित बैंको में		-
घ) डाकघर बचत खातों में		-
ड) अन्यः मंत्रालय को वापस किया गया ब्याज		-
3 ऋणों परः		-
क) कर्मचारियों/स्टॉफ को		-
ख) अन्य को		-
योग	**31,83,96,692**	**28,06,61,979**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) अपनी परिसंपत्यिां	-	-
ख) अनुदान में या निशुल्क प्राप्त परिसपत्तियां	-	-
2 विविध आय		
– सीधी भर्ती शुल्क/खाद्य विश्लेषक परीक्षा	24,40,491	6,22,13,825
– प्रयोगशाला परीक्षण और ऑडिटिंग एजेंसी	2,45,000	1,71,300
– पुराने अखबारों/रद्दी की बिक्री	9,75,000	21,723
– निविदा फार्मों की बिक्री/आवेदन शुल्क	15,95,000	4,500
– प्रायोजन एसबीवाई	-	15,00,000
– प्रायोजन ईट राइट मेला	-	17,50,000
– एफएफआरसी शेयर	94,49,811	-
– आरटीआई शुल्क	3,448	5,718
– विविध आय	1,37,562	55,125
– सीपीएफ प्राप्तियां	-	6,25,500
– एसबीवाई साइकिल नीलामी	-	2,67,010
– कोलकाता में नीलामी	-	1,72,000
– राफ्ट प्रमाणन	1,13,500	-
– रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क (पुरस्कार राशि)	1,46,62,098	
– पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 (रिकवर्ड)	-	2,86,54,938
योग	**2,96,21,910**	**9,54,41,639**

अनुसूची 19– तैयार माल के स्टॉक और चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चालू कार्य	-	-
ख) घटाएं: आरम्भिक स्टॉक		
– तैयार माल	-	-
– चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	**-**	**-**

अनुसूची 20– स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	22,40,41,922	17,75,60,733
ख) एचआर डिवीजन संविदा कर्मचारी	-	
ग) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	1,82,07,608	1,97,26,350
घ) अन्य	-	-
– चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	18,47,491	7,53,397
योग	**24,40,97,021**	**19,80,40,480**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 21 – प्रशासनिक व्यय		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	बिजली और पावर	66,71,020	41,93,080
2	जल प्रभार	1,80,302	8,80,869
3	किराया, दरें और कर	6,08,01,638	5,15,31,720
4	डाक और संप्रेषण प्रभार	2,53,039	4,16,341
5	आपूर्ति और सामग्री	3,76,19,693	1,02,04,890
6	यात्रा और वाहन व्यय	1,90,67,723	3,89,54,709
7	सेमिनारों/कार्यशालाओं (सीएमएंडएस) पर व्यय	-	2,87,81,541
8	सदस्यता शुल्क पर व्यय(कोडेक्स ट्रस्ट फंड को अंशदान)	18,30,885	18,66,997
9	ऑडिटरों को पारिश्रमिक	4,64,300	1,27,200
10	विधिक और पेशेवर प्रभार	14,50,16,197	20,75,16,891
11	आईईसी और प्रचार पर व्यय	7,22,17,311	6,84,27,350
12	कार्यालय व्यय	2,18,01,014	2,48,87,495
13	प्रशिक्षण प्रभार	19,13,42,291	83,90,735
14	निगरानी	17,700	1,31,95,708
15	प्रवर्तन गतिविधियां	31,62,298	-
16	टेलीफोन और मोबाइलों पर व्यय	25,82,998	24,82,086
17	मनोरंजन पर व्यय	1,38,033	1,22,934
18	मोटर वाहन व्यय	1,87,06,340	1,47,81,457
19	पुस्तकालय व्यय	1,66,106	4,00,452
20	लिपिकीय व्यय	62,100	3,65,956
21	जनशक्ति नियोजन	-	1,33,74,112
22	नन्हे कदम एफडीए	-	(1,76,575)
23	स्वस्थ भारत यात्रा पर व्यय	11,04,949	2,33,667
24	परीक्षण शुल्क	2,69,80,577	18,251
25	इवेंट मैनेजमेंट	-	1,26,39,306
26	सम्मेलन, बैठक और संगोष्ठी खर्च	17,48,658	
27	ईट राइट इंडिया चैलेंज	7,48,000	
28	अग्रदाय व्यय	2,48,164	-
29	समाचार पत्र और पत्रिकाएं	1,93,443	-
30	आयात प्रभाग व्यय	55,100	-
31	अन्य प्रशासनिक व्यय		
	– बैंक प्रभार	6,62,635	10,16,484
	– इंटरनेट प्रभार	-	6,104
	– सूचना प्रौद्योगिकी पर व्यय	3,23,95,772	1,36,93,358
	– सेवा कर	13,93,73,847	
	– अन्य खर्चों	28,35,588	-
	योग	**78,84,47,721**	**51,83,33,117**

अनुसूची 22 – मरम्मत और रख–रखाव पर व्यय		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
मरम्मत और रख–रखाव			
i)	ए.सी संयंत्र, कंप्यूटरों और अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनका रख–रखाव	7,17,99,928	5,70,96,512
ii)	वाहनों की मरम्मत, उनका प्रचालन और रख–रखाव	-	-
iii)	भवन की मरम्मत और उसका रख–रखाव	-	19,13,831
	योग	**7,17,99,928**	**5,90,10,343**

दिनांक 31-03-2021 के तुलन पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 23 – अनुदानों, सब्सिडि इत्यादि पर व्यय		
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	4,64,595	2,30,23,420
ख) राज्यों को सोफ्टेल योजना के तहत दिए गए अनुदान	-	1,08,04,31,858
ग) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडियां	-	-
योग	**4,64,595**	**1,10,34,55,278**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 24 – मूल्यह्रास		
अचल परिसंपत्तियों पर	3,59,56,198	3,24,09,141
योग	**3,59,56,198**	**3,24,09,141**
घटाएं : अचल परिसंपत्ति निधि को अंतरित	-	-
योग	**3,59,56,198**	**3,24,09,141**

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 25 – दिया गया ब्याज		
क) अन्य मियादी ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर	-	-
ग) अन्य – अनुदान पर प्राप्त ब्याज की मंत्रालय को वापसी	9,76,41,290	-
कुल	**9,76,41,290**	**-**

दिनांक 31.03.2021 के तुलन-पत्र की अंगस्वरूप अनुसूचियां

अव्ययित अनुदानों का नकदी आधार पर निरूपण

		2020-21	2019-20
	यथा अंतिम दिन को नकदी और बैंक शेष	1,15,50,74,101	1,04,88,92,200
	क्षेत्रीय कार्यालयों के पास शेष	11,05,15,311	10,17,61,853
जोड़ें:	मियादी जमा में निवेश	3,83,17,67,463	3,05,77,85,586
जोड़ें:	मियादी जमा से वापसी योग्य टीडीएस	5,89,65,759	4,16,43,304
जोड़ें:	प्राप्ति योग्य लेनदारियां	11,01,18,779	2,98,58,560
घटाएं:	अचुकता देनदारियां	11,04,58,635	21,32,973
घटाएं:	वित्तीय वर्ष 2020–21 में एफएसएसएआई की आंतरिक आय	1,18,38,60,258	-
घटाएं:	वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2019-20 में एफएसएसएआई की आंतरिक आय	3,91,33,52,433	3,91,33,52,433
	वर्ष के लिए अव्ययित अनुदान (वर्तमान देयता)	**5,87,70,088**	**30,47,38,976**
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,73,92,00,000	3,01,22,00,000
जोड़ें:	वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि	30,47,38,976	3,45,32,477
घटाएं:	वर्ष के अंत में अनुदान की अव्यक्त शेष राशि	(5,87,70,088)	(30,47,38,976)
घटाएं:	वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	-
घटाएं:	मंत्रालय को लौटाया गया अनुदान	-	-
	मंत्रालय से आय के रूप में दिखाया जाने वाला अनुदान	**1,98,51,68,888**	**2,74,19,93,501**

क्र.सं.	वर्ष के दौरान एफएसएसएआई को अनुदान से इतर अन्य निधियां	2020-21	2019-20
1	लाइसेंस फीस	35,02,89,237	45,25,73,103
2	उत्पाद अनुमोदन	36,50,000	56,00,000
3	नमूना परीक्षण	2,10,25,164	3,42,68,953
4	आयात चाक्षुष निरीक्षण	10,88,54,930	9,24,01,050
5	बैंक ब्याज	17,27,70,433	23,40,42,842
6	ऑटो स्वीप ब्याज/मियादी जमा से ब्याज	3,24,14,280	4,66,19,136
7	आरटीआई शुल्क	3,465	5,718
8	समाचार पत्र/रद्दी की बिक्री	9,77,092	21,423
9	निविदा की लागत/आवेदन शुल्क	24,69,891	4,500
10	अध्यक्ष की सीपीएफ प्राप्तियाँ	6,31,800	6,25,500
11	विविध प्राप्तियां	1,37,559	23,974
12	सिक्योरिटी डिपोजिट/बयाना राशि	2,70,000	6,54,000
13	पुराने चेक	3,50,319	1,87,333
14	वेतन से वैधानिक कटौती	1,05,60,971	37,15,808
15	सीधी भर्ती शुल्क/खाद्य विश्लेषक परीक्षा शुल्क	24,40,491	6,22,13,825
16	वर्ष के दौरान योजित प्रारंभिक बैंक शेष	-	2,34,65,151
17	एफएओ संयुक्त राष्ट्र संघ	-	12,42,262
18	बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्च्युअल खाते	44,44,96,919	8,26,34,267
19	सीएससी से प्राप्तियां	1,86,92,600	9,68,50,700
21	बैंक द्वारा गलत तरीके से क्रेडिट किया गया	7,05,000	-
22	रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क (पुरस्कार राशि)	36,69,297	-
23	एफएफआरसी शेयर 1/3	94,49,811	
24	पुनरुद्धार	1,000	
		1,18,38,60,258	**1,13,71,49,545**

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि की प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रुपयों में)

क्र सं.	प्राप्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	क्र सं.	भुगतान	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I	**आदि शेष**				I	**व्यय**			
	क) हाथ में नकदी		90,884	90,884		क) स्थापना व्यय	34	20,15,73,836.00	6,84,93,497.00
	ख) बैंक शेष					(अनुसूची 20 के अनुसार)			
	i) सेविंग्ज बैंक खाते	27	1,15,05,63,171	75,37,29,414		ख) प्रशासनिक व्यय	35	42,82,24,998.41	75,48,29,195.00
						(अनुसूची 21 के अनुसार)			
II	**वर्ष के दौरान योजित प्रारंभिक शेष**	28		2,34,65,151		मरम्मत और रख–रखाव पर व्यय	36	8,05,51,640.00	7,01,26,939.00
						(अनुसूची 22 के अनुसार)			
III	**प्राप्त अनुदान**					घ) अन्य व्यय	37	1,25,74,83,521.00	37,69,88,830.00
	क) भारत सरकार से								
	– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	29	2,08,65,00,000	3,01,22,00,000	II	**दिए गए अनुदान**			
	ख) अन्य से	30	1,87,35,043	59,37,405		लेखानुदान		-	1,10,34,55,278
						ईट राइट इंडिया चैलेंज		7,51,000	-
IV	**प्राप्त ब्याज**				III	**किए गए निवेश और डिपोजिट**			
	बैंक जमा राशियों पर (ऑटोस्वीप)		4,42,63,375	4,69,13,617		क) अपनी निधियों से (निवेश – मियादी जमा)		3,64,26,00,000	64,28,51,958
	बैंक मियादी जमा राशियों (एफडीआर) पर		16,28,64,823	17,84,71,369		ख) अपनी निधियों से (ऑटोस्वीप)		-	1,58,54,19,892
	बैंक जमा राशियों पर (सेविंग्स)		91,77,680	3,76,42,909					
	बैंक जमा राशियों पर (एसबीवाई)		7,27,930	4,44,952					
	दांडिक ब्याज (रीकवर की हुई)		1,688	-	IV	**पूँजीगत परिसंपत्तियों और चालू पूँजीगत कार्यों पर**			
V	**लाइसेंसधारियों से हुई आय**					क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	38	1,68,41,236	5,30,82,647
	– लाइसेंस शुल्क		35,13,94,233	45,25,73,102					
	– पहली समीक्षा का शुल्क		1,37,16,001		V	**आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को अग्रिम**		-	2,26,97,685
	– दूसरी समीक्षा का शुल्क		70,000						
	– नमूना परीक्षण शुल्क		8,37,618	1,04,06,047	VI	**शुल्क और कर**			
	– नमूना परीक्षण शुल्क (बीओबी 7549 मुम्बई)		3,39,48,000			– ठेकेदारों पर टीडीएस		45,45,738	-
	– उत्पाद अनुमोदन		36,50,000	56,00,000		– किराए पर टीडीएस		1,87,989	-
	– आयात चाक्षुष निरीक्षण		2,89,27,533	6,94,35,504		– पेशेवर (कार्मिकों) पर टीडीएस		69,23,265	-
	– भर्ती शुल्क		-	6,22,13,825		– पेशेवरों पर टीडीएस		40,41,641	
	– एफएफआरसी शेयर 1/3		94,49,811	-		– वेतन पर टीडीएस		1,39,33,675	-
						– अचल परिसंपत्तियों पर टीडीएस		1,18,43,312	-
VI	**निवेश नकदीकरण**		2,96,11,71,651	1,24,85,01,319		– सेवा कर		13,93,73,847	
						– जीएसटी (रिवर्स चार्ज)		2,62,764	
VII	**प्राप्त टीडीएस:**		-	57,64,307		– जीएसटी (सीजीएसटी और एसजीएसटी)		29	
	– अनुबंधों से		3,57,917	-		– जीएसटी–टीडीएस @2%		1,00,35,367	-
	– किराये से		-	-					
	– प्रोफेशनल से		-	-	VII	**अनुबंधकर्ताओं की ईएमडी/प्रतिभूति राशि**		30,000	20,000
	– वेतन से		-	-					
	– एफडी से		807		VIII	**वेतन से कटौती**		-	2,21,41,117
VIII	**समायोजित अग्रिम राशियाँ**				IX	**प्रत्यायित प्रयोगशालाएं**		28,04,28,705	33,20,00,841
	– आपूर्तीकर्ता/अन्य		31,46,517	1,96,90,602					
	– निर्यात निरीक्षण परिषद मुम्बई		56,85,425		X	**शाखा/प्रयोगशालाएं**	39	41,41,47,610	21,36,49,359

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि की प्राप्तियां और भुगतान

क्र सं.	प्राप्तियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	क्र सं.	भुगतान	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
IX	**अन्य कोई प्राप्ति :**								
	आरटीआई शुल्क		3,448	5,718	XI	**राज्य लाइसेंस और पंजीकरण शुल्क**		-	6,15,57,264
	समाचार–पत्रों/रद्दी की बिक्री		9,77,092	21,423					
	निविदा फार्म की बिक्री/आवेदन		1,400	4,500	XII	**विविध**			
	विविध प्राप्तियां		1,37,559	23,974		मंत्रालय को ब्याज का भुगतान		9,76,41,290	2,94,481
	वाहनों की बिक्री		-	2,67,010		एफएओ संयुक्त राष्ट्र संघ		-	3,24,578
	अध्यक्ष के सीपीएफ की प्राप्ति		6,31,800	6,25,500		शुल्क और कर		-	5,08,13,734
	राफ्ट प्रमाणन		1,13,500	-		विविध लेनदारों को प्रदत्त (प्रारंभिक शेष)		9,06,44,771	3,97,55,498
	प्री पैकिंग सामग्री		5,04,000	-		विविध देनदार		-	2,84,528
	डेबिट/क्रेडिट कार्ड एल/एफ		1,22,78,698	-		आईटी से रीकवर हो सकने वाला टीडीएस		-	1,73,69,625
	विदेश से प्राप्त राशि		1,09,92,801	-		राहत निधि		13,38,120	-
	खाद्य विश्लेषक आवेदन		24,40,491	-		भर्ती शुल्क		5,32,750	
	रॉकफेलर फाउन्डेशन न्यूयॉर्क		36,69,297	-		निर्यात निरीक्षण अभिकरण		27,104	
	वर्चुअल खाता बीओबी 39		44,44,96,919						
	रखरखाव के खर्चे		6,58,204	-					
	रीवाइवल		1,000		XIII	**अंत शेष**			
	बैंक द्वारा गलत क्रेडिट		7,05,000			क) हाथ में नकदी		90,884	90,884
X	**अनुबंधकर्ताओं की बयाना राशि/प्रतिभूति राशि**		3,00,000	6,74,000		ख) बैंक शेष			
						i) सेविंग्ज बैंक खाते	40	1,26,54,98,528	1,15,05,63,168
XI	**वेतन से कटौती**		1,05,60,971	37,15,809					
					XIV	**सीएससी राज्य**		8,38,23,400	-
XII	**पुराने चेक**		3,50,319	1,87,333	XV	स्टेल चेक		35,493	
					XVI	उपार्जित ब्याज केनेरा 976		5,782	
XIII	**प्रत्यायित प्रयोगशालाएं**		29,81,16,601	35,29,67,197					
XIV	**शाखा/प्रयोगशालाएं**	31	33,89,26,410	3,07,68,489					
	डीओ कोचीन से प्राप्त राशि		10,93,105						
	डीओ चैन्नई से प्राप्त राशि		4,09,06,574						
XV	**राज्य लाइसेंस और पंजीकरण शुल्क**	32	-	24,10,42,231					
XVI	**विविध**								
	आवेदन पर कार्रवाई शुल्क/ऑडिटिंग एजेंसी		2,73,000	1,71,300					
	शुल्क और कर	33	-	31,57,849					
	विविध लेनदारियां		-	98,259					
	योग		**8,05,34,18,296**	**6,56,68,10,998**				**8,05,34,18,296**	**6,56,68,10,998**

सहायक निदेशक (वित्त) **निदेशक (वित्त)** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई**

स्थानः नई दिल्ली
दिनाकं :

वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखों के भाग के रुप में अनुसूचियां

अनुसूची 26 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीति

वित्तीय विवरिणयां, जब तक कि अन्य प्रकार से कोई उल्लेख न किया गया हो, ऐतिहासिक लागत रीति और लेखांकन की प्रोदभूत पद्धति के आधार पर तैयार की जाती हैं।

2. राजस्व मान्यता

लाइसेंस शुल्क, उत्पाद अनुमोदन शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क इत्यादि को प्राप्ति होने पर लिया जाता है। अन्य आय को प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है। बचत खातों पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. विनियोग

"दीर्घकालीन विनियोग" के रुप में वर्गीकृत विनियोग को लागत आधार पर वहन किया जाता है। अस्थायी विनियोग से भिन्न अन्य ह्रास के लिए प्रावधान इस प्रकार के विनियोगों की लागत में किया जाता है। "चालू" के रुप में वर्गीकृत विनियोगों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर रखा जाता है। इस प्रकार के अलग–अलग विनियोगों के मूल्य पर कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक विनियोग के लिए अलग से किया जाता है न कि व्यापक आधार पर। लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय सम्मिलित होते हैं।

4. अचल संपत्तियां

अचल संपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और करों और आनुषंगिक व्यय तथा अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं तथा सूचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व–संचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत संपत्ति के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

गैर–मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्ति, कॉर्पस फंड के अलावा अन्य, पूंजी रिजर्व में संबंधित क्रेडिट किए जाने के द्वारा उललिखित मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर और उसमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में, मूल्यह्रास पर को तदनुसार विचार किया जाता है।

6. इन्वेंटरी का मूल्यांकन

स्टेशनरी, उपभोज्य, प्रकाशन और अन्य स्टोर सामग्री की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखांकन किया जाता है।

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च किए जाने के वर्ष से 5 वर्ष से अधिक की अवधि होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदानों का लेखाकंन वसूली के आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान को प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखाकित किया जाता है और एक समान राशि को वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है।

8.2 पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदानों को प्राप्तियों के आधार पर मान्यता दी जाती है और निधि आधारित लेखांकन के अनुरूप निर्धारित/अक्षयनिधि के तहत पूंजीगत अनुदान के रूप में दिखाया जाता है।

8.3 राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदानों को उपयोग की सीमा तक उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष उन्हें प्राप्त किया जाता है।

8.4 नकद आधार पर आकलित अप्रयुक्त अनुदान को आगे ले जाया जाता है और उन्हें तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

9.1 विदेशी मुद्रा में के लेनदेनों का लेखाकंन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

9.2 चालू परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देनदारियां वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्तियों से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

अनुसूची 27 – आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी

क. आकस्मिक देयताएं

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 प्राधिकरण के विरुद्ध दावे जो ऋण के रुप में स्वीकृत नहीं हैं – रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

1.2 निम्नलिखित के संदर्भ में:

– प्राधिकरण द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी – रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

– बैंक के साथ डिस्काउंट किए गए बिल – रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

1.3 निम्निलिखित के संबंध में विवादित मांगे:

– आय कर – रुपये 9.66 करोड़ (गत वर्ष रुपये 9.66 करोड़)

– बिक्री कर– रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

– नगर निगम कर– रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

1.4 आदेशों के गैर–कार्यान्वयन के लिए पार्टियों से प्राप्त दावों के संबंध में, लेकिन प्रविष्टि द्वारा विवादित माना गया प्राप्त करने का दावा किया गया रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

2. पूँजी प्रतिबद्धता

पूंजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और गैर प्रावधान वाले अनुबधों का अनुमानित मूल्य– रुपये शून्य (गत वर्ष रुपये शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण रुप से वित्त–पोषित है। इसलिए, इसकी लेखांकन नीतियां अधिकतर जीएफआर और आर एंड पी नियमों पर आधारित होती हैं। प्राधिकरण के लेखांकन सिद्धांत और नीतियां संक्षेप में इस प्रकार हैं:

1. वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान सम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य सामान्य कार्य व्यहवार में वसूली पर होता है जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर होती है। वर्ष के दौरान अग्रिम में वृद्धि का प्रमुख कारण कर्मचारियों/पार्टियों को दिए गए अग्रिम की राशि के कारण है।

कराधान

वित्तीय वर्ष 2014–15 में, प्राधिकरण ने पेन नं. अर्थात AAAGF0023K प्राप्त किया है।

फॉर्म जीएसटी 06 के बारे में

वित्तीय वर्ष 2017–18 में, प्राधिकरण ने जीएसटी संख्या अर्थात 07AAAGF0023K1ZV प्राप्त किया है।

2. विदेशी मुद्रा लेनदेन

2.1	सी.आई.एफ. आधार पर आकलित आयात का मूल्य :	
	क्रय किया गया तैयार माल	शून्य
	कच्ची सामग्री और संघटक (मार्गस्थ सहित)	शून्य
	पूँजीगत वस्तुएं	शून्य
	भंडार, अतिरिक्त पुर्जे, उपभोज्य पदार्थ	शून्य
2.2	विदेशी मुद्रा में व्यय:	
	क) यात्रा	शून्य
	ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में दी गई राशि और ब्याज का भुगतान	शून्य
	ग) अन्य व्यय :	
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और व्यावसायिक व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य
2.3	अर्जन:	
	एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य
	सेवाओं का मूल्य	शून्य

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्राधिकरण पर लागू सीएजी द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप पर आधारित है

4. **निधियों के स्रोत**

प्राधिकरण के बजट में प्राप्त हुई निधियाँ निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं:–

1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निवल अनुदान

2) विविध माध्यमों से प्राप्त निधियाँ जैसे अनुज्ञप्ति शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज, मीयादी जमा पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ, आदि।

5. **अचल संपत्ति निधि और भवन निधि**

सहायता अनुदान से अर्जित पूंजीगत संपत्ति को कॉर्पस फंड के अंतर्गत अनुदान को पूंजीकृत करके, अचल संपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है जिसके लिए वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदान को कम कर किया गया है और तदनुसार, अचल संपत्तियों पर लगाया गया मूल्यह्रास संबंधित निधि पर निधि आधारित लेखांकन और मिलान अवधारणा के अनुसार लगाया गया है।

6. आँकड़ों को निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

7. पिछले वर्ष के आँकड़ों को प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए एजीसीआर द्वारा निर्धारित और सुझाए गए प्रारूप के अनुसार जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित और पुनर्निर्मित किया गया है।

8. अनुसूची 1 से 27 दिनांक 31.03.2021 तक के तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते के साथ अनुबंधित है इनका अभिन्न अंग है।

अनुबध 1

वर्ष 2020-21 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	स्टफ एंड स्टॉक	158,591
2	पीबीटीआई मोहाली	625,000
3	कार्यालय स्टाफ	685,500
4	निफ्टेम	1,848,570
5	निफ्ट	111,864
6	एनआईसीएसआई	18,357,846
7	एनडीडीबी	5,563,601
8	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,439,600
9	एमओयू – उत्तर प्रदेश	173,425,000
10	एमओयू – पंजाब	13,743,000
11	एमओयू – कर्नाटक	21,118,000
12	एमओयू – गोवा	6,599,000
13	एमओयू – छत्तीसगढ़	18,290,000
14	एमओयू – राज्य को अनुदान	32,669,000
15	एमओयू – राज्य को अनुदान	39,829,000
16	एमओयू – हैदराबाद	5,000,000
17	एमओयू – असम	31,268,700
18	एमओयू – तिरुवनन्तपुरम	816,740
19	एमओयू – अनुदान के रुप में राज्य	500,000
20	एमओयू – राजस्थान	10,469,000
21	एमओयू – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5,845,000
22	एमओयू – राज्यों को अनुदान झारखण्ड	20,585,500
23	एमओयू – राज्य को अनुदान जम्मू और कश्मीर	22,563,500
24	एमओयू – चंडीगढ़ को अनुदान	3,324,500
25	एमओयू – बिहार को अनुदान	24,108,000
26	एमओयू – त्रिपुरा	3,790,350
27	एमओयू – त्रिपुरा	12,804,500
28	एमओयू – हिमाचल प्रदेश	21,919,500
29	एमओयू – तिरुवनन्तपुरम	34,305,000
30	एमओयू – मेघालय	19,465,000
31	एमओयू – राज्य अंडमान एवं निकोबार	17,239,000
32	एमओयू – मध्य प्रदेश	92,682,000
33	एमओयू – ओडिशा	10,344,000
34	एमओयू – नागालैंड को अनुदान	5,995,000

क्र.सं.	विवरण	राशि
35	एमओयू – अरुणाचल प्रदेश	4,259,500
36	ईट राइट चुनौती अनुदान 135 शहर/जिले	93,000,000
37	राज्य को अनुदान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	132,000,000
38	राज्य को अनुदान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	54,000,000
39	राज्य को अनुदान खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	6,800,000
40	सूक्ष्मजीव विज्ञानीय प्रयोगशाला सोलन	5,000,000
41	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी	938,493
42	कामिनी कंस्ट्रक्शन	48,08,0271
43	आईआईएफपीटी बाह्य परियोजना	8,120,588
44	आईआईसीटी/एनआईएफटीएम/सीएसआईआर मैसूर/आईसीएआर कोचीन/आईसीएआर मीट	2,288,829
45	आईसीएआर – एनआरसीएम हैदराबाद	4,023,500
46	आईसीएआर कोचीन	8,821,295
47	आईसीएआर – राष्ट्रीय रैंफ्रेंस प्रयोगशाला	2,500,000
48	आईसीएआर	400,000
49	एचएसएसपीएचएल पूणे	6,288,624
50	जीएनवीएफसी लि.	19,420
51	एफडीए गुजरात	49,560
52	अभिहित अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई	1,000,000
53	जिला ड्यूअल हैल्थ सोसायटी	6,400,000
54	निदेशक राष्ट्रीय खाद्य सूक्ष्मजीव विज्ञानीय विश्लेषण प्रयोगशाला	81,317
55	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई (मैसूर)	269,889
56	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई (लखनऊ)	625,000
57	प्रकाशन नियंत्रक	1,032,756
58	नियंत्रक खाद्य तथा औषध प्रशासन नया रायपुर	6,000,000
59	सीएफएल/आरएफएल प्रयोगशाला	34,936,798
60	सीएफडीए रायपुर	2,000,000
61	विकास केन्द्र	997,808
62	सीएएलएफ – एनडीडीबी	625,000
63	बीएसईएस यमुना पॉवर	354,000
64	बीआईएस	23,541
65	एशियन वैज्ञानिक	13,500,000
66	अहमदाबाद नगर निगम	6,800,000
67	आईटीसी – एफएसएसएआई मुम्बई	1,000,000
	योग	**1,12,97,25,051**

2019-2020 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं.सं.	पार्टियों के नाम	राशि
1	स्टाफ को अग्रिम	913,498
2	एएफएसटी (आई) मैसूर	200,000
3	बालमेर एंड लारी कं. लि.	2,500,000
4	बीएसईएस	119,000
5	केन्द्रीय न्यूज एजेंसी	6,860
6	सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग	1,243,164
7	सीएफएल कोलकाता	6,212,447
8	सीएफटीआरआई – मैसूर	556,750
9	सीआईएफटी कोच्चि	374,400
10	सीएसआईआर – सीएफटीआरआई	377886
11	सीएसआईआर इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टॉक्सीलॉजी	96750
12	निदेशक एनएफएल गाजियाबाद	389,500
13	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालीसिस सेंटर	1,000,000
14	ईआईए कोच्चि	146,900
15	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी चैन्नई	400,000
16	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी कोलकाता	400,000
17	फेयर लैब्स	1,000,000
18	आईसीएआर सीआईएफटी केरल	1,000,000
19	आईसीएआर = सीआईबीए	147,463
20	आईटीसी एफएसएएन मुम्बई	1,496,725
22	कामिनी कंस्ट्रक्शन	56170139
23	नेशनल कोलेट्रल मेनेजमेंट सर्विस	34,524
24	नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्डस	506693
25	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फूड टेक्नोलौजी	100,000
26	नेशनल रिसर्च सेंटर फार ग्रेप्स	1,000,000
27	एनबीसीसी	97,500,000
28	एनबीसीसी लि.	128,054,212
29	नियोजन फूड एंड एनीमल सेक्यूरिटी इंडिया	1,000,000
30	न्यू मोतीबाग लेडीज क्लब	43,000
31	एनआईसीएसआई	11,014,312
32	एनआईएफटीएम हरियाणा	178,000
33	श्रीराम इंस्टीच्यूट	284,450
34	ट्रीलॉजी एनालीटिकल लैब	1,000,000
35	यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता	140,600
36	विम्टा लैब्स	1,000,000
37	डब्ल्यू एच ओ	14,651
	कुल	**31,66,21,924**

2018-19 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं. सं.	पार्टियों का नाम	राशि
1	सेंटर फार एनालीसिस एंड लिव स्टॉक	50,000
2	सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग	53,900
3	डाटा सेंटर एनडीसी	3,859,818
4	डीडीओ	11,800
5	आईसीएआर यूनिट सीआईएफटी कोचीन	126845
6	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ हैदरबाद	125,143
7	इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टोक्सीलॉजी रिसर्च	200,000
8	आईटीपीओ	414,180
9	मिराकी स्पोर्टस एंड एंटरमेंट प्रा. लि.	50,000
10	एनबीसीसी लि.	15,000,000
11	एनआईएफटीईएम कुण्डली हरियाणा	170,000
12	ऑयल लेबोरेट्री डिपार्टमेंट, कोलकाता	214,113
13	क्वालिटी इवैल्यूएशन लैब	186,098
	कुल	**2,04,61,897**

वर्ष 2017-18 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं. सं.	पार्टियों का नाम	शेष
1	अग्रिम (हिंदी डिविजन)	1,000
2	स्टाफ को अग्रिम	825,859
3	अल्पकोर्ड नेटवर्क	10,114
4	अपीडा	157,500
5	बालमेर एंड लारी	3,000,000
6	बीआईएस निट्स	5849
7	सेट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज टैक	247,500
8	प्रकाशन नियंत्रक	224,400
9	रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला	176,500
10	डिप्टी जनरल इंडियन कांउसिल	10,982
11	दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय	58,374
12	एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, मुम्बई	117,500
13	आईसीएआर	199,881
14	इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	1538546
15	इंस्टीच्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ	235,000
16	मनुपात्र इंफोरमेशन सॉल्यूशंस	48,300
17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	7,650
18	एनएबीएल नई दिल्ली	94,400
19	नेशनल इंस्टीच्यूट आफ फूड टेक	160,000
20	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	7,080
21	नेशनल रिसर्च सेंटर फार ग्रेप्स	414,000
22	एनएनएस इवेंटस एंड एक्जीबीशन	725,417
23	पीसीआईएम	2,000
24	स्कॉच कंसल्टेंसी	153,400
25	भारतीय खेल प्राधिकरण	1,999,939
26	भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद	796,500
	योग	**1,12,17,691**

वर्ष 2016-17 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र. सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	स्टाफ को अग्रिम	436,824
2	सहायक निदेशक संपदा (रोकड़)	150,000
3	बालमेर एंड लॉरी	129,906
4	विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र	550
5	चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट	2,292
6	कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री	8,000
7	नियंत्रक खाद्य और औषध प्रशासन	112,000
8	सीपीडब्ल्यूडी	162,104
9	अभिहित अधिकारी मुम्बई एनएबीएल के लिए	65,510
10	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	1,100,121
11	डायरेक्टेरोट आफ जनरल इंडिया काउंसिल आफ मेडीसिन	638
12	आईआईसीए	25,000
13	इंडियन फूड पैकर	5,000
14	इंस्टीच्यूट आफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ	235,000
15	मनुपात्रा इंफोरमेशन सॉल्यूशन प्रा. लि.	47,081
16	नेशनल बुक ट्रस्ट	2,156
17	एनआईसीएसआई	13,479
18	एनआईपीएचएम	199,308
19	प्रगति इंडियन ऑयल	22,576
20	राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स	49,328
21	संचालक आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन एकादमी, भोपाल	68,950
22	एसएचएसबी एनआरएचएम–बी	64,400
23	स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसिस प्रा. लि.	138,000
24	भारतीय खेल प्राधिकरण	1,265,000
	कुल	**43,03,223**

वर्ष 2015-2016 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं.सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	स्टाफ को अग्रिम	358170
2	सैंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज वैल्फेयर एसोसिएशन	35000
3	दीनदयाल उपाध्याय इंस्टी.	57000
4	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	5472119
5	एफसीआई, मुम्बई	100000
6	एफसीआई, मुम्बई	100000
7	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं	18583
8	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सेवाएं	144786
	योग	**62,85,658**

वर्ष 2014-15 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं.सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	4647
2	सुश्री के.के. जीथा, बर्लिन	76523
3	बी.एस. आचार्य	26966
4	प्रगति इंडियन ऑयल	21840
5	सैंट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज टैक.	150000
6	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (लक्षदवीप)	62750
7	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनन्द	35955
8	एफडीए छत्तीसगढ़	67250
	योग	**445,931**

वर्ष 2013-14 के लिए पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं.सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	47,575
2	मनुपात्रा	46,000
3	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,000
4	सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान	2,000
	योग	**96,575**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 तक पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रं. सं.	पार्टियों के नाम	शेष
1	एबीपी प्रा. लि.	14,134
2	अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एसोसिएशन	2,167
3	प्राधिकृत अधिकारी चैन्नई	10,000
4	प्राधिकृत अधिकारी जेएनपीटी नहावाशेवा	10,000
5	प्राधिकृत अधिकारी सी–पोर्ट चैन्नई	10,000
6	बैग फुल	1,200
7	आयुक्त खाद्य सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर	245,073
8	कंफेडरेशन आफ इंडियन इंस्टीच्यूट	1,850,000
11	दक्ष एज्यूकेशन एंड सोसायटी	264,900
12	दीन दयाल उपाध्याय	227,802
13	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)	4,456,977
14	उप निदेशक, एसपीआईपीए, अहमदाबाद	1,002
15	फिक्की	79,750
16	महासचिव दिल्ली टेलीग्राफ अकादमी	50,000
17	एच.एस.सी.सी. इंडिया लि.	16,414
18	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	200,000
19	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	437,698
20	नेशनल इंस्टीच्यूट न्यूटरीशन	4,743,444
21	एस.एस. बिल्डकोन प्रा. लि. गाजियाबाद	200,000
22	स्टेट हैल्थ सोसायटी (आईडीएसएल) जयपुर	456,400
23	यूएएचएफडब्ल्यूएस फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्डस देहरादून	161,600
24	उपनिदेशक चैन्नई	110,000
25	उपनिदेशक (एफ एंड वीपी) एनबीसीसी	44,394
26	उपनिदेशक गुवाहाटी	10,000
27	उपनिदेशक – कोलकाता	62,336
28	उपनिदेशक मुम्बई	90,000
29	छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	196,363
30	पीताम्बर सिंह	5,625
31	आर.बी. खोतकर	4,237
32	एस. खालदार	10,000
33	एस.एस. तोमर	86,400
	योग	**1,40,57,916**

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

सत्यमेव जयते

सख्या: ए.एम.जी.I/ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/ दिनाँक:

सेवामे

सचिव, भारत सरकार,
स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001.

विषय : **वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

मैं **भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए,जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2020-21 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एव लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित **अस्वीकरण (disclaimer)** अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

ह०/-

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी.-I)

Ph. : 91-11-23702254
Fax : 91-11-23702271

DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi-110 002
e-mail : pdahwrd@cag.gov.in

संख्या: ए.एम.जी.I/ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/ 890 दिनॉक: 03/03/2022

भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, **श्री राजेश भूषण**, IAS, अध्यक्ष,, भारतीय खाद्य सरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफ़ डी ए भवन, कोटला रोड़, नई दिल्ली, -110029, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है |

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए|

अनुलग्नक:यथोपरि

प्रवीण सक्सेना 07/3/2022

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-I)

संख्या: ए.एम.जी.I/ एफ.एस.एस.आइ./7-17/2021-22/ दिनॉक:

भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित महानिदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है |

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है |

अनुलग्नक:यथोपरि

हस्ता-

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
निदेशक (ए.एम.जी-I)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के तुलन पत्र, और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियाँ का उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रबंधन का हैं। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण इत्यादि के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां विनिर्दिष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमनिष्ठता) के अनुपालन में वित्तीय लेन–देनों और दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं इत्यादि पर लेखा अवलोकन, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने ऑडिट की योजना इस प्रकार बनाएँ और उसे इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें तार्किक आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हैं। ऑडिट में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल होता है। ऑडिट में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार हैं।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करतें हैं कि:–

i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थीं।

ii) इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखों के समान प्ररूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखाबहियाँ और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं, जो ऐसी बहियों की हमारी जाँच से देखने में आया है।

iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:–

क. बैलेंस शीट

क.1. परिसम्पत्तियां

क.1.1 स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची–8): रुपये 23.07 करोड़

क.1.1.1 प्राधिकरण द्वारा 48.84 लाख रुपये के अंकित मूल्य के मरम्मत न हो सकने वाले फर्नीचर मद/एयर कंडीशनर/कुर्सियाँ आदि का निपटान किया गया है और उन्हें स्थायी परिसम्पत्तियों (अनुसूची 8) में से घटाया नहीं गया है। इससे लेखों में स्थायी परिसम्पत्तियों और पूँजी 48.84 लाख रुपये अधिक हो गई।

क.1.2 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची 11) – 720.05 करोड़ रुपये

क.1.2.1 अनुसूची–11ख (ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां) में, प्राधिकरण ने 'अग्रिम किराया चैन्नई पत्तन न्यास' और 'अग्रिम किराया जेएनपीटी मुम्बई' शीर्षक के अंतर्गत क्रमशः 15.34 करोड़ रुपये और 2.28 करोड़ रुपये दर्शाए हैं।

तथापि, वास्तव में प्राधिकरण ने चैन्नई के लिए 17.09 करोड़ रुपये और नवी मुम्बई के लिए 2.53 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि का भुगतान करके 29.01.2020 से 28.01.2050 तक 30 वर्षों के लिए अपने कार्यालय स्थान के लिए पट्टा आधार पर भूमि क्षेत्र (क्रमशः 1306 वर्ग मीटर और 11873 वर्ग फुट) किराए पर लिया है। चूँकि, प्राधिकरण ने पट्टे पर भूमि अधिगृहित की है, इसलिए यह राशि अनुसूची 8 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के अंतर्गत शीर्ष 'पट्टा पर भवन/भूमि' के अंतर्गत परिलक्षित होनी चाहिए और राशि पट्टा की अवधि के दौरान परिशोधित होनी चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान परिसम्पत्तियों में परिलक्षित 19.62 करोड़ रुपये

की राशि (चैन्नई के लिए 17.09 करोड़ रुपये और नवी मुम्बई के लिए 2.53 करोड़ रुपये) वर्तमान सम्पत्तियों (अग्रिम) में 19.62 करोड़ रुपये अधिक दर्शायी गयी है और स्थायी परिस्म्पत्तियों में इतनी ही राशि कम दर्शायी गई है।

क.1.2.2 प्राधिकरण ने इंदिरापुरम, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटिड को 24.05 करोड़ रुपये की राशि का अग्रिम प्रदान की है जिसमें से एनबीसीसी ने 18.58 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर लिया है। उपयोग की गई इस राशि को अनुसूची–8 (स्थायी परसम्पत्तियां) के अंतर्गत निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था और अग्रिमों को तद्नुसार समायोजित किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकरण ने यह राशि अभी भी अग्रिमों के अधीन दर्शायी है, जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान सम्पत्तियां (अग्रिम) 18.58 करोड़ रुपये से अधिक दर्शायी गई है और इतनी ही राशि स्थायी परिसम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य) में कम दर्शायी गई है।

क.1.2.3 निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची–8) का एक भाग है और उसीके साथ ही दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, अनुसूची–8 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के स्थान पर अनुसूची 11 (वर्तमान परिसम्पत्तियां) के अंतर्गत शीर्ष 'स्टॉक इन ट्रेड' – प्रगतिधीन कार्य – उत्तरपूर्वी क्षेत्र (सीएचईबी)' के अंतर्गत प्राधिकरण ने 45.90 लाख रुपये की राशि दर्शायी है। इससे चालू परिसम्पत्तियों को 45.90 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है और स्थायी सम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य) इतनी ही राशि से कम दर्शाए गए हैं।

क.1.2.4 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, प्राधिकरण को फूड फोर्टीफिकेशन रिसोर्स सेंटर (एफएफआरसी) परियोजना के लिए सर दोराबजी टाटा न्यास से 2.01 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रुप में प्राप्त हुईं हैं। प्राप्त अनुदान की राशि/अनुदान में से व्यय की गई राशि और शेष बची राशि का लेखों में कोई प्रकटन/सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुदान/बैंक खातों में शेष के गैर प्रकटीकरण के कारण चालू परिसम्पत्तियां और चालू देयताएं/आरक्षित निधियां कम दर्शाई गयी हैं। गत वर्ष लेखा परीक्षा के दौरान भी इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.1 प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21): 6.63 लाख रुपये

प्राधिकरण ने विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों/लैपटाप/साफ्टवेयर/विडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम/एप्पल मेक बुक की खरीदारी पर 1.12 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया है और इन व्ययों को राजस्व व्यय अर्थात अन्य प्रशासनिक व्यय के रुप में अंकित किया गया है जबकि इन्हें स्थायी परिस्म्पत्ति के रुप में अंकित किया जाना था। इस प्रकार, इन पूँजीगत वस्तुओं को गलत रुप से अंकित करने से स्थायी परसंपत्तियां 1.12 करोड़ रुपये कम दर्शाये गए और व्यय इतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है।

ग. सामान्य

ग.1 आई.सी.ए.आई द्वारा जारी लेखांकन मानक–15 के उल्लंघन में लेखों में सेवा–निवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

ग.2 प्राधिकरण ने रॉकफिलर फाउण्डेशन न्यूयार्क से यूएस डॉलर में पुरस्कार राशि अर्थात 1.47 करोड़ रुपये जीते और इस राशि को अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया। तथापि, "विदेशी मुद्रा लेनदेन" के अंतर्गत लेखों में इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकरण ने अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में घोषित किया है कि उसे आय कर से छूट प्राप्त है। तथापि, इसने आयकर विभाग द्वारा टीडीएस आधार पर अपनी आय से कटौती की गई 6.05 करोड़ रुपये की राशि को वापिस प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में आयकर विभाग से मामला उठाया जाना चाहिए।

ग.4 प्राधिकरण ने 2012–13 से रख–रखाव, विद्युत व्यय और पानी के प्रभारों के संबंध में सीडीएससीओ की ओर से 11.01 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में विभिन्न भुगतान किए हैं जिन्हें अनुसूची 11 (ऋण, अग्रिम और वर्तमान परिसम्पत्तियां) में दर्शाया गया था। चूँकि यह संचित राशि वर्ष 2012–13 से वसूली योग्य है, इसलिए यह राशि सीडीएससीओ से वसूल की जाए।

ग.5 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के पास 2008–13 तक 1.41 करोड़ रुपये और 2013 से 2021 तक 148.92 करोड़ रुपये के अग्रिम बकाया थे। कुछ ही समायोजनों को छोड़कर 2013 से 2016 तक की अवधि के लिए कोई समायोजन नहीं किए गए।अग्रिमों के समायोजन के लिए विशेष रुप से ध्यान देने और इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग.6 जब विभाग द्वारा कोई चैक जारी किया जाता है और ऐसे चैक के संबंध में यदि प्राप्तकर्ता द्वारा तीन महीनों की वैधता की अवधि के दौरान भुनाया नहीं जाता है तो ऐसे चैक को रद्द कर दिया जाएगा और राशि कैश बुक में वापिस प्राप्त की जानी चाहिए। तथापि, 2012 से 2020 के दौरान 26.14 लाख रुपये मूल्य के चैक जारी किए गए थे लेकिन अभी तक इन्हें

भुनाया नहीं गया है और इस प्रकार, ये चैक अब गतावधि हो गए हैं। इसलिए, प्राधिकरण को ये चैक रद्द करने चाहिए और कैशबुक में राशि वापिस की जानी चाहिए।

ग.7 अनुसूची 11 (वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि) में "बैंक बैलेंस दृ अनुसूचित बैंकों के साथ दृ क्षेत्रीय कार्यालय–सेविग्ज" शीर्ष के अंतर्गत रु. 11.05 करोड़ की राशि को दर्शाया गया है, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों के शेष शामिल थे। रिकॉर्ड की जाँच से पता चलता है कि निम्नलिखित खातों का बैंक शेष प्राधिकरण द्वारा उपलबध कराए गए बैंक समाशोधन विवरण से मेल नहीं खाते हैं:

(राशि रुपये में)

क्रं. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	खाता संख्या	वार्षिक लेखा के अनुसार अंतिम शेष	बैंक समाशोधन विवरण के अनुसार बैंक शेष
1.	कोचीन	3,247	77,97,159.70	68,58,740.80
2.	गुवाहाटी	7,292	15,10,147	15,03,121.65

उपर्युक्त दर्शाए गए अंतर का समाशोधन करने की आवश्यकता है।

घ. अनुदान सहायता

प्राधिकरण को वर्ष 2020–21 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 208.65 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष के प्रारम्भ में इसके पास पिछले वर्ष खर्च न की गई रु. 30.47 करोड़ की राशि अव्ययित शेष थी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण 233.25 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा सका और अव्ययित अनुदान राशि 5.87 करोड़ रुपये शेष थी।

ङ प्रबंधन–पत्र

लेखापरीक्षा में शामिल न की गई कमियाँ प्राधिकरण के प्रबंधन को अलग से जारी किए गए प्रबंधन–पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित कर दी गई हैं।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यधीन हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन लेखांकन नीतियां और लेखा–टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्वरूप दर्शाते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के मामलों के तुलन पत्र से संबन्धित है; और

ख. जहां तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबन्धित है। हमारी राय में भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्कपट हैं।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

(अशोक सिन्हा)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक :

महानिदेशक, लेखापरीक्षक

(स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2020–21 तक प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा की। इसके अलावा, नवम्बर, 2019 में प्राधिकरण में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग की स्थापना की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

रोकड़ बही का रख–रखाव इलैक्ट्रानिक प्ररुप में किया जाता है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

शाखा कार्यालयों और प्राधिकरण के मुख्यालय के संबंध में स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2020–21 तक ही किया गया।

4. वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की पद्धति

वर्ष 2020–21 के लिए लेखन–सामग्रियों और अन्य उपभोज्य सामग्रियों जैसी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया था। यद्यपि बहियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2017–18 में किया गया था। शाखा कायालयों की सामग्रियों का भौतिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. परिसम्पत्ति रजिस्टर

परिसम्पत्ति रजिस्टर में विभिन्न परिसम्पत्तियों का प्रगामी योग नहीं दर्शाया गया और यह अनुसूची–8 दृस्थायी परिसम्पत्तियां के अंतर्गत दर्शाए गए निर्धारित प्ररुप में नहीं रखा जा रहा है।

6. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यथा 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण की कोई वैधानिक देयताएं शेष नहीं हैं।